



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 346]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 11, 2012/आषाढ़ 20, 1934

No. 346]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 11, 2012/ASADHA 20, 1934

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2012

सा.का.नि. 553(अ).—विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 18 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार, अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2011 का प्रारूप भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) की अधिसूचना संख्या सा0का0नि0 694(अ), तारीख 16 सितम्बर, 2011 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड 3; उप-खण्ड (i) में प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है, उक्त अधिसूचना में अंतर्विष्ट राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियाँ 16 सितम्बर, 2011 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारूप नियमों के विषय में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर सम्यक रूप से विचार कर लिया गया है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 5 और धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

अध्याय 1

प्रारंभिक

2. परिभाषाएं - इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "अधिनियम" से विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) अभिप्रेत है;

(ख) "अमोनियम नाइट्रेट" से रासायनिक फार्मूला NH_4NO_3 वाला यौगिक अभिप्रेत है और जिसके अंतर्गत अमोनियम नाइट्रेट सहित भार के आधार पर कोई मिश्रण या यौगिक भी है जिसमें 45 प्रतिशत से अधिक (अकार्बनिक नाइट्रेट सहित या उसके बगैर) पायस, निलंबन, गलित या जेल हो, किन्तु उसमें पायस या विच्छिन्न विस्फोटक और गैर-विस्फोटक पायसी मैट्रिक्स और उर्वरक सम्मिलित नहीं हैं जिससे किसी भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अमोनियम नाइट्रेट प्राप्त न किया जा सके;

(ग) "मुख्य नियंत्रक" से मुख्य विस्फोटक नियंत्रक अभिप्रेत है;

(घ) "सक्षम व्यक्ति" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो यथास्थिति, अमोनियम नाइट्रेट के सुरक्षित विनिर्माण, संपरिवर्तन, भण्डारण, परिवहन और हथालन में पर्याप्त रूप से अनुभवी और पूर्णतः सुपरिचित हो;

(ङ) "नियंत्रक" के अंतर्गत संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, विस्फोटक नियंत्रक और उप विस्फोटक नियंत्रक भी हैं;

(च) "संपरिवर्तक" से कोई व्यक्ति या अभिकरण अभिप्रेत है जो अपने निजी कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए अमोनियम नाइट्रेट के ठोस रूप को गलन रूप में या अमोनियम नाइट्रेट के गलन रूप को ठोस रूप में परिवर्तित करने का कार्य करता है;

(छ) "संरक्षक" के अंतर्गत व्यक्ति या अभिकरण या कंपनी भी है जो भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 7 के अधीन किसी पत्तन के संरक्षक के रूप में नियुक्त अधिकारी या व्यक्तियों के निकाय के प्राधिकार के अधीन कार्य करता हो;

(ज) "जिला प्राधिकारी" से, -

- (i) नगरों में जिनका एक पुलिस आयुक्त है, पुलिस आयुक्त या उप पुलिस आयुक्त अभिप्रेत है;
- (ii) किन्हीं अन्य स्थानों में, जिला मजिस्ट्रेट या अपर जिला मजिस्ट्रेट अभिप्रेत है;

(झ) "विभागीय परीक्षण केन्द्र" से पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन का परीक्षण केन्द्र अभिप्रेत है;

(ञ) "विस्फोटक" से विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 4 के खण्ड (घ) के अधीन यथा परिभाषित विस्फोटक अभिप्रेत है;

(ट) "पायस विस्फोटक" और "गैर-विस्फोटक पायस मैट्रिक्स" का वही अभिप्राय होगा जो विस्फोटक नियम, 2008 के अधीन परिभाषित है;

(ठ) "प्ररूप" से इन नियमों के साथ उपाबद्ध अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट प्ररूप अभिप्रेत है;

(ड) "अनुज्ञप्ति" से अमोनियम नाइट्रेट के विनिर्माण, संपरिवर्तन, आयात, निर्यात, नौभरण और पेटी में बंद करने, परिवहन, कब्जे में रखने, विक्रय और उपयोग करने के लिए पूर्वापेक्षित दस्तावेज अभिप्रेत है;

(ढ) "अनुज्ञापन प्राधिकारी" से अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ण) "अधिष्ठाता" से किसी परिसर के संबंध में वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसका परिसर पर नियंत्रक है और जो परिसर के मामलों के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है और अमोनियम नाइट्रेट के संबंध में, इसके अंतर्गत वह व्यक्ति भी है जिसके कब्जे में अमोनियम नाइट्रेट है;

परन्तु-

(i) सांपत्तिक फर्म के संबंध में स्वत्वधारी; या

(ii) भागीदारी फर्म के संबंध में अन्य सभी भागीदारों द्वारा लिखित में नामनिर्दिष्ट भागीदार; या

(iii) कम्पनी के संबंध में, निदेशक बोर्ड द्वारा लिखित में नामनिर्दिष्ट निदेशक;

(iv) सोसाइटी या संगम के संबंध में, शासी निकाय द्वारा लिखित में नामनिर्दिष्ट पदाधिकारी, अधिष्ठाता होगा;

(त) "संरक्षित संकर्म" में ऐसे भवन या ढांचे शामिल हैं जिसमें व्यक्ति निवास करते हैं, कालेज, स्कूल, अस्पताल, रंगशाला, सिनेमा घर, दूकान, कार्यालय, बाज़ार, परिसंकटमय पदार्थ के भण्डारण का स्थल आदि है किन्तु इसमें कृषिय कुर्वाँ और उससे जुड़ा पंप सैट शामिल नहीं है;

(थ) "पिच्छिल विस्फोटक" और "स्थल मिश्रित विस्फोटक" का वही अर्थ होगा जो विस्फोटक नियम, 2008 के अधीन परिभाषित है;

(द) "भण्डार गृह" से अमोनियम नाइट्रेट गलन से भिन्न अमोनियम नाइट्रेट को कब्जे में रखने या उसका भण्डारण करने के लिए बना स्वतंत्र भवन अभिप्रेत है;

(ध) "नौभारिक" के अंतर्गत कोई व्यक्ति या अभिकरण या फर्म भी होगा जो पोत से थोक मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट की चढ़ाई और उतराई, उसे पेटी में रखने के लिए पारेषण भण्डार तक उसके परिवहन का कार्य करता है;

(न) "सुरक्षा और संरक्षा प्रबंध योजना" से अमोनियम नाइट्रेट विनिर्माता कारखाना, नौभरण, परिवहन, भण्डारण और उपयोग परिसर में सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने और उसका प्रबंध करने के लिए व्यापक योजना अभिप्रेत है;

3. नियमों का लागू होने का विस्तार और अपवाद-

(1) ये नियम अमोनियम नाइट्रेट के विनिर्माण, संपरिवर्तन, आयात, निर्यात, नौभरण, पेटी में रखने, परिवहन, और विक्रय या उपयोग के लिए उसे कब्जे में रखने को विनियमित करने के लिए पूरे भारत में लागू होंगे।

(2) इन नियमों की कोई बात निम्नलिखित द्वारा अमोनियम नाइट्रेट को कब्जे में रखने, उपयोग करने, परिवहन या आयात या निर्यात किए जाने के संबंध में लागू नहीं होगी:-

(क) संघ के सशस्त्र बलों में से कोई और आयुध कारखाने या ऐसे बलों की अन्य स्थापनाएं, केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों या विनियमों के अनुसार, जब निजी प्रयोजन के लिए उपयोग हो रहा हो;

(ख) भारतीय रेल और उसका प्राधिकृत मालवाहक जब वह मालवाहक के रूप में कार्य कर रहा हो;

(ग) पत्तन प्राधिकारी;

(घ) केन्द्रीय या राज्य सरकार के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति जब वह अधिनियम या इन नियमों के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग कर रहा हो।

(3) इन नियमों की कोई बात स्थापित प्रयोगशालाओं, शैक्षणिक संस्थाओं, चिकित्सा संस्थाओं, अस्पतालों और स्वास्थ्य क्लीनिकों द्वारा वैज्ञानिक तथा शैक्षणिक प्रयोजन के लिए पाँच किलोग्राम से अनधिक मात्रा के अमोनियम नाइट्रेट अपने कब्जे में रखे जाने और उसका प्रयोग किये जाने पर लागू नहीं होगी।

परन्तु स्थानीय पुलिस को उपरोक्त प्रयोजन के लिए कब्जे में रखी गई मात्रा की सूचना दी जाएगी।

अध्याय 2

साधारण उपबन्ध

4. अमोनियम नाइट्रेट के विनिर्माण, संपरिवर्तन, नौभरण और पेटी में रखने, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय या प्रयोग के लिए कब्जे में रखने पर नियंत्रण - इन नियमों के अधीन यथा प्राधिकृत या अनुज्ञप्ति के सिवाए कोई व्यक्ति अमोनियम नाइट्रेट का विनिर्माण, संपरिवर्तन, नौभरण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय या प्रयोग के लिए कब्जे में रखने का कार्य नहीं करेगा:

5. अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने की पूर्वापेक्षाएं - कोई अनुज्ञप्ति इन नियमों के अधीन अधिकथित सभी सुसंगत उपबंधों और इन नियमों के साथ उपाबद्ध अनुसूची 2 के भाग-2 के अधीन अनुज्ञप्ति प्ररूपों में अंतर्विष्ट सभी शर्तों का अनुपालन किए जाने पर ही प्रदान की जाएगी अन्यथा नहीं:

परन्तु सभी विद्यमान विनिर्माता, संपरिवर्तक, उपयोक्ता, परिवाहक, नौभारिक, विक्रेता, कब्जाधारी, आयातक और निर्यातक छह माह के भीतर अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए आवेदन करेंगे और इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर इन नियमों के उपबंधों का अनुपालन करेंगे।

6. साधारण निर्बंधन-

(1) विनिर्माण पर निर्बंधन -

अनुज्ञप्ति में निर्देशित स्थान से भिन्न किसी स्थान पर अमोनियम नाइट्रेट का विनिर्माण नहीं होगा।

(2) भण्डारण और संपरिवर्तन पर निर्बंधन -

(क) अमोनियम नाइट्रेट भण्डार गृह आबादी वाले क्षेत्रों में अवस्थित नहीं होना चाहिए।

(ख) संपरिवर्तक के सम्यक रूप से अनुज्ञप्त परिसर के सिवाए किसी अन्य स्थान पर अमोनियम नाइट्रेट का संपरिवर्तन नहीं होगा।

(ग) कोई व्यक्ति किसी भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया द्वारा भी किसी उर्वरक से अमोनियम नाइट्रेट नहीं प्राप्त करेगा।

(3) विक्रय या उपयोग के लिए नौभरण, पेटी में रखने और कब्जे में रखने पर निर्बंधन-

(क) कोई व्यक्ति इन नियमों के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट एक अनुज्ञप्त भण्डार गृह में उसकी शर्तों के अधीन के सिवाए विक्रय या उपयोग के लिए अमोनियम नाइट्रेट का नौभरण, पेटी में रखने और उसे कब्जे में रखने का कार्य नहीं करेगा;

(ख) कोई व्यक्ति किसी कार्बनिक सामग्री, धात्विक पाउडर या स्क्रेप, या सल्फर, फास्फोरस आदि से पूर्णतः या अंशतः संदूषित किसी अमोनियम नाइट्रेट का भण्डारण, प्रसंस्करण, सुपुर्दगी, प्राप्ति, हथालन या परिवहन नहीं करेगा।

(4) आयात या निर्यात पर निर्बंधन -

(क) कोई व्यक्ति इन नियमों के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञप्ति की शर्तों के अधीन और उसके अनुसार के सिवाए किसी अमोनियम नाइट्रेट का आयात या निर्यात नहीं करेगा;

(ख) किसी अमोनियम नाइट्रेट का केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित उसके पत्तन के सिवाए अन्य स्थान पर आयात या निर्यात नहीं किया जाएगा;

(ग) भारत सरकार के पोत-परिवहन और परिवहन मंत्रालय द्वारा मुख्य नियंत्रक के परामर्श से इस प्रयोजन के लिए सम्यक रूप से अनुमोदित और सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा सीमाशुल्क पत्तन के रूप में घोषित किए गए पत्तनों के माध्यम के सिवाए समुद्र मार्ग से भारत में अमोनियम नाइट्रेट का आयात नहीं किया जाएगा।

(घ) समुद्र मार्ग से भारत में आयात किये गये अमोनियम नाइट्रेट को पत्तन में भण्डारित नहीं किया जाएगा ।

(5) परिवहन पर निर्बंधन -

(क) अमोनियम नाइट्रेट का परिवहन किसी अन्य विस्फोटक, ज्वलनशील पदार्थ, तेल, गैस, कार्बनमय सामग्री आदि के साथ नहीं किया जाएगा;

(ख) अमोनियम नाइट्रेट का परिवहन भाड़े पर यात्रियों के लिए चलाए गए या उनकी दुलाई कर रहे किसी वाहक पोत में नहीं किया जाएगा ।

(6) सुपुर्दगी या प्रेषण पर निर्बंधन -

(क) कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के सिवाए उसी व्यक्ति को किसी अमोनियम नाइट्रेट की सुपुर्दगी या प्रेषण करेगा जो:

(i) अमोनियम नाइट्रेट को कब्जे में रखने के लिए अनुज्ञप्ति धारक हो या ऐसे अनुज्ञप्ति के धारक का अभिकर्ता हो जिसे उसकी ओर से लिखित में सम्यक रूप से प्राधिकृत किया गया हो; या

(ii) इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति के बगैर अमोनियम नाइट्रेट को कब्जे में रखने के लिए अधिकृत हो ।

(ख) इस तरह सुपुर्द किया या प्रेषित किया गया अमोनियम नाइट्रेट किसी भी मामले में किसी भी समय पर उस मात्रा से अधिक नहीं होगा जिसके लिए व्यक्ति इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति धारण करता हो ।

(ग) कोई व्यक्ति उस व्यक्ति के सिवाए जो इन नियमों के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञप्ति धारण करता हो किसी अन्य व्यक्ति से अमोनियम नाइट्रेट प्राप्त नहीं करेगा ।

(7) अमोनियम नाइट्रेट के हथालन पर निर्बंधन - कोई व्यक्ति सूर्यास्त और सूर्योदय के घण्टों के बीच किसी अमोनियम नाइट्रेट के हथालन नहीं करेगा या हथालन नहीं कारित करेगा:

परन्तु इस नियम की कोई बात अंधकार वाले घण्टों के दौरान अमोनियम नाइट्रेट के हथालन के लिए लागू नहीं होगी यदि क्षेत्र में उचित प्रदीप्ति की व्यवस्था हो और स्थान की चौकसी की जा रही हो ।

(8) बच्चों, मदनोन्मत्त व्यक्तियों और कतिपय अन्य व्यक्तियों के नियोजन पर निर्बंधन -

कोई व्यक्ति अमोनियम नाइट्रेट के विनिर्माण, संपरिवर्तन, पेटी में रखने, भण्डारण, विक्रय, लदाई, उतराई या परिवहन के लिए या इन नियमों के अधीन परमिट दिये गए किसी परिसर में प्रवेश करने के लिए उस व्यक्ति को नियोजित, स्वीकृत या विनियोजित नहीं करेगा -

(क) जिसकी आयु अठारह वर्ष से कम है; या

(ख) जो मदनोन्मत्त है; या

(ग) जो मानसिक या शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त है ।

(9) विषैले, क्षयकारी, परिसंकटमय या ज्वलनशील पदार्थों पर निर्बंधन - किसी विषैले, क्षयकारी या ज्वलनशील या कार्बनमय वस्तु, लघुकारी तत्व, पेट्रोलियम, कैल्सियम कार्बाइड, संपीडित गैस या कोई अन्य रसायन जैसे अन्यथा परिसंकटमय पदार्थ जो अमोनियम नाइट्रेट के साथ इस ढंग से प्रतिक्रिया कर सके जिसके परिणामस्वरूप विस्फोट हो सके को अमोनियम नाइट्रेट के विनिर्माण, संपरिवर्तन, पेटी में रखने, भण्डारण, आयात, निर्यात, परिवहन या हथालन के लिए बनाए गए परिसर में ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

(10) प्रयोग पर निर्बंधन- अमोनियम नाइट्रेट का प्रयोग विस्फोटक नियम, 2008 के अधीन परमिट दिये जाने पर ही धमाका के लिए अकेले ही या अन्य तत्वों के साथ सम्मिलित करके किया जा सकेगा अन्यथा नहीं।

7. सक्षम व्यक्ति का नियोजन -

(1) किसी अमोनियम नाइट्रेट का विनिर्माण या संपरिवर्तन सक्षम व्यक्ति के पर्यवेक्षण के अधीन के सिवाए नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण - उपनियम (1) में निर्दिष्ट सक्षम व्यक्ति वह व्यक्ति होगा जो अभियांत्रिकी में डिग्री या डिप्लोमा धारक हो या विज्ञान में स्नातक हो और आवश्यक अर्हता के रूप में रसायन या विस्फोटक उद्योग में कम से कम पाँच वर्षों का अनुभव रखता हो और वैकल्पिक अर्हता के रूप में औद्योगिक सुरक्षा में डिप्लोमा धारक हो और अनुज्ञप्ति धारक द्वारा अमोनियम नाइट्रेट के विनिर्माण और संपरिवर्तन के लिए सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नियोजित किया गया हो।

(2) किसी भवन या उसके किसी भाग में अमोनियम नाइट्रेट के नौभरण, पेटी में रखने, हथालन, परिवहन और प्रयोग से सहबद्ध सभी प्रचालन अनुज्ञप्ति धारक द्वारा नियोजित व्यक्ति के पर्यवेक्षण के अधीन किए जाएंगे जो उसकी प्रक्रिया और उससे संबद्ध जोखिमों और इन नियमों के प्रावधानों से अवगत हो।

8. अमोनियम नाइट्रेट की पैकिंग - कोई व्यक्ति तब तक अमोनियम नाइट्रेट का आयात, निर्यात, परिवहन, कब्जा या विक्रय नहीं करेगा जब तक -

(क) वह एक उचित जलसह पेटी या डिब्बे में सम्यक रूप से पैक न किया गया हो या नौभारिक या संपरिवर्तक द्वारा उचित ढंग से पेटी में न रखा गया हो;

(ख) डिब्बे या पैकेज पर नियम 8 के अनुसार चिह्नांकन न किया गया हो;

(ग) पैकेज भारतीय मानक ब्यूरो के सुसंगत मानक या मुख्य नियंत्रक द्वारा स्वीकृत और अनुमोदित अन्य मानकों के अनुरूप न हो; और

(घ) निर्यात या आयात के लिए अमोनियम नाइट्रेट के पैकेज अंतरराष्ट्रीय समुद्री परिसंकटमय माल संहिता (जिसे इसमें इसके पश्चात इन नियमों में आईएमडीजी संहिता कहा गया है) या परिसंकटमय माल के परिवहन पर संयुक्त राष्ट्र की सिफारिशों के अधीन यथानिर्दिष्ट परीक्षणों की अपेक्षाओं के अनुरूप न हो ।

9. अमोनियम नाइट्रेट के पैकेजों पर चिह्नांकन -

(1) अमोनियम नाइट्रेट रखे प्रत्येक थैले या आधान पर स्पष्ट अमिट अक्षरों में मुद्रण या स्टाम्प लगाकर निम्नलिखित चिह्नांकित किया जाएगा-

(क) शब्द "अमोनियम नाइट्रेट";

(ख) शुद्धता प्रतिशत

(ग) विनिर्माता या संपरिवर्तक या आयातक का नाम, पता और अनुज्ञप्ति संख्या;

(घ) पैकेज की पहचान संख्या या बार कोडिंग;

(ङ) अमोनियम नाइट्रेट का शुद्ध भार;

(च) पैकेज का सकल भार;

(छ) पेटी में बंद करने की तारीख और बैच संख्या;

(ज) नौभरण अभिकर्ता, यदि कोई हो, का नाम, पता, अनुज्ञप्ति संख्या और विशिष्ट पहचान संख्या ।

(2) थैलों पर विनिर्माता या आयातक द्वारा मुख्य नियंत्रक के निदेश के अनुसार आरएफआईडी टैग या किसी अन्य उपाय से स्टैंसिलिंग, बार कोडिंग से पेटी बंद करने की तारीख के साथ क्रम संख्या अंकित की जाएगी ।

10. हथालन के दौरान बिखरी सामग्री एकत्रित करना - यदि अमोनियम नाइट्रेट की हथालन प्रक्रिया के दौरान किसी अवस्था में कुछ सामग्री बिखर जाती है तो उसे ध्यानपूर्वक एकत्र करके पेटी में बंद करके रखा जाएगा

और उसका हिसाब रखा जाएगा। यदि बिखरी हुई सामग्री संदूषित नहीं हुई है तो उसे अतिशीघ्र उचित हिसाब रखने के बाद केवल एक अनुज्ञप्ति धारक व्यक्ति को हस्तान्तरित कर दिया जाएगा।

11. दुर्घटना के विरुद्ध विशेष पूर्वावधानियाँ -

(1) कोई भी व्यक्ति ऐसा कृत्य नहीं करेगा या ऐसा कृत्य करने का प्रयास नहीं करेगा जिससे किसी स्थान में या उसके आस-पास दहन या विस्फोट कारित हो सके जहाँ अमोनियम नाइट्रेट विनिर्मित, संपरिवर्तित, पेटीबंद, भण्डारित या परिवहन किया जाता है।

(2) अमोनियम नाइट्रेट को कब्जे में रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति और अमोनियम नाइट्रेट के आयात, निर्यात, विनिर्माण, संपरिवर्तन, पेटीबंद करने, विक्रय, परिवहन या उठाई-धराई का भारसाधक या संबद्ध प्रत्येक व्यक्ति सभी समयों पर इन नियमों के उपबंधों और उनसे संबंधित अनुज्ञप्ति की शर्तों का पालन करेगा तथा चोरियाँ और दहन या विस्फोट की दुर्घटनाओं को निवारित करने के लिए सभी सम्यक पूर्वावधानियाँ बरतेगा।

(3) अमोनियम नाइट्रेट के भण्डारण के लिए प्रयोग किये जाने वाले परिसर का उपयोग उर्बरकों सहित किन्हीं अन्य सामग्रियों के भण्डारण के लिये नहीं किया जाएगा।

(4) प्रत्येक व्यक्ति उपनियम (1) के अधीन यथा प्रतिषिद्ध ऐसे किसी कृत्य को कारित करने से किसी अन्य व्यक्ति को निवारित करेगा।

12. अनधिकृत व्यक्तियों पर निर्बंधन, रक्षकों के लिए उपबंध और भण्डार गृह के लिए सुरक्षित दूरी-

(1) अनुज्ञप्ति धारक अपने स्वयं के खर्च पर भण्डार गृह में रखे अमोनियम नाइट्रेट की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था करेगा।

(2) उप-नियम (1) के प्रयोजनों के लिए सुरक्षा गार्डों की संख्या उतनी होगी जितनी जिला प्राधिकारी पर्याप्त समझें।

(3) अमोनियम नाइट्रेट के विनिर्माण या अमोनियम नाइट्रेट के गलन रूप को ठोस रूप में या विलोमतः संपरिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त परिसर और भण्डार गृह कम से कम दो मीटर ऊंची दीवार से घिरे होंगे और उसकी मजबूती और बनावट ऐसी होगी कि अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को प्रभावी ढंग से रोका जा सके।

(4) (क) अमोनियम नाइट्रेट भण्डार गृह में

(i) 30 मैट्रिक टन से अनधिक के भण्डारण की व्यवस्था के लिए, भण्डार गृह से चारदीवारी तक 4.5 मीटर की और किसी संरक्षित संकर्म से 45 मीटर की सुरक्षा दूरी रखी जाएगी;

(ii) 30 मैट्रिक टन से अधिक के भण्डारण की व्यवस्था के लिए, भण्डार गृह से चारदीवारी तक 9 मीटर की और किसी संरक्षित संकर्म से 90 मीटर की सुरक्षा दूरी रखी जाएगी;

(ख) भण्डार गृह विनिर्माण, संपरिवर्तन या विस्फोटक या नाइट्रोअस ऑक्साइड विनिर्माण संयंत्रों की पेटीबंदकरण यूनिट के निकटवर्ती हो सकता है, किन्तु नियम 4 के उप-नियम (क) के खण्ड (i) और (ii) के उपबंधों का पालन किया जाएगा ।

टिप्पणी: सुरक्षा दूरी की नाप भण्डार गृह के किनारे से की जाएगी ।

(5) (क) भण्डार गृह

(i) का निर्माण भूतल पर किया जाएगा जिसमें कोई बिचला तल्ला, ऊपरी तल या कोई बेसमेंट नहीं होगा;

(ii) जिसका फर्श (कुर्सी) स्तर भूमि तल से पैतालीस सेण्टीमीटर ऊँचाई से कम नहीं होगा और जिसमें अच्छा रोशनदान होगा;

(iii) जिसकी दीवारें ईंट या पत्थर मोरटार, या कंक्रीट से बनी कम से कम 23 सेण्टीमीटर मोटी होंगी और उसकी छत आरसीसी या एसबैस्टस या फाइबर या जीआई शीट से बनी होंगी;

(iv) जिसके दरवाजों की पर्याप्त संख्या होगी जो न्यूनतम तीन मिलीमीटर मोटी स्टील से बने होंगे और बाहर की ओर खुलते होंगे;

(ख) उप-खण्ड (iii) में किसी बात के होते हुए भी नौभारिक का भण्डार गृह पार्श्व दीवारों के बगैर शैड में हो सकता है ।

(6) अमोनियम नाइट्रेट को विक्रय के लिए कब्जे में रखने या उपयोग के लिए कब्जे में रखने के लिए प्रयुक्त भण्डार गृह का फर्श क्षेत्रफल एक वर्ग मीटर प्रति मैट्रिक टन अमोनियम नाइट्रेट से कम नहीं होगा और भण्डार गृह की कुल धारण क्षमता 5000 मैट्रिक टन के भण्डारण से अधिक नहीं होगी:

परन्तु पेटीबंद अमोनियम नाइट्रेट का एक ढेर 200 मैट्रिक टन से अधिक का नहीं होगा और समीपवर्ती ढेरों के बीच न्यूनतम दो मीटर का फासला रखा जाएगा और ढेरों तथा भण्डार गृह की दीवारों के बीच कम से कम 0.6 मीटर चौड़ा मार्ग रखा जाएगा ।

परन्तु और यह कि ढेर की अधिकतम ऊँचाई फर्श स्तर से 2.5 मीटर से अधिक नहीं होगी और उसे भण्डार गृह की दीवारों पर मोटे अक्षरों में चिह्नांकित किया जाएगा ।

(7) भण्डार गृह को आईएस 2309 के अनुसार प्रकाश से संरक्षित किया जाएगा ।

(8) अमोनियम नाइट्रेट गलन के भण्डारण के लिए बना भण्डारण हौद-

(i) स्वस्थ इंजीनियरी परिपाटी के अनुसार स्टेनलेस स्टील या किसी अन्य अनुकूल सामग्री से निर्मित होगा जो

मुख्य नियंत्रक द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय संहिता के अनुरूप होगा और पर्याप्त रूप से इंसूलेटिड और अनलंबित होगा ताकि अमोनियम नाइट्रेट गलन को ऐसे भण्डारण हौद में या उससे लदाई-उतराई के दौरान सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके;

(ii) उसके साथ डाइक घेरा के रूप में एक और हौद होगा जो सिमेंट कंक्रीट का बना होगा और उसकी धारण क्षमता ऐसे घेरे के भीतर बने सबसे बड़े हौद की क्षमता से कम नहीं होगी;

(iii) चारदीवारी और संयंत्र सुविधा के भीतर 4.5 मीटर की और अन्य संरक्षित संकर्मों से 45 मीटर की सुरक्षा दूरी रखी जाएगी;

(iv) एकल भण्डारण हौद क्षमता 200 मेट्रिक टन से अधिक नहीं होगी; और

(v) इसके समीप चढ़ाई-उतराई के लिए एक उपयुक्त मजबूत स्टैण्ड की व्यवस्था रखी जाएगी और ऐसे मजबूत स्टैण्ड को इस प्रकार रखा जाएगा कि इसका मध्य भाग चारों तरफ से न्यूनतम 4.5 मीटर की सुरक्षा दूरी पर रहे ।

13. कतिपय कार्यों का प्रतिषेध- कोई भी व्यक्ति-

(i) इन नियमों के अधीन दिये गए किसी आवेदन या कथन में असत्य या भ्रामक सूचना या घोषणा नहीं प्रदान करेगा; या

(ii) इन नियमों के अधीन रखे जाने या अनुरक्षण के लिए अपेक्षित किसी लॉग बुक, दस्तावेज या अन्य रिकार्ड में किसी प्रविष्टि को असत्य नहीं बनाएगा, किसी प्रविष्टि को नहीं मिटाएगा, या उसमें प्रवचनापूर्वक परिवर्तन नहीं करेगा; या

(iii) इन नियमों के अधीन जारी किसी अनुज्ञप्ति, या अन्य दस्त्रावेजों में फेर-बदल या परिवर्तन नहीं करेगा ।

14. अभिलेखों का अनुरक्षण और विवरणियों को प्रस्तुत करना-

(1) इन नियमों के अधीन अमोनियम नाइट्रेट के विनिर्माण, संपरिवर्तन, नौभरण, कब्जा, विक्रय, उपयोग, परिवहन, आयात या निर्यात के लिए प्रदान की गई अनुज्ञप्ति को धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अनुसूची 2 के भाग 3 में विनिर्दिष्ट प्ररूपों में अमोनियम नाइट्रेट की जवाबदेही, पहचान और खोज-खबर सुनिश्चित करने के लिए रिकार्ड रखेगा और नियम 50 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा माँगे जाने पर उसके समक्ष प्रस्तुत करेगा ।

(2) अनुसूची 2 के भाग 3 में विनिर्दिष्ट प्ररूपों में स्टॉक बहियों का पृष्ठ संख्यांकन किया जाएगा और उसे इन नियमों के अधीन प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा और उसे, किसी प्राधिकारी द्वारा अन्यथा निर्देश न दिये जाने पर, तीन वर्ष की अवधि के लिए सुरक्षित रखा जाएगा ।

(3) अनुज्ञप्ति धारक अनुसूची 2 के भाग 3 में विनिर्दिष्ट प्ररूप में विनिर्मित, संपरिवर्तित, नौभारित, प्राप्त, विक्रय या परिवहन या प्रयोग या नष्ट या आयात या निर्यात किए गए अमोनियम नाइट्रेट की मासिक विवरणी अनुज्ञप्ति जारीकर्ता प्राधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत करेगा ताकि वह उपरोक्त प्राधिकारियों के पास प्रत्येक अनुवर्ती मास के दसवें दिन या उससे पहले पहुँच जाए ।

(4) अनुज्ञप्ति जारीकर्ता प्राधिकारी या केन्द्र सरकार द्वारा निर्देशित किये जाने पर अनुज्ञप्ति धारक अभिलेखों का रखरखाव, लेन-देन और फाइल विवरणियों की प्रस्तुति इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से करेगा।

अध्याय 3

अमोनियम नाइट्रेट के विनिर्माण, संपरिवर्तन, कब्जा, विक्रय और उपयोग से संबंधित उपबंध

15. सुरक्षा और संरक्षा प्रबंधन योजना -

(1) अमोनियम नाइट्रेट के विनिर्माण, संपरिवर्तन, नौभरण, पेट्रीबंद करने, कब्जा, विक्रय या उपयोग, परिवहन, आयात या निर्यात का इच्छुक व्यक्ति अनुज्ञप्ति जारीकर्ता प्राधिकारी और जिला प्राधिकारी को पुलिस प्राधिकारियों द्वारा सम्यक रूप से विधिक्षा किए गए संरक्षा पहलुओं के साथ सुरक्षा और संरक्षा प्रबंधन योजना अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगा।

(2) उप-नियम (1) में संदर्भित योजना में निम्नलिखित सुरक्षा और संरक्षा पहलू शामिल होंगे, अर्थात:-

(क) सौंपा गया उत्तरदायित्व और संगठनात्मक ढाँचा;

(ख) परिसंकट की पहचान, खतरे का मूल्यांकन और नियंत्रण;

(ग) कार्य बल, ठेकेदारों और आगन्तुकों के लिए सूचना, शिक्षा और प्रशिक्षण का प्रावधान;

(घ) दुर्घटना की रिपोर्ट करना और उसकी छानबीन करना;

(ङ) आपातकालीन कार्यवाई योजना और तैयारी जैसे प्रथमोपचार, वर्ष में एक बार आपातकालीन योजना का परीक्षण;

(च) आपदा प्रबंधन योजना और बच निकलने के रास्तों की पहचान, कार्यकलापों से जुड़े संरक्षा खतरों की पहचान और उनका मूल्यांकन; निष्क्रमण योजना, समुचित अग्निशमन नियंत्रण;

(छ) प्राधिकृत कार्यकलापों के संचालन और अमोनियम नाइट्रेट को संरक्षित रखने के संबंध में अनुज्ञप्ति धारक द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएं;

(ज) संयंत्र और उपकरण से संबंधित अनुसूचियों का अनुरक्षण;

(झ) मानक संचालन प्रक्रिया;

(ञ) कार्य के लिए कर्मिकों की सक्षमता;

(ट) निगरानी की प्रकृति;

(ठ) प्रलेखन और रिकार्ड रखना ताकि अमोनियम नाइट्रेट की जवाबदेही, पहचान और खोज-खबर सुनिश्चित की जा सके; भण्डार गृह के लिए संरक्षा प्रबंध, अमोनियम नाइट्रेट गलन रखने के लिए कंटेनर, वाहन द्वारा अमोनियम नाइट्रेट का खान, अमोनियम नाइट्रेट के परिवहन और उसकी उठाई-धराई के दौरान सुरक्षा; अमोनियम नाइट्रेट भण्डार गृह में अप्राधिकृत व्यक्तियों की पहुँच नियंत्रित और अवरुद्ध करने के लिए तंत्र; योजना या कार्य का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदारी सौंपना।

(3) विनिर्माण कारखाना में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अमोनियम नाइट्रेट के विनिर्माण, उठाई-धराई, परिवहन और भण्डारण के दौरान आवधिक रूप से सक्षम व्यक्तियों द्वारा सुरक्षा और संरक्षा पहलुओं में प्रशिक्षित किया जाएगा और ऐसे प्रशिक्षण का कारखाना में रिकार्ड रखा जाएगा।

अध्याय 4

अमोनियम नाइट्रेट के आयात और निर्यात से संबंधित उपबंध

सामान्य

16. सड़क मार्ग द्वारा आयात या निर्यात - प्रत्येक मामले में केन्द्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना सड़क मार्ग द्वारा अमोनियम नाइट्रेट के आयात या निर्यात के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसमें केन्द्रीय सरकार मुख्य नियंत्रक के परामर्श से शर्तें और प्रतिबंध अधिरोपित कर सकती है।

17. पत्तन नियमों का अनुपालन - अधिसूचित पत्तनों पर अमोनियम नाइट्रेट की उठाई-धराई को विनियमित करने वाले अधिनियम और संबंधित पत्तन नियमों के अधीन जारी किए गए नियमों और उपविधियों का अनुपालन किया जाएगा।

18. अमोनियम नाइट्रेट का आयात-

(1) अमोनियम नाइट्रेट का आयात अधिमान्यतः पेटोबंद रूप में किया जाएगा और जब अमोनियम नाइट्रेट का आयात थोक में किया जा रहा हो, तो उसे इन नियमों के अधीन विधिमान्य अनुमति धारक और आयातक द्वारा लिखित में सम्यक रूप से प्राधिकृत नौभरण अभिकरण द्वारा पेटोबंद या पैक किया जाएगा।

(2) नौभरण अभिकर्ता प्राप्त किए गए और प्रत्येक आयातक को प्रेषित किए गए अमोनियम नाइट्रेट का अभिलेख रखेगा ताकि जवाबदेही, पहचान और खोज-खबर और निगरानी प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित हो सके।

(3) आयात किये गए अमोनियम नाइट्रेट को तत्काल पत्तन से निकालकर नौभरिक के अनुमति भण्डार गृह में ले जाया जाएगा। नौभरिक के भण्डार गृह से अमोनियम नाइट्रेट का प्रेषण केवल पेटोबंद रूप में किया जाएगा और अमोनियम नाइट्रेट की प्रत्येक पेटो को नौभरिक अभिकर्ता द्वारा नियम 9 के अनुसार चिह्नित किया जाएगा।

(4) आयातक द्वारा घोषणा - इन नियमों के अधीन प्रदान की गई आयात अनुज्ञप्ति धारक व्यक्ति अनुज्ञापन प्राधिकारी और मुख्य नियंत्रक को एक घोषणा प्रस्तुत करेगा-

(क) जैसे ही चढ़ाई के पत्तन से अमोनियम नाइट्रेट की ढुलाई करने वाले पोत की जलयात्रा शुरू की जाए, अनुसूची 2 के भाग 3 के अधीन प्ररूप द-3 में;

(ख) जैसे ही अमोनियम नाइट्रेट को ढोने वाले किसी पोत को आयात के पत्तन से अनापत्ति प्राप्त हो, अनुसूची 2 के भाग 3 के अधीन प्ररूप द-4 में;

(5) पोत के स्वामी या पोत के अभिकर्ता द्वारा घोषणा-

(क) अमोनियम नाइट्रेट को ढोने वाले प्रत्येक पोत का स्वामी या ऐसे पोत का अभिकर्ता पत्तन पर अपने इच्छित आगमन के बारे में पत्तन के संरक्षक को कम से कम अड़तालीस घण्टे का नोटिस देगा;

(ख) अमोनियम नाइट्रेट को ढोने वाले प्रत्येक पोत का स्वामी किसी पत्तन में प्रवेश करने से पहले पायलट को अनुसूची 2 के भाग 4 के अधीन प्ररूप गड-1 में एक लिखित घोषणा देगा, परन्तु यदि पोत के आगमन की प्रत्याशा में ऐसे पोत का अभिकर्ता पत्तन के संरक्षक को अपने हस्ताक्षर से यथोक्त घोषणा प्रदान करता है तो पोत के स्वामी द्वारा ऐसी घोषणा प्रदान किए जाने की जरूरत नहीं होगी ।

(ग) उप-नियम (5) के खण्ड (ख) के अधीन पायलट को दी गई प्रत्येक घोषणा उसके द्वारा अविलंब पत्तन के संरक्षक को प्रदान कर दी जाएगी और पत्तन के संरक्षक द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक घोषणा उसके द्वारा अपनी सुविधानुसार सीमा-शुल्क आयुक्त को प्रेषित की जाएगी ।

(6) हवाई जहाज़ द्वारा आयात पर प्रतिबंध- अमोनियम नाइट्रेट का आयात हवाई जहाज़ द्वारा नहीं किया जाएगा ।

19. अमोनियम नाइट्रेट का निर्यात-

(1) हवाई जहाज़ द्वारा निर्यात पर प्रतिबंध- अमोनियम नाइट्रेट का निर्यात हवाई जहाज़ द्वारा नहीं किया जाएगा ।

(2) निर्यातक या उसके अभिकर्ता द्वारा घोषणा- निर्यातक या उसका प्राधिकृत अभिकर्ता अड़तालीस घण्टे पहले पत्तन के संरक्षक को यह नोटिस देगा कि वह निर्यात के लिए अमोनियम नाइट्रेट को पत्तन पर लाने का

इच्छुक है और उक्त अधिकारी द्वारा लिखित में पूर्व अनुमति दिए बगैर पत्तन के किसी हिस्से में अमोनियम नाइट्रेट नहीं लाएगा ।

(3) अमोनियम नाइट्रेट का निर्यात केवल पेटीबंद रूप में किया जाएगा जिसे नियम 9 के उपबंधों के अनुसार चिह्नंकित किया गया होगा ।

अध्याय 5

अमोनियम नाइट्रेट के परिवहन से संबंधित उपबंध

सामान्य

20. परिवहन के दौरान अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया-

(1) परिवहन किए जा रहे अमोनियम नाइट्रेट या अमोनियम नाइट्रेट गलन की प्रत्येक खेप के साथ परिवहन के दौरान अनुसूची 2 के भाग 3 के प्ररूप द-11(ख) में प्रेषक द्वारा जारी एक पास होगा ।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट पास यथास्थिति वे-बिल, इन्वाइस या प्रवेश बिल या प्रेषण टिप्पण के साथ संलग्न किया गया होगा ।

(3) प्रेषक द्वारा अनुसूची 2 के भाग 3 के प्ररूप द-11(क) में कम से कम चौबीस घण्टे पहले प्रेषण स्थल के जिला पुलिस अधीक्षक और साथ ही प्राप्त स्थल के जिला पुलिस अधीक्षक को सूचित किया जाएगा ।

(4) उप-नियम (1) के अधीन जारी प्रत्येक पास की एक प्रति प्रेषक द्वारा तत्काल निम्नलिखित को भेजी जाएगी-

(क) प्रेषक को अनुज्ञप्ति जारी करने वाला अनुज्ञापन प्राधिकारी;

(ख) प्रेषण स्थल की अधिकारिता रखने वाला जिला प्राधिकारी;

(ग) जिला पुलिस अधीक्षक जिसके अधिकारक्षेत्र में वह स्थान स्थित है जहाँ से खेप भेजी जा रही है; और

(घ) जिला पुलिस अधीक्षक जिसके अधिकारक्षेत्र में वह स्थान स्थित है जहाँ पर खेप भेजी जा रही है ।

21. सामान्य अपेक्षाएं और परिवहन के दौरान उपलब्ध रहने वाले दस्तावेज-

(1) अमोनियम नाइट्रेट या अमोनियम नाइट्रेट गलन का परिवहन केवल उन्हीं प्रेषकों द्वारा किया जाएगा जो प्रारूप न-4 में विधिमान्य अनुज्ञप्ति के धारक हों।

(2) अमोनियम नाइट्रेट गलन के परिवहन के लिए टैंकर का निर्माण- (i) जंगरोधी इस्पात या किसी अन्य अनुकूल सामग्री से किया गया होगा और उसे मुख्य नियंत्रक को स्वीकार्य राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय संहिता के अनुरूप स्वस्थ इंजीनियरी परिपाटी के अनुसार उचित और पर्याप्त ढंग से ऊष्मारोधी बनाया गया होगा और एक यान चेसिस के ऊपर सुरक्षित या आलंबित किया गया होगा ताकि परिवहन के दौरान पूरी सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित हो सके;

(ii) ऐसे अमोनियम नाइट्रेट गलन टैंकर की सकल वहन क्षमता ऐसे यान के लिए सड़क परिवहन प्राधिकारी द्वारा विहित अधिकतम भार सीमा से अधिक नहीं होगी;

(iii) यानों के प्रवेश और निकास कपाट ऐसी बनावट और ऐसे ढाँचे के होंगे कि उन्हें सुरक्षित ढंग से लॉक और सील किया जा सके; और

(iv) छिद्र पाइप उचित ढंग से ढँके गए होंगे ताकि उत्पाद का रिसाव न होने पाए।

(3) अमोनियम नाइट्रेट का परिवहन परिसंकटमय सामग्री सहित किसी अन्य सामग्री के साथ नहीं किया जाएगा।

(4) अमोनियम नाइट्रेट का परिवहन सम्यक रूप से सुरक्षित मोटर यान या पशुचालित यान में किया जाएगा और अमोनियम नाइट्रेट को दोनो वाले वाहन को चारो ओर से तिरपाल की परतों से ढंक कर रस्से से उचित और सुरक्षित ढंग से बाँधा जाएगा और उस पर परिवहन अनुज्ञप्ति धारक की सील लगाई जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि चालक या उसके किसी परिचर के कब्जे में निम्नलिखित दस्तावेज परिवहन के दौरान रहे, अर्थात:-

(क) परेषिती द्वारा जारी अनुसूची 2 के भाग 3 के अधीन प्रारूप द-10 में मॉगपत्र की प्रति;

(ख) प्रेषक द्वारा जारी अनुसूची 2 के भाग 3 के अधीन प्रारूप द-11(ख) में परिवहन पास की प्रति;

(ग) बिल या परिवहन किए जा रहे अमोनियम नाइट्रेट के प्रवेश के बिल की मूल प्रति।

(5) उप-नियम (4) में उल्लिखित दस्तावेजों को नियम 50 के अधीन सशक्त प्राधिकारी द्वारा माँगे जाने पर ट्रांसपोर्टर द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

(6) प्रेषक घोषित गंतव्य पर परेषिती के भण्डार गृह में अमोनियम नाइट्रेट के खेप की सुपुर्दगी सुनिश्चित करेगा और परेषिती द्वारा सम्यक रूप से प्रारूप द-11(ख) में दी गई पावती प्रेषक द्वारा अभिलेख के रूप में रखी जाएगी।

(7) परिवहन के लिए अमोनियम नाइट्रेट को भारिक तक भेजा जाना-

(क) कोई व्यक्ति परिवहन के प्रयोजन से भारतीय रेल या उसके प्राधिकृत भारिक के सिवाए किसी भारिक को कोई अमोनियम नाइट्रेट प्रेषित नहीं करेगा ।

(ख) कोई व्यक्ति परिवहन के प्रयोजन से भारतीय रेल या उसके प्राधिकृत भारिक को कोई अमोनियम नाइट्रेट तब तक प्रेषित नहीं करेगा जब तक कि उसने लिखित में निम्नलिखित का एक नोटिस स्टेशन मास्टर को न दिया गया हो -

(1) ऐसे अमोनियम नाइट्रेट को टैंडर करने का उसका आशय;

(2) यह प्रमाण-पत्र कि अमोनियम नाइट्रेट को पैक किया गया है और नियम 8 और 9 के अनुसार चिह्नंकित किया गया है;

(3) यह उल्लेख कि परिवहन किए जाने वाले अमोनियम नाइट्रेट की मात्र कितनी है;

(4) यह उल्लेख कि उसने स्टेशन मास्टर से लिखित में एक उत्तर और सूचना प्राप्त की है कि वह अमोनियम नाइट्रेट को तत्काल प्रेषित करने के लिए प्राप्त करने को तैयार है ।

(5) यह उल्लेख कि उसने परेषिती से इन नियमों के अधीन यथा प्राधिकृत अमोनियम नाइट्रेट को प्राप्त करने की तत्परता की पुष्टि प्राप्त कर ली है ।

(ग) कोई व्यक्ति किसी अमोनियम नाइट्रेट को किसी रेल से नहीं लाएगा, भेजेगा या अग्रेषित करेगा जिसे भारतीय रेल ने तत्समय प्रवृत्त विनियमन के नोटिस द्वारा उसे प्राप्त न किए जाने के लिए अधिसूचित किया हो ।

22. अमोनियम नाइट्रेट के परिवहन में विनियोजित यान का चढ़ाई, उतराई, रखरखाव, और संचालन-

(1) अमोनियम नाइट्रेट के परिवहन में विनियोजित यानों में केवल ऐसे चालकों या क्लीनरों को रखा जाएगा, जिनके पूर्ववृत्त का सत्यापन स्थानीय पुलिस द्वारा किया गया हो और ऐसे चालकों और क्लीनरों के पूर्ण वैयक्तिक व्यौरे सहित एक सूची स्थानीय पुलिस को सत्यापन करने के लिए पहले से उपलब्ध कराई जाएगी और ऐसे चालकों और क्लीनरों का पुनर्सत्यापन नियमित अंतराल में, पाँच वर्ष में एक बार, किया जाएगा ।

(2) अमोनियम नाइट्रेट को ढो रहे यान के साथ कम से कम दो शारीरिक रूप से समर्थ रक्षक रहेंगे ।

(3) अमोनियम नाइट्रेट को ढो रहे या अमोनियम नाइट्रेट से भरे यान का चालक या ऑपरेटर औचित्यपूर्ण अपेक्षा से अधिक अवधि के लिए उक्त यान को नहीं ठहराएगा और जिन स्थानों पर नागरिकों की सुरक्षा को खतरा होने की संभावना हो वहाँ उसे ठहराने से परहेज करेगा:

परन्तु जहाँ रात में चालक के नियंत्रण से बाहर किन्हीं कारणों से अमोनियम नाइट्रेट को ढो रहे या अमोनियम नाइट्रेट से भरे यान को ठहराना पड़े, तो जिस परिसर में यान को ठहराया जाए वह-

(क) किसी ऐसे प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा जिसमें अग्नि, माचिस या किसी ऐसे सामान या वस्तु का होना संभव हो जिससे वहाँ विस्फोट हो जाने या आग लग जाने की संभावना उत्पन्न हो सके; और

(ख) किसी आवास या ज्वलनशील प्रकृति की वस्तुएं या अन्य परिसंकटमय सामग्री रखे किसी गोदाम से दूर स्थित होगा और ऐसे अस्थायी ठहराव के स्थान के बारे में निकटतम पुलिस थाने को सूचित किया जाएगा ।

(4) अमोनियम नाइट्रेट को ढोते समय यान को अनुज्ञप्ति धारक के खर्च पर पर्याप्त रूप से संरक्षित किया जाएगा और यदि अमोनियम नाइट्रेट की खेप को गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित संवेदनशील क्षेत्रों से होकर गुजरने की संभावना है तो उसे जिला पुलिस प्रशासन द्वारा प्रदान किए गए सशस्त्र पुलिस एस्कार्ट या रक्षकों की देखरेख में रखा जाएगा ।

(5) अमोनियम नाइट्रेट गलन का परिवहन गलन टैंकर में किया जाएगा जिसके निकास टॉपी और प्रवेश-छिद्र गलन आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा सम्यक रूप से सील किये गये होंगे और गलन आपूर्तिकर्ता फर्म अमोनियम नाइट्रेट गलन के सांद्रण घटक को स्पष्ट रूप से उपदशित करते हुए गुणवत्ता नियंत्रण प्रमाणपत्र जारी करेगा ।

(6) परेषिती यह सत्यापित करेगा कि अमोनियम नाइट्रेट गलन का सांद्रण घटक इनवाइस में विनिर्दिष्ट किये गये रूप में ही है और कि गलन हौद पर लगी सील अविकल है ।

(7) गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित संवेदनशील क्षेत्रों में सूर्यास्त से सूर्योदय की अवधि के दौरान अमोनियम नाइट्रेट के परिवहन की अनुमति नहीं होगी । अमोनियम नाइट्रेट के संचलन और उदगम स्थान की विशिष्टियाँ और परेषण स्थल की सूचना लिखित में संबंधित पुलिस प्राधिकारियों को दी जाएगी ।

(8) अग्निशामक दमकल की व्यवस्था-

(क) अमोनियम नाइट्रेट का परिवहन करने वाले प्रत्येक यान में न्यूनतम पाँच किलोग्राम की क्षमता वाले दो अग्निशामक दमकल की व्यवस्था की जाएगी और उनमें से एक अग्निशामक दमकल इलैक्ट्रिक सर्किट से लगी आग से और दूसरा अन्य ज्वलनशील तत्वों से निपट पाने की क्षमता वाला होगा।

(ख) अग्निशामक दमकल सदैव अच्छी चालू हालत में रखा जाएगा।

(ग) अग्निशामक दमकल को ऐसे स्थान पर रखा जाएगा जहाँ उसे तत्काल उपयोग के लिए सुविधाजनक और तैयार पाया जा सके।

(घ) अग्निशामक दमकल को जाँचा जाएगा और विनिर्माता की सिफारिशों के अनुसार रिचार्ज किया जाएगा।

23. यान की दुर्घटनाओं की स्थिति में प्रक्रिया-

(1) जहाँ अमोनियम नाइट्रेट को ढो रहे यान के साथ कोई दुर्घटना घट जाती है, उसमें आग लग जाती है या कोई ऐसी घटना घटती है जिससे अमोनियम नाइट्रेट की सुपुर्दगी में अत्यधिक विलम्ब हो जाता है या यान या अमोनियम नाइट्रेट को नुकसान पहुँचता है, वहाँ चालक या यान के साथ चल रहा कोई अन्य प्राधिकृत व्यक्ति-

(क) सड़क दुर्घटना से संबंधित कानून की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा;

(ख) निकटतम पुलिस स्टेशन को सूचित करेगा; और

(ग) परिवहन अनुज्ञप्ति धारण करने वाले अनुज्ञप्ति धारी को सूचित करेगा जो उस जिला प्राधिकारी, जिसके अधिकारिता में दुर्घटना घटी, को ढोए जा रहे अमोनियम नाइट्रेट के पूरे व्यौर और दुर्घटना की सूचना देगा;

(2) अमोनियम नाइट्रेट को ढो रहे यान के खराब हो जाने की स्थिति में चालक या यान का भारसाधक व्यक्ति अनुज्ञप्ति धारी को सूचित करेगा जो उसके बाद उस जिला प्राधिकारी और निकटतम पुलिस स्टेशन, जिसके अधिकारिता में यान खराब हुआ, को अमोनियम नाइट्रेट के पूरे व्यौर और यान खराब हो जाने की परिस्थितियों के बारे में सूचित करेगा।

24. नियम 20, 21, 22 और 23 में अंतर्विष्ट कोई बात इन नियमों के अधीन परमिट किये गये/ विधिमान्य अनुज्ञप्ति धारण करने वाले व्यक्तियों द्वारा 50 किलोग्राम से अनधिक मात्रा में कब्जे में रखे गये/क्रय किये गये ठोस अमोनियम नाइट्रेट के परिवहन के संबंध में लागू नहीं होगी।

अध्याय 6

अमोनियम नाइट्रेट के कब्जे, विक्रय और उपयोग के लिए उपबंध

25. अनुज्ञप्त परिसरों में कब्जा-

(1) अमोनियम नाइट्रेट के कब्जे के लिए इन नियमों के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञप्ति का धारक कोई व्यक्ति केवल अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट परिसरों में अमोनियम नाइट्रेट को भण्डारित करेगा।

(2) जिन परिसरों में अमोनियम नाइट्रेट को रखा जाएगा उनका उपयोग केवल ऐसे अमोनियम नाइट्रेट के कब्जे और विक्रय या उपयोग के लिए किया जाएगा और किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं।

(3) कोई व्यक्ति इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति परिसरों से ही अमोनियम नाइट्रेट का विक्रय करेगा किसी भी अन्य परिसर से नहीं।

(4) अनुज्ञप्ति भण्डार गृह तब के सिवाए जब उसमें अमोनियम नाइट्रेट रखा जा रहा हो या उससे अमोनियम नाइट्रेट बाहर निकाला जा रहा हो संरक्षित ढंग से बंद या तालाबंद रखा जाएगा।

(5) अनुज्ञप्ति भण्डार गृह की चाबियाँ अनुज्ञप्ति धारक की या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता की अभिरक्षा में सुरक्षित रखी जाएंगी और निरीक्षण अधिकारी द्वारा जब कभी अपेक्षा की जाए भण्डार गृह खोले जाने के लिए प्रस्तुत की जाएंगी।

(6) जिस प्राधिकृत अभिकर्ता के पास चाबियाँ रखी जाएंगी उसका नाम, पता और पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ अनुज्ञापन प्राधिकारी और अधिकारिता वाले जिला प्राधिकारी को प्रेषित किए जाएंगे।

26. किसी दी गई समयावधि में क्रय किए जाने वाले अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा- किसी भण्डार गृह में और उससे अमोनियम नाइट्रेट के कब्जे, विक्रय या उपयोग के लिए कोई अनुज्ञप्ति धारक किसी दी गई समयावधि में केवल उतनी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट का क्रय करेगा जितनी अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट की जाए।

27. अमोनियम नाइट्रेट की जवाबदेही और उसका संव्यवहार-

(1) इन नियमों के अधीन प्रदान की गई सभी अनुज्ञप्तियों पर अनुज्ञप्ति धारी या अधिष्ठाता के फोटोग्राफ होंगे।

(2) अमोनियम नाइट्रेट के क्रय और संव्यवहार के लिए निम्नलिखित कार्यपद्धति अपनाई जाएगी-

(क) अमोनियम नाइट्रेट की आपूर्ति के लिए अनुसूची 2 के भाग 3 के अधीन प्ररूप द-10 में अनुज्ञप्ति धारी या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किए गये मॉगपत्र को आपूर्तिकर्ता को सौंपा जाएगा;

(ख) अनुज्ञप्ति धारी या अधिष्ठाता के फोटोग्राफ और नमूना हस्ताक्षर अमोनियम नाइट्रेट के आपूर्तिकर्ता के पास दर्ज कराए जाएंगे;

(ग) अनुज्ञप्ति धारक या अधिष्ठाता द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित अनुज्ञप्ति धारी के प्राधिकृत प्रतिनिधि के फोटोग्राफ, नमूना हस्ताक्षर और पता अमोनियम नाइट्रेट के आपूर्तिकर्ता के पास दर्ज कराए जाएंगे।

(3) अनुज्ञप्ति धारी केवल ऐसे प्राधिकृत प्रतिनिधियों की नियुक्ति करेगा, जिसके पूर्ववृत्त का सत्यापन स्थानीय पुलिस द्वारा किया गया हो और ऐसे प्राधिकृत प्रतिनिधियों की पूर्ण व्यक्तिगत विशिष्टियों सहित एक सूची स्थानीय पुलिस को सत्यापन करने के लिए पहले से उपलब्ध कराई जाएगी और ऐसे प्रतिनिधियों का पुनर्सत्यापन नियमित अंतराल में, अधिमन्यतः पाँच वर्ष में एक बार, किया जाएगा।

(4) अमोनियम नाइट्रेट का परेषक परिदान करने से पहले प्रतिनिधि के फोटोग्राफ और हस्ताक्षर का सत्यापन करेगा ।

(5) इन नियमों में उल्लिखित प्राधिकृत प्रतिनिधि केवल एक अनुज्ञप्ति धारी का प्रतिनिधित्व करेगा ।

अध्याय 7

अनुमोदन, अनुज्ञप्ति, संशोधन, अन्तरण और नवीनीकरण का प्रदान किया जाना या उसे नामंजूर करना

28. अनुज्ञप्ति जारी करने वाला प्राधिकारी -

विशिष्ट प्रयोजनों के लिए अनुज्ञप्तियाँ अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों द्वारा प्रदान की जा सकती हैं ।

29. फीस का भुगतान- (1) पूर्व अनुमोदन, अनुज्ञप्तियाँ जारी करने और संशोधन के लिए निम्नलिखित फीस देय होगी, अर्थात:-

(क) पूर्व अनुमोदन के लिए संवीक्षा फीस - रु.1000/-

(ख) अमोनियम नाइट्रेट के क्रय के लिए विनिर्माण और कब्जा या गलन ठोस रूप में और विलोमतः संपरिवर्तन और भण्डार गृह से विक्रय के लिए कब्जा के लिए अनुज्ञप्ति - रु.20,000/-वार्षिक

(ग) भण्डार गृह से अमोनियम नाइट्रेट के विक्रय के लिए कब्जा के लिए अनुज्ञप्ति - रु.2000/-वार्षिक

(घ) भण्डार गृह से अमोनियम नाइट्रेट के उपयोग के लिए कब्जा के लिए अनुज्ञप्ति - रु.2000/-वार्षिक

(ङ) अमोनियम नाइट्रेट के आयात के लिए अनुज्ञप्ति - रु.5000/-

(च) अमोनियम नाइट्रेट के निर्यात के लिए अनुज्ञप्ति - रु.5000/-

(छ) अमोनियम नाइट्रेट के नौभरण, पेटीबंद करने और भण्डारण के लिए अनुज्ञप्ति - रु.20,000/-

(ज) अमोनियम नाइट्रेट के परिवहन के लिए अनुज्ञप्ति - रु.2000/-वार्षिक

(झ) अनुज्ञप्ति का संशोधन - रु.1000/-

(ञ) किसी अनुज्ञप्ति की अनुलिपि - रु.100/-

(2) जब अनुज्ञप्ति जारीकर्ता प्राधिकारी मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक हैं तो देय फीस का भुगतान रेखांकित बैंक ड्राफ्ट या वैद्युत माध्यम के रूप में किया जाएगा और जब अनुज्ञप्ति जारीकर्ता प्राधिकारी जिला प्राधिकारी है तो देय फीस का भुगतान उस ढंग से किया जाएगा जैसे वह विनिर्दिष्ट करे ।

(3) जब अनुज्ञप्ति 31 मार्च को समाप्त होने वाले एक से अधिक वित्तीय वर्ष के लिए चाहा गया हो तो उपरोक्त उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट दर से वित्तीय वर्षों की वांछित संख्या के लिए फीस देय होगी ।

30. निर्माण से पहले पूर्व अनुमोदन की सुविधाएं-

(1) इन नियमों के अधीन अमोनियम नाइट्रेट के विनिर्माण, संपरिवर्तन, विक्रय के लिए कब्जे में रखने या उपयोग के लिए कब्जे में रखने के लिए भण्डार गृह के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त करने का इच्छुक व्यक्ति नियम 33 में उल्लिखित दस्तावेज प्रस्तुत करके ऐसी अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए सशक्त प्राधिकारी से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगा ।

(2) पूर्व अनुमोदन प्रदान करते समय जिला मजिस्ट्रेट अनुमोदन के साथ-साथ नियम 12 में किये गये विनिर्देश के अनुसार अपेक्षित स्पष्ट दूरी दर्शाने वाली योजना का एक सेट सम्यक रूप से पृष्ठांकित करके आवेदक को वापस करेगा ।

(3) पूर्व अनुमोदन प्रदान करते समय मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक नियम 12 में किये गये विनिर्देश के अनुसार भीतर और आस-पास अपेक्षित स्पष्ट दूरी दर्शाने वाली योजना का एक सेट सम्यक रूप से पृष्ठांकित करके आवेदक को वापस करेगा और उसके साथ उक्त दस्तावेज का एक अतिरिक्त सेट देगा ताकि आवेदक उसे नियम 33 के अधीन अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सके ।

टिप्पणी: इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए इन नियमों के प्रकाशन की तारीख को विद्यमान अमोनियम नाइट्रेट की सुविधाओं के लिए उप नियम (1) के अधीन पूर्व अनुमोदन आवश्यक नहीं होगा ।

31. अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए आवेदन - नियम 30 के अधीन अनुमोदित योजना के अनुसार परिसर के संनिर्माण के बाद आवेदक नियम 32 में उल्लिखित दस्तावेजों के साथ अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए आवेदन उस प्राधिकारी को करेगा जो ऐसी अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए सशक्त है ।

32. अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता की अवधि- अनुज्ञापन प्राधिकारी, आयात और निर्यात के लिए अनुज्ञप्ति को छोड़कर, जिसके लिए यह अवधि एक वर्ष होगी, सभी प्रयोजनों के लिए पाँच वित्तीय वर्षों, जो 31 मार्च को समाप्त होते हों, से अनधिक अवधि के लिए या उसके अंश के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकता है,

33. अनुमोदन या अनुज्ञप्ति की माँग के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज-

(1) अनुज्ञप्ति के लिए प्रस्तावित परिसर के अनुमोदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे, अर्थात्-

(क) अनुसूची 2 के भाग-1 के अनुसार समुचित प्ररूप में आवेदन ।

(ख) नियम 15 के अधीन यथा अपेक्षित तैयार की गई सुरक्षा और संरक्षा प्रबंधन योजना ।

(ग) प्रस्तावित भण्डार गृह और उससे जुड़ी सुविधाओं के खोंके और स्थान जिसमें आस-पास बने सभी संरक्षित संकर्म के साथ पहुँच मार्ग को दर्शाया गया हो, के तीन सेट ।

(घ) कम्पनी या भागीदारी फर्म या सोसाइटी के बारे में दस्तावेजी साक्ष्य जिसमें यथास्थिति निदेशकों या भागीदारों या पदाधिकारियों की सूची भी शामिल हो और साथ ही प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के नामांकन और उनके नमूना हस्ताक्षर भी हों ।

(ङ) अधिष्ठाता के पासपोर्ट आकार के छह फोटोग्राफ जिसके ऊपर उसने अपने हस्ताक्षर किये हों और साथ ही अधिष्ठाता के रूप में नामांकन का दस्तावेजी साक्ष्य ।

(च) नियम 29 में यथा विनिर्दिष्ट संवीक्षा फीस ।

(2) अनुज्ञप्ति प्रदान किये जाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे, अर्थात्-

(क) अनुसूची 2 के भाग-1 के अनुसार समुचित प्ररूप में आवेदन ।

(ख) उपरोक्त उप नियम (1) के अधीन अनुमोदित खोंके के छह सेट ।

(ग) अमोनियम नाइट्रेट की उठाई-धराई के लिए नियोजित व्यक्तियों की विशिष्टियाँ, उनकी अर्हता और अनुभव । आवेदक उनके चरित्र और पूर्ववृत्त के संबंध में शपथ-पत्र प्रस्तुत करेगा ।

(घ) चार्टरित अभियंता द्वारा सम्यक रूप से पृष्ठांकित भण्डार गृह और उससे जुड़ी सुविधाओं के कार्य समापन का प्रमाण-पत्र ।

(ङ) जहाँ जिला प्राधिकारी अनुज्ञप्ति जारीकर्ता प्राधिकारी नहीं है, संबंधित जिला प्राधिकारी की ओर से जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र की मूल प्रति और उसके साथ सम्यक रूप से पृष्ठांकित खोंका ।

(च) नियम 29 में यथा विहित अपेक्षित अनुज्ञप्ति फीस ।

34. जिला प्राधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किए जाने और अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया -

(1) मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक से अनुज्ञप्ति प्राप्त करने का इच्छुक आवेदक नियम 30 के उप नियम (3) के अधीन अनुमोदित खॉके के सेट के साथ जिला प्राधिकारी को इस आशय का प्रमाण-पत्र जारी किए जाने हेतु आवेदन करेगा कि प्रस्तावित स्थल के लिए आवेदक को अनुज्ञप्ति प्राप्त किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है ।

(2) (क) अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किए जाने या अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए आवेदन प्राप्त होने पर जिला प्राधिकारी आवेदक के पूर्ववृत्त, स्थल का विधिमान्य कब्जा, प्रयोजन की असलीयत, जनता के हित और आवश्यक समझे गए किसी अन्य विषय का सत्यापन करेगा और यथास्थिति, कोई अन्य सत्यापन या पूछताछ भी करेगा जिसे करने के लिए अनुज्ञप्ति जारीकर्ता प्राधिकारी विशेष रूप से अपेक्षा करे या आवश्यक समझे ।

(ख) यदि प्रस्तावित स्थल का क्षेत्र भारतीय खान अधिनियम, 1952 के अधीन आता है तो अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए खान सुरक्षा महानिदेशक प्राधिकारी होगा ।

(3) जिला प्राधिकारी या खान सुरक्षा महानिदेशक द्वारा विनिर्माण या संपरिवर्तन/भण्डारण के लिए जारी किए गए अनापत्ति प्रमाण-पत्र या विस्फोटक नियम, 2008 के अधीन जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के दायरे में यदि वह स्थान शामिल है जहाँ ये कार्य पहले से विद्यमान हैं तो उसके लिए नए सिरे से अनापत्ति प्रमाण-पत्र अपेक्षित नहीं होगा ।

(4) जिला प्राधिकारी तीन मास की अवधि के भीतर या यथाशक्य शीघ्र जाँच पूरी करेगा और ऐसा प्राधिकारी अपना समाधान कर लेने के बाद अनुसूची-2 के भाग-4 के प्ररूप ग-2 में अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करेगा या यथास्थिति, अनुज्ञप्ति प्रदान करेगा और साथ ही ऐसे प्राधिकारी द्वारा स्थल योजना पर सम्यक रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे और मुहर लगाई जाएगी ।

(5) यदि यथास्थिति, जिला प्राधिकारी या खान सुरक्षा महानिदेशक अनापत्ति प्रमाण-पत्र के प्रयोजन से संबंधित किसी आधार पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाने के लिए इंकार करता है तो केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के बिना अनुज्ञप्ति जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति प्रदान की जाएगी अन्यथा नहीं ।

(6) यथास्थिति, जिला प्राधिकारी या खान सुरक्षा महानिदेशक अनापत्ति प्रमाण-पत्र या अनुज्ञप्ति प्रदान करेगा या अनापत्ति प्रमाण-पत्र या यथास्थिति, अनुज्ञप्ति प्रदान करने से अपने इंकार की सूचना लिखित में उसके कारणों के साथ यथाशक्य, शीघ्र देगा, किन्तु आवेदक से आवेदन प्राप्त करने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर आवेदक को देगा ।

35. अनुज्ञप्ति प्रदान किया जाना-

- (1) अनुज्ञप्ति जारीकर्ता प्राधिकारी अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट प्ररूप में अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए प्राप्त दस्तावेजों से अपना समाधान कर लेने और ऐसी जाँच, यदि कोई हो, जैसी वह उचित समझे, करने के बाद अधिनियम के अन्य प्रावधानों और इन नियमों के अध्याधीन, लिखित में आदेश पारित करके या तो अनुज्ञप्ति प्रदान करेगा या उसे प्रदान करने से इंकार करेगा।
- (2) प्ररूप त-4 में अमोनियम नाइट्रेट या अमोनियम नाइट्रेट गलन के परिवहन के लिए अनुज्ञप्ति केवल प्ररूप त-1, त-2, त-3 और त-5 में विधिमान्य अनुज्ञप्ति धारकों को प्रदान की जाएगी।
- (3) अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्त परिसर की सुविधाओं का सत्यापन करेगा और समाधान हो जाने पर अनुज्ञप्ति को पृष्ठांकित करेगा।
- (4) अनुज्ञापन प्राधिकारी, अनुज्ञप्ति के लिए अतिरिक्त शर्तें, यदि आवश्यक हो, अधिरोपित कर सकेगा।
- (5) जिला प्राधिकारी, यदि अपेक्षित हो, कोई विशेषज्ञ राय अभिप्राप्त करने के लिए मुख्य नियंत्रक को निर्दिष्ट कर सकेगा।

36. अनुज्ञप्ति का नवीकरण-

- (1) ऐसी अनुज्ञप्तियों के सिवाए जिन्हें अमोनियम नाइट्रेट के आयात और निर्यात के लिए प्रदान किया गया हो प्रत्येक अनुज्ञप्ति 31 मार्च को समाप्त होने वाले पाँच वित्त वर्षों की अधिकतम अवधि के लिए नवीकरणीय होगी।
- (2) अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए उप-नियम (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे, अर्थात:-
 - (क) प्ररूप द-1 में आवेदन;
 - (ख) मूल अनुज्ञप्ति;
 - (ग) नियम 29 में यथा-विनिर्दिष्ट अपेक्षित नवीकरण शुल्क।
- (3) अनुज्ञप्ति का नवीकरण ऐसी अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए अधिकृत प्राधिकारी द्वारा किया जा सकेगा: परन्तु मुख्य नियंत्रक द्वारा प्रदान की गई अनुज्ञप्ति का नवीकरण इस निमित्त मुख्य नियंत्रक द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किए गए नियंत्रक द्वारा किसी प्रकार के परिवर्तन के बिना किया जा सकता है।

परन्तु यह और कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदान की गई अनुज्ञप्ति का नवीकरण इस निमित्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किए गए उप-संभागीय मजिस्ट्रेट या कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा किसी प्रकार के परिवर्तन के बिना किया जा सकता है ।

(4) अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन अनुज्ञप्ति फीस के साथ ऐसे प्रस्तुत किया जाएगा कि वह अनुज्ञापन प्राधिकारी या अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए अधिकृत प्राधिकारी के पास उस तारीख से तीन मास पूर्व की तारीख (अर्थात् 31 दिसम्बर) या उससे पहले पहुँच जाए जिस तारीख को अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता समाप्त होती है ।

परन्तु 31 दिसम्बर के बाद अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता समाप्त होने की तारीख तक प्राप्त हुए आवेदन को विलम्ब से प्राप्त आवेदन समझा जाएगा और तब अनुज्ञप्ति का नवीकरण एक वर्ष के अनुज्ञप्ति फीस के बराबर विलम्ब फीस का भुगतान प्राप्त करने पर किया जाएगा ।

(5) यदि अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन अनुज्ञापन या नवीकरण प्राधिकारी के पास अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता समाप्त होने की तारीख या उससे पहले पहुँचता है तो अनुज्ञप्ति को उस तारीख तक प्रभाव में समझा जाएगा जब तक अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्ति का नवीकरण नहीं करता है या जब तक आवेदक को यह सूचना नहीं दी जाती है कि अनुज्ञप्ति के नवीकरण से इंकार किया गया है और यदि अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता की तारीख तक उसके नवीकरण के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं होता तो अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता समाप्त हो जाएगी ।

(6) प्रत्येक वर्ष के लिए अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए वही फीस प्रभारित की जाएगी जो उसे प्रदान करने के लिए प्रभारित की गई है ।

(7) जहाँ एक से अधिक वित्त वर्षों के लिए नवीकृत कोई अनुज्ञप्ति विधिमान्यता समाप्त होने से पहले अभ्यर्पित की जाती है, वहाँ अनुज्ञप्ति की अवसान नहीं हुई अवधि वाली नवीनीकरण फीस अनुज्ञप्ति धारी को लौटा दी जाएगी ।

परन्तु जिस वित्त वर्ष के दौरान अनुज्ञापन प्राधिकारी अभ्यर्पण हेतु नवीकृत अनुज्ञप्ति प्राप्त करेगा उसकी नवीकरण फीस नहीं लौटाई जाएगी ।

(8) यदि किसी अनुज्ञप्ति का नवीकरण मुख्य नियंत्रक या किसी नियंत्रक द्वारा किया गया है तो इस आशय की सूचना संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी और यदि अनुज्ञप्ति का नवीकरण जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया है तो उस आशय की सूचना संबंधित अधिकारिता वाले नियंत्रक को भेजी जाएगी ।

37. परिसर या अनुज्ञापन हैसियत में अपवर्तन या परिवर्तन, किन्तु जिसमें अनुज्ञप्ति धारक या भागीदारों या निदेशकों या सदस्यों के नाम का परिवर्तन अंतर्गस्त न हो, के संबंध में अनुज्ञप्ति का संशोधन-

(1) यदि संशोधन इन नियमों के उपबंधों के अनुरूप हों तो अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए अधिकृत प्राधिकारी द्वारा इन नियमों के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञप्ति में संशोधन किया सकता है।

(2) अपनी अनुज्ञप्ति का संशोधन कराने का इच्छुक अनुज्ञप्ति धारक अनुज्ञापन प्राधिकारी के समक्ष निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करेगा, अर्थात:-

(क) अनुसूची 2 के भाग 1 के अनुसार समुचित प्ररूप में आवेदन जिसमें संशोधन की प्रकृति और उसके कारणों का उल्लेख किया गया हो;

(ख) संलग्नकों के साथ मूल अनुज्ञप्ति;

(ग) प्रस्तावित संशोधन के ब्यौरे दर्शाने वाले आरेख यदि संशोधन के प्रयोजन के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा ऐसे आरेखों की अपेक्षा की जाए;

(घ) नियम 29 में यथा विहित अपेक्षित संशोधन फीस।

(3) अनुज्ञापन प्राधिकारी उप-नियम (2) के अधीन प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की संवीक्षा के पश्चात, तथा ऐसी और जाँच करने और ऐसी कार्रवाई करने जैसी आवश्यक समझी जाए के पश्चात अनुज्ञप्ति का संशोधन कर सकेगा।

38. भागीदारों या निदेशकों या सदस्यों या अधिष्ठाता के परिवर्तन के लिए प्रक्रिया - जब कभी किसी अनुज्ञप्ति धारक यथास्थिति, भागीदारी फर्म या सोसाइटी या संगम या कम्पनी के नाम में परिवर्तन के बगैर ऐसी भागीदारी फर्म या सोसाइटी या संगम या कम्पनी में किसी नए भागीदार या सदस्य या निदेशक को सम्मिलित किया जाता है, तो अनुज्ञप्ति धारक अनुज्ञप्ति जारीकर्ता प्राधिकारी को ऐसे नए सम्मिलित भागीदारों या सदस्यों या निदेशकों को स्वीकार करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रस्तुत करेगा,-

(क) अनुसूची 2 के भाग 1 के अनुसार समुचित प्ररूप में आवेदन जिसमें संशोधन की प्रकृति और उसके कारणों का उल्लेख किया गया हो;

(ख) यथास्थिति, नए सम्मिलित निदेशकों या भागीदारों या पदाधिकारियों के नाम और पते; और यदि अधिष्ठाता को परिवर्तित किया जाता है तो नए अधिष्ठाता का फोटोग्राफ;

(ग) यथास्थिति, निदेशकों या भागीदारों या पदाधिकारियों को सम्मिलित किए जाने संबंधी दस्तावेजी साक्ष्य और उनके नमूना हस्ताक्षर;

- (घ) नए अधिष्ठाता के छह पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ जिसके ऊपर उसने अपने हस्ताक्षर किए हों और अधिष्ठाता के रूप में नामांकन के दस्तावेज़ी साक्ष्य;
- (ङ) जिला प्राधिकारी से यथास्थिति, नए सम्मिलित निदेशकों या भागीदारों या पदाधिकारियों के पूर्ववृत्त के सत्यापन का प्रमाण-पत्र, जहाँ जिला प्राधिकारी अनुज्ञप्ति जारीकर्ता प्राधिकारी नहीं है;
- (च) अनुलग्नकों के साथ मूल अनुज्ञप्ति; और
- (छ) नियम 29 में यथा विहित अपेक्षित संशोधन फीस ।

39. अनुज्ञप्ति का अनुमोदन करने, उसे प्रदान किए जाने या उसका संशोधन करने से इंकार-

अनुज्ञप्ति का संशोधन करने सहित उसके लिए अनुमोदन करने या उसे प्रदान करने से इंकार करने वाला अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसे इंकार के कारणों को लिखित में अभिलेख करेगा और उसकी सूचना आवेदक को देगा और ऐसे इंकार से पहले, आवेदक को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा ।

40. अनुज्ञप्ति का नवीकरण करने से इंकार-

(1) अनुज्ञप्ति का नवीकरण करने से इंकार करने वाला अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसे इंकार के कारणों को लिखित में अभिलेख करेगा ।

(2) यदि अधिनियम या इन नियमों के अनुसार किसी अनुज्ञप्ति को रद्द किया जा सकता है तो अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसी अनुज्ञप्ति का नवीकरण करने से इंकार कर देगा ।

(3) अनुज्ञप्ति के नवीकरण से इंकार के कारणों का एक संक्षिप्त विवरण माँग किये जाने पर अनुज्ञप्ति धारक को तब ही दिया जाएगा जब किसी मामले में अनुज्ञापन प्राधिकारी की यह राय न हो कि उसे दिया जाना लोक हित में नहीं है;

(4) जहाँ अनुज्ञप्ति के नवीकरण से इंकार किया जाता है, नवीकरण के लिए भुगतान की गई फीस को उस तारीख, जिस तारीख को अनुज्ञप्ति का नवीकरण किया जाना था से शुरू होकर उस तारीख, जिस तारीख को उसके नवीकरण करने से इंकार किया गया, तक की अवधि के लिए आनुपातिक फीस की कटौती करके अनुज्ञप्ति धारक को लौटा दिया जाएगा ।

(5) नियम के अधीन अनुज्ञप्ति के नवीकरण से इंकार करने से पहले अनुज्ञप्ति धारक को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा ।

41. अनापत्ति प्रमाण-पत्र को रद्द किया जाना-

(1) नियम 34 के अधीन प्रदान किए गए अनापत्ति प्रमाण-पत्र को उसे जारी करने वाले प्राधिकारी या उससे वरिष्ठतर प्राधिकारी द्वारा रद्द किया जा सकता है यदि ऐसे प्राधिकारी का यह समाधान होता है कि-

(क) अनुज्ञप्ति धारी का परिसर पर विधिमान्य कब्जे का अधिकार नहीं रह गया है;

(ख) अनुज्ञप्ति धारी को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय 8 के अधीन किसी आपराधिक कृत्य के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है और दण्डित किया गया है या उसे अच्छे व्यवहार के लिए शांति बनाए रखने के लिए एक बंधपत्र निष्पादित करने के लिए आदेश पारित किया गया है;

(ग) लोक शांति और सुरक्षा के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र को रद्द किया जाना नितांत आवश्यक है:

परन्तु अनापत्ति प्रमाण-पत्र रद्द करने से पहले अनुज्ञप्ति धारी को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा ।

(2) अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने वाला प्राधिकारी या अनापत्ति प्रमाण-पत्र रद्द करने वाली राज्य सरकार ऐसे रद्दकरण के कारणों को लिखित में अभिलेख करेगा/करेगी और अनापत्ति प्रमाण-पत्र को निरस्त करने और ऐसे निरस्तकरण के कारणों के आदेश की एक प्रति तत्काल अनुज्ञप्ति धारक और संबंधित अनुज्ञापन प्राधिकारी को भेजेगा/भेजेगी ।

(3) यदि अनापत्ति प्रमाण-पत्र के रद्द किए जाने के विरुद्ध अपील दायर की जानी है, तो ऐसी अपील साठ दिनों की अवधि के भीतर यथास्थिति, जिला प्राधिकारी या खान सुरक्षा महानिदेशक से वरिष्ठतर प्राधिकारी के समक्ष दायर की जाएगी, और अपीलीय प्राधिकारी, यदि ऐसा वांछित है तो, मुख्य नियंत्रक से परामर्श कर सकता है ।

42. अनुज्ञप्ति का निलंबन और प्रतिसंहरण या रद्दकरण

(1) इन नियमों के अधीन प्रदान की गई प्रत्येक अनुज्ञप्ति:

(क) रद्द मानी जाएगी, यदि अनुज्ञप्ति धारी को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय 8 के अधीन किसी आपराधिक कृत्य के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है और दण्डित किया गया है या उसे अच्छे व्यवहार के लिए शांति बनाए रखने के लिए एक बंधपत्र निष्पादित करने के लिए आदेशित किया गया है;

(ख) रद्द मानी जाएगी, यदि अनापत्ति प्रमाण-पत्र जिला प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा रद्द किया गया है ।

(ग) यदि यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करने के लिए पर्याप्त आधार हैं, तो अधिनियम या इन नियमों के या ऐसी अनुज्ञप्ति में अंतर्विष्ट किसी शर्त के अतिरिक्त के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेश द्वारा या केन्द्रीय सरकार के आदेश द्वारा निलंबित या रद्द किया जा सकेगा; परन्तु इस नियम के अधीन किसी अनुज्ञप्ति को निलंबित या रद्द करने से पहले अनुज्ञप्ति धारक को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा ।

(2) निलंबन या रद्दकरण उस तारीख से प्रभावी होगा जिसका विनिर्देश उसमें किया जाए ।

(3) अनुज्ञप्ति के निलंबन या रद्दकरण का आदेश तामील किया गया माना जाएगा यदि उसे अनुज्ञप्ति में प्रविष्ट अनुज्ञप्ति धारक के पते पर डाक द्वारा भेज दिया है ।

(4) अनुज्ञप्ति का निलंबन अनुज्ञप्ति धारक को नवीकरण के लिए आवेदन करने से निवारित नहीं करेगा ।

(5) उप-नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी निम्नलिखित मामलों में अनुज्ञप्ति धारक को उसके अनुज्ञप्ति के निलंबन या रद्दकरण से पहले सुनवाई का अवसर नहीं दिया जा सकेगा-

(1) जहाँ अधिनियम या इन नियमों के उपबंधों या ऐसी अनुज्ञप्ति में उल्लिखित किसी शर्त के उल्लंघन के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अंतरिम उपाय के रूप में अनुज्ञप्ति को निलंबित किया गया है और जहाँ अनुज्ञापन प्राधिकारी की यह राय है कि ऐसे उल्लंघन से आम जनता को आसन्न खतरे की संभावना है:

परन्तु जहाँ अनुज्ञप्ति को इस प्रकार निलंबित किया गया है, वहाँ अनुज्ञापन प्राधिकारी निलंबन आदेश की पुष्टि करने से पहले अनुज्ञप्ति धारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा;
या

(2) जहाँ केन्द्रीय सरकार द्वारा लोक हित में या राष्ट्र की सुरक्षा के हित में अनुज्ञप्ति को निलंबित या रद्द किया गया है, वहाँ ऐसा अवसर नहीं दिया जाएगा ।

(6) अनुज्ञप्ति निलंबित या रद्द करने वाला/वाली अनुज्ञापन प्राधिकारी या केन्द्रीय सरकार ऐसा करने के कारणों को लिखित में अभिलेख करेगा/करेगी ।

43. अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता के अवसान, निलंबन या प्रतिसंहरण या रद्दकरण पर प्रक्रिया

(1) अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता के अवसान, उसके निलंबन या रद्दकरण की स्थिति में अनुज्ञप्ति धारक तत्काल अपने कब्जे के अमोनियम नाइट्रेट की किस्म और मात्रा के बारे में अनुज्ञापन प्राधिकारी को सूचित करेगा और उसके व्यवस्थापन के संबंध में अनुज्ञप्ति जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करेगा।

(2) यदि अनुज्ञप्ति को अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा प्रतिसंहरण या रद्द किया गया है तो अवसान नहीं हुई अवधि की फीस अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा आवेदक को लौटा दी जाएगी।

44. अपील के लिए उपबंध -

(1) अनुज्ञापन प्राधिकारी के अनुज्ञप्ति को प्रदान करने या उसके नवीकरण से इंकार करने या अनुज्ञप्ति का निलंबन या प्रतिसंहरण करने के विरुद्ध

(क) यदि आदेश मुख्य नियंत्रक द्वारा पारित किया गया है तो केन्द्रीय सरकार को

(ख) यदि आदेश नियंत्रक द्वारा पारित किया गया है तो मुख्य नियंत्रक को

(ग) यदि आदेश जिला प्राधिकारी द्वारा पारित किया गया है तो ऐसे प्राधिकारी के ठीक वरिष्ठ प्राधिकारी को अपील की जा सकेगी।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक अपील ऐसे आदेश की सूचना दिए जाने की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर दायर की जा सकेगी।

45. अपील प्राधिकारी द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया-

(1) अपील प्राप्त होने पर, और यदि ऐसी अपील अधिनियम के अनुसार स्वीकार किए जाने योग्य है, अपील प्राधिकारी, जिस आदेश के विरुद्ध अपील दायर की गई है, उसे पारित करने वाले प्राधिकारी से मामले के अभिलेख मँगवा सकता है और ऐसी आगे जाँच कर सकता है जैसी आवश्यक समझी जाए और अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के बाद अंतिम आदेश पारित कर सकता है।

(2) अपील प्राधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई अधिनियम की धारा 6 च के प्रावधानों के अनुरूप होगी।

46. अनुज्ञप्ति धारी की मृत्यु या निःशक्तता पर प्रक्रिया-

(1) यदि किसी अनुज्ञप्ति धारी की मृत्यु हो जाती है या वह दिवालिया हो जाता है या मानसिक रूप से अक्षम हो जाता है या अन्यथा निःशक्त हो जाता है तो इन नियमों के अधीन उसे प्रदान की गई अनुज्ञप्ति, अनुज्ञप्ति धारी की यथास्थिति, मृत्यु या मानसिक अक्षमता या दिवालियेपन या निःशक्तता की तारीख को निरस्त मानी जाएगी।

(2) अनुज्ञप्ति धारक के विधिक वारिस या प्रतिनिधि यथाशक्य शीघ्र

(क) अनुज्ञापन प्राधिकारी को अनुज्ञप्ति धारक की यथास्थिति, मृत्यु, उसके दिवालियेपन, उसकी मानसिक अक्षमता या अन्य निःशक्तता की तारीख सूचित करेगा; और

(ख) अनुज्ञप्त परिसर में रखे अमोनियम नाइट्रेट के व्यवस्थापन के संबंध में अनुज्ञापन प्राधिकारी के निर्देशों की प्रतीक्षा करेगा।

47. अनुज्ञप्ति का खो जाना - जहाँ इन नियमों के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञप्ति या उसकी प्रमाणित प्रति खो जाती है या दुर्घटना के कारण नष्ट हो जाती है, वहाँ नियम 29 के उपबंधों के अधीन विनिर्दिष्ट फीस का भुगतान करने पर उसकी एक अनुलिपि जारी की जा सकेगी।

अध्याय- 8

प्राधिकारियों में निहित शक्तियाँ

48. अनुज्ञप्ति या पास मॉगने की अधिकारियों की शक्ति-

प्रत्येक व्यक्ति, जिसके पास इन नियमों के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञप्ति हो वह, नियम 50 में विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी के ऐसा करने के लिए कहने पर ऐसे समय और स्थान पर जैसे ऐसा अधिकारी निदेश करे, उसे या उसकी एक प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करेगा।

(1) पारगमन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट या अमोनियम नाइट्रेट गलन के खेप का भारसाधक प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास इन नियमों के अधीन जारी वैध पास हो, नियम 50 में विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी के ऐसा करने के लिए कहने पर उसे प्रस्तुत करेगा।

(2) किसी अनुज्ञप्ति की प्रतियाँ, इन नियमों के प्रयोजनों के लिए, अनुज्ञप्ति प्रदान करने वाले प्राधिकारी से बिना किसी प्रभार के बगैर प्रमाणित कराई जा सकती हैं।

49. प्राधिकारियों पर कार्यकारी नियंत्रण - इन नियमों के अधीन कार्य करने वाला केन्द्रीय सरकार से भिन्न प्रत्येक प्राधिकारी केन्द्रीय सरकार के निर्देशों और नियंत्रण के अधीन होगा:

परन्तु इन नियमों की कोई बात मुख्य नियंत्रक की अपने अधीनस्थों पर कार्यकारी नियंत्रण की शक्तियों पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी।

50. तलाशी और जब्ती की शक्तियाँ

(1) नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट कोई प्राधिकारी उस सारणी के स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अधिकारिता के भीतर -

- (क) किसी स्थान, विमान, ट्रेन, पोत, समुद्री-नौका या किसी परिवहन माध्यम जिसमें इन नियमों के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञप्ति के अधीन अमोनियम नाइट्रेट का विनिर्माण, संपरिवर्तन, कब्जा, उपयोग, विक्रय, परिवहन, निर्यात या आयात किया जा रहा है या जिसमें उसे यह विश्वास करने का कारण है कि इन नियमों का उल्लंघन करते हुए अमोनियम नाइट्रेट का विनिर्माण, संपरिवर्तन, कब्जा, उपयोग, विक्रय, परिवहन, निर्यात या आयात किया गया है या किया जा रहा है, में प्रवेश कर सकता है, का निरीक्षण और जाँच कर सकता है;
- (ख) अमोनियम नाइट्रेट की तलाश कर सकता है;

(ग) उसमें पाए गए अमोनियम नाइट्रेट को उससे संबंधित दस्तावेजों के साथ, जिनके बारे में उसे यह विश्वास करने का कारण है कि अधिनियम या इन नियमों के किन्हीं प्रावधानों का अतिलंघन किया गया है, किसी अमोनियम नाइट्रेट के नमूने ले सकता है जब्त, निरुद्ध और निराकरण कर सकता है।

सरणी

क्रम संख्या	प्राधिकारी	अधिकारिता
1.	सभी जिला मजिस्ट्रेट	उनकी संबंधित अधिकारिता
2.	जिला मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ सभी कार्यकारी मजिस्ट्रेट	उनकी संबंधित अधिकारिता
3.	सभी पुलिस आयुक्त या पुलिस अधिकारी जिनका रैंक पुलिस उप निरीक्षक के रैंक के नीचे का न हो	उनकी संबंधित अधिकारिता
4.	खान सुरक्षा महानिदेशक या उसके अधीनस्थ अधिकारी	उनकी संबंधित अधिकारिता
5.	मुख्य नियंत्रक या विस्फोटक नियंत्रक	भारत के सभी भाग

51. अतिलंघन की रिपोर्ट पर प्रक्रिया

(1) जब कभी मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को अधिनियम या इन नियमों के अतिलंघन के बारे में कोई रिपोर्ट की जाए, जिला मजिस्ट्रेट तत्काल कार्रवाई करेगा और ऐसी रिपोर्ट पर स्वयं द्वारा की गई कार्रवाई की सूचना यथास्थिति, मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक को देगा।

(2) मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक जब कभी कोई अमोनियम नाइट्रेट पाते हैं जिसके संबंध में यथास्थिति, मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक को यह विश्वास करने का कारण है कि इन नियमों के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन किया गया है या उसकी राय में जो भण्डारण, परिवहन या उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं रह गया है और ऐसे नियंत्रक को मामला गंभीर प्रतीत होता है और अनता, स्थान और अमोनियम नाइट्रेट के स्वामी के लिए गंभीर खतरा प्रतीत होता है, तो वह ऐसे अमोनियम नाइट्रेट को नष्ट कर सकता है।

(3) इस नियम की कोई बात अमोनियम नाइट्रेट या उसका मिश्रण अंतर्विष्ट करने वाली कामचलाऊ विस्फोटक युक्ति पर लागू नहीं होगी ।

अध्याय- 9

दुर्घटनाएं, पूछताछ और रिपोर्टें

52. किसी हानि या चोरी की सूचना - अनुज्ञप्ति धारक अपने कब्जे में रखे अमोनियम नाइट्रेट या अमोनियम नाइट्रेट गलन की अंतर्गस्त किसी हानि या चोरी, जहाँ हानि अमोनियम नाइट्रेट के रोजमर्रा के उत्पादन, भण्डारण, परिवहन, या उपयोग के दौरान प्रतीकात्मक रूप से होने वाली हानि की मात्रा से अधिक हानि होती है, की सूचना हानि या चोरी के लिए जिम्मेदार परिस्थितियों के व्यौर देते हुए अनुज्ञापन प्राधिकारी और संबंधित जिला प्राधिकारी को देगा और हानि या चोरी की सूचना निकटतम स्थानीय पुलिस स्टेशन को भी दी जाएगी ।

53. दुर्घटना की सूचना-

(1) अधिनियम की धारा 8 के अधीन दिए जाने के लिए दुर्घटना की आवश्यक सूचना दुर्घटना के चौबीस घण्टे की अवधि के भीतर टेलिफोन, टेलिग्राम, ई-मेल, फैक्स द्वारा या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या विशेष संदेशवाहक द्वारा और उसके बाद लिखित रिपोर्ट के रूप में जिस पर अधिष्ठाता या प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों, दुर्घटना, मानव जीवन की हानि, व्यक्तियों को पहुँची चोट, सम्पत्ति को नुकसान, की गई आपातक कार्यवाई आदि के व्यौर देते हुए निम्नलिखित को दी जाएगी-

(क) मुख्य नियंत्रक;

(ख) नियंत्रक जिसकी अधिकारिता में दुर्घटना घटी;

(ग) जिला मजिस्ट्रेट; और

(घ) निकटतम पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी ।

(2) जब तक मुख्य नियंत्रक या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि नहीं आता या मुख्य नियंत्रक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि से यह अनुदेश प्राप्त नहीं होता कि वह कोई आगे अन्वेषण या जाँच करवाने का इच्छुक नहीं है, किसी मलवे और कचरे को तब के सिवाए जब दुर्घटना से घायल हुए व्यक्तियों को बचाने और मारे गए किन्हीं व्यक्तियों के शव निकालने के लिए और हवाई अड्डे, पत्तन या रेल या उठाई/धराई स्थान के बारे में, संचरण व्यवस्था बहाल करने के लिए उन्हें हटाना जरूरी हो, कोई हाथ से नहीं छुएगा ।

(3) मुख्य नियंत्रक या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि, यदि उसके द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाए, को निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा सभी तरह की सहायता प्रदान की जाएगी।

54. जॉच न्यायालय में प्रक्रिया- (1) मुख्य नियंत्रक, सशस्त्र बलों या आयुध कारखानों या ऐसे बलों की अन्य स्थापनाओं के प्रमुखों से उस जॉच न्यायालय में प्रतिनिधित्व कराने की व्यवस्था करेगा, जहाँ वह चाहता है।

(2) मुख्य नियंत्रक को न्यायालय की उस कार्यवाही की प्रतियाँ प्रदान की जाएगी जहाँ उसका प्रतिनिधित्व नहीं होता है।

(3) यथास्थिति, सशस्त्र बलों या आयुध कारखानों या ऐसे बलों की अन्य स्थापनाओं के प्रमुख मुख्य नियंत्रक को दुर्घटना के बारे में तत्काल ऐसी जानकारी उपलब्ध कराने में सहयोग देंगे जिसके बारे में वह ईंगित करे, जिसके परिणामस्वरूप जॉच न्यायालय का समन जारी किया जा सके।

(4) मुख्य नियंत्रक व्यक्तिगत रूप में उपस्थित हो सकता है या अपने एक प्रतिनिधि को भेज सकता है और दोनों में से किसी मामले में वह, यदि ऐसा चाहे तो, गवाहों की जॉच करने के लिए अधिकृत होगा।

55. दुर्घटना की जॉच-

(1) जब कभी जिला मजिस्ट्रेट अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) के अधीन जॉच करे, वह अधिकारी मुख्य नियंत्रक या उसके द्वारा नामनिर्देशित अधिकारी के कार्यवाही देखने के लिए उपस्थित न होने तक या ऐसे मजिस्ट्रेट को मुख्य नियंत्रक से यह सूचना प्राप्त होने तक कि अधिकारी प्रतिनिधि भेजने का इच्छुक नहीं है, ऐसी जॉच स्थगित रखेगा।

(2) जिला मजिस्ट्रेट स्थगित जॉच करने से कम से कम इक्कीस दिन पहले स्थगित जॉच करने के समय और स्थान की लिखित में सूचना मुख्य नियंत्रक को भेजेगा।

(3) जहाँ किसी दुर्घटना में मानव जीवन की हानि हुई है वहाँ जिला मजिस्ट्रेट, स्थगन से पहले, मृतकों की पहचान के लिए साक्ष्य ले सकता है और उनके निषटान का आदेश पारित कर सकता है।

(4) मुख्य नियंत्रक या उसका प्रतिनिधि विधि के बिन्दुओं पर जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अधीन रहते हुए ऐसी जाँच में किसी गवाह की पड़ताल के लिए स्वतंत्र होगा।

(5) जहाँ जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आयोजित किसी जाँच में मुख्य नियंत्रक उपस्थित नहीं होता या उसका प्रतिनिधित्व नहीं होता, ऐसी जाँच की कार्यवाही रिपोर्ट की एक प्रति उसे भी भेजी जाएगी।

56. अधिक गंभीर दुर्घटनाओं की जाँच - (1) जब कभी अधिनियम की धारा 9 क के अधीन जाँच की गई हो, ऐसी जाँच आयोजित करने वाले व्यक्ति उसका आयोजन खुले न्यायालय में, ऐसे रीति से और ऐसी स्थितियों में जैसे वे दुर्घटना के कारणों और परिस्थितियों का पता लगाने के लिए और उन्हें इस नियम के अधीन रिपोर्ट बनाने के लिए समर्थ करने के लिए सर्वाधिक प्रभावी समझें, करेंगे: परन्तु जहाँ केन्द्र सरकार ऐसे निर्देश करे जाँच बंद कमरे में आयोजित की जा सकेगी।

(2) जब कभी मुख्य नियंत्रक से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उप-नियम (1) के अधीन जाँच आयोजित की जाए, तो ऐसा व्यक्ति ऐसी जाँच और उसकी किसी स्थगित जाँच में मुख्य नियंत्रक के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करेगा।

(3) जाँच आयोजित करने वाला व्यक्ति जाँच ~~या~~ किसी स्थगित जाँच के आयोजन से कम से कम इक्कीस दिन पहले ऐसी जाँच के आयोजन के समय और स्थान की लिखित में सूचना मुख्य नियंत्रक को भेजेगा।

(4) मुख्य नियंत्रक व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित हो सकता है या एक प्रतिनिधि भेज सकता है और दोनों में से किसी मामले में वह, ऐसे इच्छुक होने पर, गवाहों की पड़ताल करने के लिए अधिकृत होगा।

अध्याय- 10

प्रशासनिक कार्रवाई

57. सदभाव से की गई कार्रवाई का संरक्षण - इन नियमों के अनुसरण में जो सदभाव से की गई है या किए जाने के लिए आशयित है सरकार या सरकार के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या कोई अन्य विधिक कार्यवाही नहीं चलाई जा सकेगा/सकेगी।

58. उल्लंघन के लिए निरीक्षण के बाद प्रशासनिक कार्रवाई - निरीक्षण प्राधिकारी परिसर का निरीक्षण करके अनुज्ञप्ति धारक और अनुज्ञापन प्राधिकारी को लिखित में अपने प्रेक्षण, विसंगतियों या नियमों के उल्लंघन, यदि कोई हों, या अनुज्ञप्ति की शर्तें भंग किए जाने के बारे में सूचित करेगा; और निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी को पृष्ठांकित की जाएगी।

अनुसूची 1

अनुज्ञप्तियाँ और अनुज्ञापन प्राधिकारी

(नियम 28 देखें)

क्रम संख्या	किस उद्देश्य से प्रदान किया गया	अनुज्ञप्ति का प्ररूप	अनुज्ञापन प्राधिकारी
1.	अमोनियम नाइट्रेट के विनिर्माण और कब्जे में रखने या अमोनियम नाइट्रेट गलन से ठोस और ठोस से गलन में संपरिवर्तन और विक्रय के लिए कब्जे में रखने के लिए अनुज्ञप्ति	त - 1	मुख्य नियंत्रक या मुख्य नियंत्रक द्वारा प्राधिकृत नियंत्रक
2.	अमोनियम नाइट्रेट के नौभरण एवं पेटी में रखने और भण्डारण के लिए अनुज्ञप्ति	त - 2	मुख्य नियंत्रक
3.	(क) किसी भण्डार गृह से 30 मैट्रिक टन से अनधिक अमोनियम नाइट्रेट का विक्रय या प्रयोग हेतु कब्जे में रखने के लिए अनुज्ञप्ति	त - 3	जिला प्राधिकारी
	(ख) किसी भण्डार गृह से 30 मैट्रिक टन से अधिक अमोनियम नाइट्रेट का विक्रय या प्रयोग हेतु कब्जे में रखने के लिए अनुज्ञप्ति	त - 3	मुख्य नियंत्रक या मुख्य नियंत्रक द्वारा प्राधिकृत नियंत्रक
	(ग) किसी विस्फोटक विनिर्माता/ नाइट्रोअस ऑक्साइड विनिर्माता इकाई से संबद्ध भण्डार गृह अमोनियम नाइट्रेट प्रयोग हेतु कब्जे में रखने के लिए अनुज्ञप्ति	त - 3	मुख्य नियंत्रक या मुख्य नियंत्रक द्वारा प्राधिकृत नियंत्रक
	(घ) किसी भण्डार गृह से कृषिय प्रयोजन के लिए अमोनियम नाइट्रेट प्रयोग हेतु कब्जे में रखने के लिए अनुज्ञप्ति	त - 3	जिला प्राधिकारी या जिला प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
4.	(क) विक्रय या प्रयोग के लिए कब्जे में रखने के लिए जिला प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त अनुज्ञप्तियों के लिए अमोनियम नाइट्रेट के परिवहन लिए अनुज्ञप्ति	त - 4	जिला प्राधिकारी या जिला प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(ख) विक्रय या प्रयोग के लिए कब्जे में रखने के लिए मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक द्वारा प्रदत्त अनुज्ञप्तियों के लिए अमोनियम नाइट्रेट के परिवहन के लिए अनुज्ञप्ति

मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक

5. (क) अमोनियम नाइट्रेट के निर्यात के लिए त-5 अनुज्ञप्ति; या

मुख्य नियंत्रक

(ख) अमोनियम नाइट्रेट के आयात के लिए अनुज्ञप्ति

अनुसूची 2

भाग - 1

आवेदन प्ररूप

(अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 का नियम 33, 35 और देखें)

प्ररूप संख्या	उद्देश्य
क-1	अमोनियम नाइट्रेट के विनिर्माण और विक्रय के लिए कब्जे में रखने या अमोनियम नाइट्रेट गलन से ठोस और ठोस से गलन में संपरिवर्तन और विक्रय के लिए कब्जे में रखने के लिए अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन
क-2	अमोनियम नाइट्रेट के नौभरण एवं पेटी में रखने और भण्डारण के लिए अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन
क-3	निम्नलिखित के लिए आवेदन (क) किसी भण्डार गृह से 30 मेट्रिक टन से अनधिक अमोनियम नाइट्रेट के विक्रय या प्रयोग हेतु कब्जे में रखने के लिए अनुज्ञप्ति (ख) किसी भण्डार गृह से 30 मेट्रिक टन से अधिक अमोनियम नाइट्रेट के विक्रय या प्रयोग हेतु कब्जे में रखने के लिए अनुज्ञप्ति (ग) किसी विस्फोटक विनिर्माता/नाइट्रुस नाइट्र ऑक्साइड विनिर्माता इकाई से संबद्ध भण्डार गृह अमोनियम नाइट्रेट के प्रयोग हेतु कब्जे में रखने के लिए अनुज्ञप्ति (घ) किसी भण्डार गृह से कृषिय प्रयोजन के लिए अमोनियम नाइट्रेट के प्रयोग हेतु कब्जे में रखने के लिए अनुज्ञप्ति

क-4	अमोनियम नाइट्रेट परिवहन हेतु अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन
क-5	अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन (क)अमोनियम नाइट्रेट का आयात; या (ख)अमोनियम नाइट्रेट का निर्यात

भाग - 2

अनुज्ञप्ति प्ररूप

(अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 का नियम 35 देखें)

प्ररूप संख्या	उद्देश्य
त-1	अमोनियम नाइट्रेट के विनिर्माण और विक्रय के लिए कब्जे में रखने या अमोनियम नाइट्रेट गलन से ठोस और ठोस से गलन में संपरिवर्तन और विक्रय के लिए कब्जे में रखने के लिए अनुज्ञप्ति
त-2	अमोनियम नाइट्रेट के नौभरण एवं पेटी में रखने और भण्डारण के लिए अनुज्ञप्ति
त-3	(क) किसी भण्डार गृह से 30 मैट्रिक टन से अनधिक अमोनियम नाइट्रेट के विक्रय या प्रयोग हेतु कब्जे में रखने के लिए अनुज्ञप्ति (ख) किसी भण्डार गृह से 30 मैट्रिक टन से अधिक अमोनियम नाइट्रेट के विक्रय या प्रयोग हेतु कब्जे में रखने के लिए अनुज्ञप्ति (ग) किसी विस्फोटक विनिर्माता/ नाइट्रुस ऑक्साइड विनिर्माता इकाई से संबद्ध भण्डार गृह अमोनियम नाइट्रेट के प्रयोग हेतु कब्जे में रखने के लिए अनुज्ञप्ति (घ) किसी भण्डार गृह से कृषिय प्रयोजन के लिए अमोनियम नाइट्रेट के प्रयोग हेतु कब्जे में रखने के लिए अनुज्ञप्ति
त-4	अमोनियम नाइट्रेट के परिवहन के लिए अनुज्ञप्ति
त-5	(क)अमोनियम नाइट्रेट के आयात के लिए अनुज्ञप्ति; या (ख)अमोनियम नाइट्रेट के निर्यात के लिए अनुज्ञप्ति

भाग - 3

विवरणी प्ररूप

(अमोनियम नाइट्रेट नियम 2011 का नियम 14, 18, 20, 21, 27 और 36 देखें)

प्ररूप संख्या	उद्देश्य
द-1	अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए आवेदन
द-2	अनुज्ञप्तिधारक द्वारा लेखाजोखा रखे जाने का प्ररूप - विनिर्मित, संपरिवर्तित अमोनियम नाइट्रेट का लेखाजोखा
द-3	आयातकर्ता द्वारा लोडिंग के स्थान या पत्तन से अमोनियम नाइट्रेट का प्रेषण किए जाने पर मुख्य नियंत्रक को प्रेषित किया जाने वाला घोषणापत्र
द-4	आयातक प्रेषण अनुसूची
द-5	जहाज से सामान उतारने/ लादने वाले एजेंट द्वारा लेखाजोखा रखे जाने का प्ररूप - अमोनियम नाइट्रेट के जहाज पर लादने/ उतारने, रखने एवं प्रेषण का लेखाजोखा
द-6	परिवहन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अभिलेख रखे जाने का प्ररूप - अमोनियम नाइट्रेट या मेल्ट के ट्रक या टैंकर द्वारा परिवहन का अभिलेख
द-7	अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लेखाजोखा रखे जाने का प्ररूप - अमोनियम नाइट्रेट के विक्रय का लेखाजोखा
द-8	अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लेखाजोखा रखे जाने का प्ररूप - अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अमोनियम नाइट्रेट के प्रयोग का लेखाजोखा
द-9	अमोनियम नाइट्रेट की मासिक विवरणी
द-10	अमोनियम नाइट्रेट के मांगपत्र का प्ररूप
द-11 (क)	अमोनियम नाइट्रेट के पारेषण के प्रेषण से पहले पारेषिती द्वारा पुलिस अधीक्षक को सूचना दिए जाने सम्बन्धी प्ररूप
द-11(ख)	अमोनियम नाइट्रेट के पारेषण के परिवहन हेतु पारेषिती द्वारा जारी किया गया पास

भाग - 4

प्रमाणपत्र

(अमोनियम नाइट्रेट नियम 2012 का नियम 18 और 34 देखें)

प्ररूप संख्या	उद्देश्य
ग-1	पत्तन में प्रवेश करने से पूर्व अमोनियम नाइट्रेट ले जाने वाले जहाज के मास्टर या जहाज के एजेन्ट द्वारा की जाने वाली घोषणा
ग-2	अनापत्ति प्रमाणपत्र का प्ररूप

प्ररूप क - 1

(अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 की अनुसूची 2 के भाग 1 और नियम 33, 35 और 37 देखें)

अमोनियम नाइट्रेट/कैल्सियम अमोनियम नाइट्रेट विनिर्माण और विक्रय के लिए कब्जे में रखने या अमोनियम नाइट्रेट गलन को ठोस या ठोस को गलन में संपरिवर्तित करने और विक्रय के लिए कब्जे में रखने हेतु अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन

मैं, की ओर से निम्नलिखित प्रयोजन के लिए अनुज्ञप्ति के अनुमोदन या अनुदान या संशोधन ⁽¹⁾ के लिए आवेदन करता हूँ -

उद्देश्य:

1. नाम : मुझे अनुज्ञप्ति निम्नलिखित नाम एवं डाक के पते पर अपेक्षित है -

(क) नाम ,जिसमें अनुज्ञप्ति अनुदत्त किए जाने की अपेक्षा की गई है (नीचे नोट्स देखें)

(ख) प्रास्थिति⁽²⁾

(ग) आयु/⁽³⁾

(घ) डाक पता

शहर जिला राज्य पिन कोड

पुलिस थाना..... रेल्वे स्टेशन या स्टीमर घाट

फोन ई-मेल फैक्स

2. प्रस्तावित परिसर निम्नलिखित पते पर स्थित है-
 सर्वे नं० शहर जिला राज्य पिन कोड
 पुलिस थाना रेल्वे स्टेशन या स्टीमर घाट
 फोन ई-मेल फैक्स
3. आवेदक और उसके द्वारा नियोजित तकनीकी कार्मिकों की अर्हताएं और अनुभव
4. प्रतिदिन विनिर्माण, संपरिवर्तित किए जाने के वाले अमोनियम नाइट्रेट की प्रस्तावित मात्रा
 (क) विनिर्माण, संपरिवर्तन संयंत्र की वार्षिक क्षमता
 (ख) विनिर्माण प्रारंभ होने की तारीख (केवल विद्यमान विनिर्माताओं के लिए)
 (ग) संपरिवर्तन संयंत्र के प्रत्येक भण्डारगृह प्रत्येक शेड में किसी एक समय पर उपलब्ध अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा
 (घ) किसी एक समय में भण्डारण किए जाने वाली अमोनियम नाइट्रेट की प्रस्तावित मात्रा
 (ङ) प्रस्तावित संशोधन या अतिरिक्त सूचना के ब्यौरे, यदि कोई हो,
5. क्या आवेदक को पिछले 10 वर्षों के दौरान दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) के अध्याय VIII के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है या बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश दिया गया है?
 हाँ..... नहीं
 यदि हाँ तो कृपया ब्यौरा दें।
6. (क) अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के अधीन अन्य अनुज्ञप्ति की विशिष्टियाँ
 यदि आवेदक द्वारा पिछले 10 वर्षों के दौरान धारित की गई हों। हाँ नहीं
 (ख) क्या किसी अनुज्ञप्ति को रद्द किया गया था या नवीनीकृत नहीं की गई थी? हाँ नहीं.....
 (ग) यदि हाँ, ब्यौरे दें
7. प्रस्तावित संशोधन की विशिष्टियाँ/अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई हो,

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा ऊपर दी गई विशिष्टियाँ सही हैं ।

आवेदक के हस्ताक्षर

तारीख

(कम्पनी की दशा में प्राधिकृत व्यक्ति)

पूरा नाम

पता

टिप्पण:

कृपया प्रयोजन और संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों के लिए नियम देखिए

1. उस दशा में जहाँ आवेदन, किसी व्यष्टि से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, वहाँ नियम 2 के अनुसार अधिभोगी और यथास्थिति, निदेशकों या भागीदारों या सदस्यों के नाम और पते तथा प्राधिकृत व्यक्ति के नमूना हस्ताक्षर संलग्न किए जाने चाहिए।
2. अधिभोगी का पासपोर्ट आकार का फोटो लगाया जाना.
3. उपरोक्त सूचना में किसी परिवर्तन की संसूचना तुरन्त अनुज्ञापन अधिकारी या अनुज्ञप्ति नवीनीकरण प्राधिकारी को दी जाएगी
4. आवेदक के व्यष्टि होने के दशा में आयु दी जानी है
5. (क) अमोनियम नाइट्रेट भण्डार गृह में

(1) 30 मैट्रिक टन से अनधिक के भण्डारण की व्यवस्था के लिए, भण्डार गृह से चारदीवारी तक 4.5 मीटर की और किसी संरक्षित संकर्म से 45 मीटर की सुरक्षा दूरी रखी जाएगी;

(2) 30 मैट्रिक टन से अधिक के भण्डारण की व्यवस्था के लिए, भण्डार गृह से चारदीवारी तक 9 मीटर की और किसी संरक्षित संकर्म से 90 मीटर की सुरक्षा दूरी रखी जाएगी;

(ख) भण्डार गृह विनिर्माण, संपरिवर्तन या विस्फोटक या नाइट्रुअस ऑक्साइड विनिर्माण संयंत्रों की पेटीबंदकरण यूनिट के निकटवर्ती हो सकता है, किन्तु नियम 4 के उप-नियम (क) के खण्ड (1) और (2) के उपबंधों का पालन किया जाएगा।

कानूनी चेतावनी : अमोनियम नाइट्रेट का दुरुपयोग विधि के अधीन गंभीर अपराध होगा।

प्ररूप क - 2

(अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 की अनुसूची 2 के भाग 1 और नियम 33, 35 और 37 देखिए)

अमोनियम नाइट्रेट के नौभरण एवं पेटी में रखने और भण्डारण हेतु अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन

मैं, की ओर से निम्नलिखित प्रयोजन के लिए अनुज्ञप्ति के अनुमोदन या अनुदान या संशोधन ⁽¹⁾ के लिए आवेदन करता हूँ -

उद्देश्य:

1. नाम : मुझे अनुज्ञप्ति निम्नलिखित नाम एवं डाक के पते पर अपेक्षित है -

(क) नाम जिसमें अनुज्ञप्ति अनुदत्त किए जाने की अपेक्षा की गई है (नीचे नोट्स देखें).....

(ख) प्रास्थिति⁽²⁾

(ग) आयु⁽³⁾

(घ) डाक पता

शहर जिला राज्य पिन कोड

पुलिस थाना रेल्वे स्टेशन या स्टीमर घाट

फोन ई-मेल फैक्स

2. प्रस्तावित बैगिंग परिसर निम्नलिखित पते पर स्थित है-

सर्वे नं० शहर जिला राज्य पिन कोड

पुलिस थाना रेल्वे स्टेशन या स्टीमर घाट

फोन ई-मेल फैक्स

3. पत्तन प्राधिकारी द्वारा नौभरण एजेंट के रजिस्ट्रीकरण का विवरण

4. आवेदक और उसके द्वारा नियोजित तकनीकी कार्मिकों की अर्हताएं और अनुभव

5. अमोनियम की बैगिंग क्षमता

(क) वार्षिक बैगिंग क्षमता

(ख) प्रत्येक बैगिंग गोदाम एवं संबद्ध भण्डारगृह, यदि हो, में किसी एक समय पर उपलब्ध अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा

(ग) किसी एक समय में, दोनों प्रपुंज एवं बैग्ड अवस्था में, भण्डारण किए जाने वाली अमोनियम नाइट्रेट की प्रस्तावित मात्रा

(घ) प्रस्तावित संशोधन या अतिरिक्त सूचना के ब्यौरे, यदि कोई हो

6. क्या आवेदक को पिछले 10 वर्षों के दौरान दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) के अध्याय VIII के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है या बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश दिया गया है? हाँ नहीं

यदि हाँ तो कृपया ब्यौरा दें।

7. (क) अमोनियम नाइट्रेट नियम 2012 के अधीन अन्य अनुज्ञप्ति की विशिष्टियाँ

यदि आवेदक द्वारा पिछले 10 वर्षों के दौरान धारित की गई हों। हाँ नहीं

(ख) क्या किसी अनुज्ञप्ति को रद्द किया गया था या नवीनीकृत नहीं की गई थी ? हाँ नहीं ..

(ग) यदि हाँ, ब्यौरे दें

8. प्रस्तावित संशोधन की विशिष्टियाँ/अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई हो,

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा ऊपर दी गई विशिष्टियाँ सही हैं

आवेदक के हस्ताक्षर

तारीख

(कम्पनी की दशा में प्राधिकृत व्यक्ति)

पूरा नाम

पता

टिप्पण:

कृपया प्रयोजन और संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों के लिए नियम देखिए

1. उस दशा में जहाँ आवेदन, किसी व्यष्टि से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, वहाँ नियम 2 के अनुसार अधिभोगी और यथास्थिति, निदेशकों या भागीदारों या सदस्यों के नाम और पते तथा प्राधिकृत व्यक्ति के नमूना हस्ताक्षर संलग्न किए जाने चाहिए।
2. अधिभोगी का पासपोर्ट आकार का फोटो लगाया जाना।
3. उपरोक्त सूचना में किसी परिवर्तन की संसूचना तुरन्त अनुज्ञापन अधिकारी या अनुज्ञप्ति नवीनीकरण प्राधिकारी को दी जाएगी।
4. आवेदक के व्यष्टि होने के दशा में आयु दी जानी है।
5. (क) अमोनियम नाइट्रेट भण्डार गृह में
 - (1) 30 मैट्रिक टन से अनधिक के भण्डारण की व्यवस्था के लिए, भण्डार गृह से चारदीवारी तक 4.5 मीटर की और किसी संरक्षित संकर्म से 45 मीटर की सुरक्षा दूरी रखी जाएगी;
 - (2) 30 मैट्रिक टन से अधिक के भण्डारण की व्यवस्था के लिए, भण्डार गृह से चारदीवारी तक 9 मीटर की और किसी संरक्षित संकर्म से 90 मीटर की सुरक्षा दूरी रखी जाएगी;

कानूनी चेतावनी : अमोनियम नाइट्रेट का दुरुपयोग विधि के अधीन गंभीर अपराध होगा।

प्ररूप क - 3

(अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 की अनुसूची 2 के भाग 1 और नियम 33, 35 और 37 देखिए)

अनुज्ञप्ति प्रदान करने/अनुज्ञप्ति का संशोधन करने हेतु आवेदन

- (क) किसी भण्डार गृह से 30 मैट्रिक टन से अनधिक अमोनियम नाइट्रेट विक्रय या प्रयोग हेतु कब्जे में रखने के लिए अनुज्ञप्ति
- (ख) किसी भण्डार गृह से 30 मैट्रिक टन से अधिक अमोनियम नाइट्रेट विक्रय या प्रयोग हेतु कब्जे में रखने के लिए अनुज्ञप्ति
- (ग) किसी विस्फोटक विनिर्माता/नाइट्रुअस ऑक्साइड विनिर्माता इकाई से संबद्ध भण्डार गृह अमोनियम नाइट्रेट प्रयोग हेतु कब्जे में रखने के लिए अनुज्ञप्ति
- (घ) किसी भण्डार गृह से कृषिय प्रयोजन के लिए अमोनियम नाइट्रेट प्रयोग हेतु कब्जे में रखने के लिए अनुज्ञप्ति

मैं
की ओर से निम्नलिखित प्रयोजन के लिए अनुज्ञप्ति के अनुमोदन या अनुदान या संशोधन ⁽¹⁾के लिए आवेदन करता हूँ :

1. प्रयोजन -
2. नाम : मुझे अनुज्ञप्ति निम्नलिखित नाम और डाक पते पर अपेक्षित है-
 - (क) नाम ,जिसमें अनुज्ञप्ति अनुदत्त किए जाने की अपेक्षा की गई है (नीचे नोट्स देखें)
 - (ख) प्रास्थिति⁽²⁾
 - (ग) आयु⁽³⁾
 - (घ) डाक पता

जिला.....राज्यपिन कोड..... फोन..... ई-मेलफैक्स

पुलिस थानारेल्वे स्टेशन या स्टीमर घाट

3. प्रस्तावित परिसर निम्नलिखित पते पर स्थित है-

सर्वेसंख्या.....शहर.....

जिला राज्य पिन कोड
 पुलिस थाना रेल्वे स्टेशन या स्टीमर घाट.....
 फोन ई-मेल फैक्स.....

4. आवेदक और उसके द्वारा नियोजित तकनीकी कार्मिकों की अर्हताएं और अनुभव.....
5. (क) रखे जाने और विक्रीत किए जाने के लिए प्रस्तावित अमोनियम नाइट्रेट
 - (1) किसी एक समय में कब्जे में रखे जाने वाले अमोनियम नाइट्रेट की प्रस्तावित मात्रा
 - (2) किसी एक माह में विक्रय किए जाने वाले अमोनियम नाइट्रेट की प्रस्तावित मात्रा
 (ख) क्या अमोनियम नाइट्रेट के विनिर्माण एवं संपरिवर्तन हेतु परिसर किसी फैक्टरी के साथ सम्बद्ध है ? यदि हाँ तो अनुज्ञप्ति संख्या एवं अन्य विवरण दें
6. (क) कब्जे में रखने और प्रयोग किए जाने वाले प्रस्तावित अमोनियम नाइट्रेट
 - (1) अमोनियम नाइट्रेट के प्रयोग का प्रयोजन बताएँ
 - (2) प्रतिदिन प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम नाइट्रेट की प्रस्तावित मात्रा
 - (3) एक माह में प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम नाइट्रेट की प्रस्तावित मात्रा
 - (4) प्रयोग हेतु किसी एक समय में कब्जे में रखे जाने वाले अमोनियम नाइट्रेट की प्रस्तावित मात्रा
 (ख) उस स्थल का व्यौरा, जहाँ अमोनियम नाइट्रेट प्रयुक्त किए जाएँगे और मद संख्या 3 में उल्लिखित भण्डारण परिसर से उस स्थल की दूरी
7. क्या आवेदक को पिछले 10 वर्षों के दौरान दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) के अध्याय VIII के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है या शांतिपूर्ण व्यवहार के लिए बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश दिया गया है ? हाँ..... नहीं.....
 यदि हाँ तो कृपया ब्यौरा दें.....
8. (क) अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के अधीन अन्य अनुज्ञप्ति की विशिष्टियाँ, यदि आवेदक द्वारा पिछले 10 वर्षों के दौरान धारित की गई हों
- (ख) विस्फोटक नियम, 2008 के अधीन अनुज्ञप्ति, यदि आवेदक ने पिछले दस वर्षों के दौरान कोई धारण की हो, की विशिष्टियाँ
- (ग) क्या किसी अनुज्ञप्ति को रद्द किया गया था या नवीनीकृत नहीं की गई थी?
 हाँ..... नहीं.....

(घ) यदि हाँ, ब्यौरे दें

9. प्रस्तावित संशोधन की विशिष्टियाँ/अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई हो,

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा ऊपर दी गई विशिष्टियाँ सही हैं

आवेदक या प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

तारीख.....

पूरा नाम

पता

* जो लागू न हो उसे काट दें ।

टिप्पण: कृपया प्रयोजन और संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों के लिए नियम देखिए ।

1. उस दशा में जहाँ आवेदन, किसी व्यष्टि से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, वहाँ नियम 2 के अनुसार अधिभोगी और यथास्थिति, निदेशकों या भागीदारों या सदस्यों के नाम और पते तथा प्राधिकृत व्यक्ति के नमूना हस्ताक्षर संलग्न किए जाने हैं ।
2. अधिभोगी का पासपोर्ट आकार का फोटो लगाया जाना है ।
3. उपरोक्त सूचना में किसी परिवर्तन की संसूचना तुरन्त अनुज्ञापन अधिकारी या अनुज्ञप्ति नवीनीकरण प्राधिकारी को दी जाएगी।
4. आवेदक के व्यष्टि होने के दशा में आयु दी जानी है ।
5. (क) अमोनियम नाइट्रेट भण्डार गृह में
 - (1) 30 मैट्रिक टन से अनधिक के भण्डारण की व्यवस्था के लिए, भण्डार गृह से चारदीवारी तक 4.5 मीटर की और किसी संरक्षित संकर्म से 45 मीटर की सुरक्षा दूरी रखी जाएगी;
 - (2) 30 मैट्रिक टन से अधिक के भण्डारण की व्यवस्था के लिए, भण्डार गृह से चारदीवारी तक 9 मीटर की और किसी संरक्षित संकर्म से 90 मीटर की सुरक्षा दूरी रखी जाएगी;
- (ख) भण्डार गृह विनिर्माण, संपरिवर्तन या विस्फोटक या नाइड्रुअस ऑक्साइड विनिर्माण संयंत्रों की पेटीबंदकरण यूनिट के निकटवर्ती हो सकता है, किन्तु नियम 12 के उप-नियम (क) के खण्ड (1) और (2) के प्रावधानों का पालन किया जाएगा ।

कानूनी चेतावनी: अमोनियम नाइट्रेट का दुरुपयोग विधि के अधीन गंभीर अपराध होगा ।

प्ररूप क - 4

(अमोनियम नाइट्रेट नियम 2012 की अनुसूची 2 के भाग 1 और नियम 33, 35 एवं 37 देखिए)
अमोनियम नाइट्रेट के परिवहन हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने या उसके संशोधन हेतु आवेदन में

.....की ओर से अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने/अनुज्ञप्ति सं०..... के संशोधन हेतु आवेदन करता हूँ । विशिष्टियाँ नीचे दी गई हैं और अपेक्षानुसार अन्य दस्तावेज संलग्न हैं ।

उत्तर इस स्तम्भ में दिया जाना है

1. आवेदक का नाम (नीचे नोट्स देखें) -----
2. आवेदक का डाक पता
पिन कोड नं०
टेलिफोन नं०
फैक्स नं० -----
3. जहाँ अमोनियम नाइट्रेट ले जाया जाएगा वहाँ से आवेदक द्वारा धारण की गई अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के अधीन अमोनियम नाइट्रेट कब्जे में रखने और विक्रय/प्रयोग के लिए प्रदान की गई अनुज्ञप्ति की विशिष्टियाँ
अनुज्ञप्ति सं०
परिसर की स्थिति
अनुज्ञप्त क्षमता
किस तारीख तक अनुज्ञप्ति वैध है

4. जिस स्थान पर अमोनियम नाइट्रेट ले जाया जाएगा उसकी विशिष्टियाँ.....
5. वाहन का प्रकार
6. (क) क्या आवेदक को पिछले 10 वर्षों के दौरान दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) के अध्याय VIII के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है या बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश दिया गया है ?
हाँ..... नहीं.....
(ख) यदि हाँ तो कृपया ब्यौरा दें.....
7. (क) विस्फोटक अधिनियम, 1884 के अधीन अनुज्ञप्ति, यदि आवेदक ने पिछले दस वर्षों के दौरान कोई धारण की हो, की विशिष्टियाँ
(ख) क्या किसी अनुज्ञप्ति को रद्द किया गया था या नवीनीकृत नहीं की गई थी? हाँ
..... नहीं.....
(ग) यदि हाँ, ब्यौरे दें
8. प्रस्तावित संशोधन की विशिष्टियाँ/अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई हो, में यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा ऊपर दी गई विशिष्टियाँ सही हैं

आवेदक के हस्ताक्षर.....

तारीख.....

(कम्पनी की दशा में प्राधिकृत व्यक्ति)

पूरा नाम

पता.....

टिप्पण: कृपया प्रयोजन और संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों के लिए नियम देखिए ।

1. उस दशा में जहाँ आवेदन, किसी व्यष्टि से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, वहाँ नियम 2 के अनुसार अधिभोगी और यथास्थिति, निदेशकों या भागीदारों या सदस्यों के नाम और पते तथा प्राधिकृत व्यक्ति के नमूना हस्ताक्षर संलग्न किए जाने हैं ।
2. अधिभोगी का पासपोर्ट आकार का फोटो लगाया जाना है ।
3. उपरोक्त सूचना में किसी परिवर्तन की संसूचना तुरन्त अनुज्ञापन अधिकारी या अनुज्ञप्ति नवीनीकरण प्राधिकारी को दी जाएगी ।
4. आवेदक के व्यष्टि होने के दशा में आयु दी जानी है ।
5. अनुज्ञप्ति प्ररूप त-1, त-2, त-3 या त-5 की प्रति ।

कानूनी चेतावनी: अमोनियम नाइट्रेट का दुरुपयोग विधि के अधीन गंभीर अपराध होगा ।

प्ररूप क . 5

(अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 की अनुसूची 2 के भाग 1 और नियम 33 एवं 35 देखिए)

(क) अमोनियम नाइट्रेट के आयात; या

(ख) अमोनियम नाइट्रेट के निर्यात

हेतु अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन

मैं, की ओर से निम्नलिखित प्रयोजन के लिए अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करता हूँ:-

1. उद्देश्य :- आयात या निर्यात

2. मुझे अनुज्ञप्ति निम्नलिखित नाम एवं डाक पते पर अपेक्षित है:-

(क) नाम जिसमें अनुज्ञप्ति अनुदान करने की अपेक्षा की गई है (नीचे नोट्स देखिए)

(ख) प्रास्थिति

(ग) आयु

(घ) डाक पता

शहर जिला राज्य पिन कोड

पुलिस स्टेशन रेलवे स्टेशन या स्टीमर घाट

फोन ईमेल फैक्स

3. (क) (1) (आयात के लिए) किसी एक समय में आयात किए जाने वाले अमोनियम नाइट्रेट की प्रस्तावित मात्रा

(2) विनिर्माता का नाम एवं पता और/या अमोनियम नाइट्रेट आयात किए जाने वाले आयातक का देश

(3) भण्डारगृह का विवरण जहाँ आयात के बाद अमोनियम नाइट्रेट का भण्डारण किया जाएगा

(4) पत्तन या आयात का स्थान

(5) अमोनियम नाइट्रेट का भण्डारण प्रपुज में है या बैग्ड रूप में है

(6) नौभरण एजेंट का विवरण जिसमें उसका नाम, पता एवं अनुज्ञप्ति संख्या हो

4. (ख) (निर्यात के लिए)

(1) निर्यात किए जाने वाले अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा

(2) कन्साइनी का नाम एवं पता या निर्यात का देश

(3) स्थान या पत्तन जहाँ से अमोनियम नाइट्रेट का निर्यात किया जाएगा

4. क्या आवेदक को पिछले 10 वर्षों के दौरान दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) के अध्याय VIII के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है या शांतिपूर्ण व्यवहार के लिए बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश दिया गया है..... ? हाँ नहीं यदि हाँ तो कृपया ब्यौरा दें ।

5. (क) अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के अधीन अन्य अनुज्ञप्ति की विशिष्टियाँ ,

.....

यदि आवेदक द्वारा पिछले 10 वर्षों के दौरान धारित की गई हों । हाँ नहीं

.....

(ख) क्या किसी अनुज्ञप्ति को रद्द किया गया था या नवीनीकृत नहीं की गई थी? हाँ नहीं.....

(ग) यदि हाँ , ब्यौरे दें

.....

6. (क) क्या आवेदक ने पहले अमोनियम नाइट्रेट का आयात या निर्यात किया है

(ख) यदि हाँ तो पिछले तीन वर्षों का ब्यौरा दें

7. प्रस्तावित संशोधन की विशिष्टियाँ/अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई हो,

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा ऊपर दी गई विशिष्टियाँ सही हैं

आवेदक के हस्ताक्षर.....

तारीख.....

कम्पनी की दशा में प्राधिकृत व्यक्ति

पूरा नाम.....

पता.....

टिप्पण:

कृपया प्रयोजन और संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों के लिए नियम देखिए ।

1. उस दशा में जहाँ आवेदन ,किसी व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है ,वहाँ नियम 2 के अनुसार अधिभोबी और यथास्थिति ,निदेशकों या भागीदारों या सदस्यों के नाम और पते तथा प्राधिकृत व्यक्ति के नमूना हस्ताक्षर संलग्न किए जाने हैं ।
2. अधिभोगी का पासपोर्ट आकार का फोटो लगाया जाना है ।
3. उपरोक्त सूचना में किसी परिवर्तन की संसूचना तुरन्त अनुज्ञापन अधिकारी या अनुज्ञप्ति नवीनीकरण प्राधिकारी को दी जाएगी ।
4. आवेदक के व्यक्ति होने के दशा में आयु दी जानी है ।

कानूनी चेतावनी:

अमोनियम नाइट्रेट का दुरुपयोग विधि के अधीन गंभीर अपराध होगा ।

अनुज्ञप्ति

प्ररूप त - 1

अनुज्ञप्तिधारी या

अधिभोगी की हस्ताक्षर सहित फोटो

(अमोनियम नाइट्रेट नियम 2012 की अनुसूची 1 का क्रमांक 1 और नियम 35 देखें)

अमोनियम नाइट्रेट के विनिर्माण और कब्जे में रखने या अमोनियम नाइट्रेट गलन से ठोस और ठोस से गलन में और विक्रय के लिए कब्जे में रखने के लिए अनुज्ञप्ति

अनुज्ञप्ति संख्या

वार्षिक शुल्क ₹0

1. नाम डाक पता
 शहर जिला राज्य पिन कोड पुलिस स्टेशन
 रेल्वे स्टेशन या स्टीमर घाट

फोन ईमेल फैक्स को

अनुज्ञप्ति अनुदत्त की जाती है

2. अनुज्ञप्तिधारी की प्रास्थिति :

3. अनुज्ञप्ति निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए वैध है -

4. अनुज्ञप्ति, अमोनियम नाइट्रेट के निम्नलिखित मात्रा के विनिर्माण, संपरिवर्तन एवं कब्जा के लिए वैध है-

(क) किसी एक समय में अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा

(ख) प्रतिमाह अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा

5. अनुज्ञप्ति परिसर निम्नलिखित आरेखण (णों) के अनुरूप होगा -

आरेखण संख्या दिनांक

6. अनुज्ञप्ति परिसर निम्नलिखित पते पर अवस्थित है:

सर्वे संख्या.....शहर..... जिला राज्य पिन

कोड..... पुलिस स्टेशन रेल्वे स्टेशन या स्टीमर घाट

फोन ई-मेल फैक्स

7. अधिकृत परिसर में निम्नलिखित सुविधाएँ हैं -

- (i) विनिर्माण, संपरिवर्तन सुविधाएँ
- (ii) भंडार गृह संख्या
- (iii) गलन भण्डारण टैंकों की संख्या

*जो लागू न हो उसे काट दें ।

8. अनुज्ञप्ति, समय-समय पर यथा संशोधित विस्फोटक अधिनियम 1884, और उसके अधीन बनाए गए अमोनियम नाइट्रेट नियम 2012, की शर्तों, अतिरिक्त शर्तों तथा निम्नलिखित उपबन्धों के अधीन जारी की जाती है

(1) उक्त क्रम संख्या 5 में उल्लिखित आरेखण (जिसमें स्थल, निर्माण एवं अन्य विवरण दर्शाए गए हों)

(2) मुख्य विस्फोटक नियंत्रक या अनुज्ञप्ति जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित अनुज्ञप्ति की शर्तें और अतिरिक्त शर्तें ।

9. यह अनुज्ञप्ति के मार्च महीने के 31वें दिन तक वैध रहेगी ।

यह अनुज्ञप्ति विस्फोटक अधिनियम, 1884 या उसके अधीन बनाए गए अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 या इस अनुज्ञप्ति की किन्हीं शर्तों का उल्लंघन करने पर या यदि अनुज्ञप्त परिसर आरेखण या उससे संलग्न उपाबद्ध में दर्शित विवरण के अनुरूप नहीं पाए जाने पर निलम्बित या प्रतिसंहत की जा सकती है ।

तारीख 20.....

हस्ताक्षर, पदनाम एवं मुहर

(मुख्य नियंत्रक या विस्फोटक नियंत्रक)

नवीनीकरण पृष्ठांकन के लिए स्थान

सांविधिक चेतावनी: विस्फोटकों का दुरुपयोग कानून के अन्तर्गत गम्भीर दण्डित अपराध है ।

शर्तें

1. अमोनियम नाइट्रेट का विनिर्माण या संपरिवर्तन अनुज्ञप्ति के साथ संलग्न अनुमोदित आरेखण में दर्शाए गए प्लान्ट में ही किया जाएगा ।

2. अमोनियम नाइट्रेट का कब्जा या भण्डारण अनुज्ञप्ति के साथ संलग्न अनुमोदित आरेखण में दर्शाए गए अनुमोदित गोदाम या मेल्ट भण्डारण टैंक में ही किया जाएगा ।
3. अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा परिसर पर या उसके किसी भी भाग में, किसी एक समय में, अनुज्ञप्त मात्रा से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
4. अमोनियम नाइट्रेट के फैलाव या पोंछने/फैलाव या पोंछने से बचे अपशिष्ट अमोनियम नाइट्रेट को अनुज्ञप्ति धारक द्वारा एकत्र करके नष्ट कर दिया जाएगा और उसका लेखाजोखा रखा जाएगा जिसमें नष्ट हुए अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा का उपदर्शित होगी ।
5. अनुज्ञप्तिधारी एवं विनिर्माण तथा कन्वर्जन के लिए परिसर में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति को विनिर्माण तथा संपरिवर्तन परिसर में अग्नि या विस्फोट से होने वाली दुर्घटना से बचाव तथा विनिर्माण तथा संपरिवर्तन परिसर में अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश से बचाव के लिए पूर्ण सावधानी बरतनी चाहिए एवं ऐसे किसी भी कार्य से विरत करना चाहिए जो अग्नि या विस्फोट का कारण बने एवं जो विनिर्माण तथा संपरिवर्तन परिसर में कार्य के उद्देश्य से आवश्यक न हों ।
6. अनुज्ञापन प्राधिकारी की पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना अनुज्ञप्त परिसर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एवं परिवर्धन नहीं किया जाएगा ।
7. अनुज्ञप्तिधारी विनिर्माण/संपरिवर्तन प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक सक्षम व्यक्ति नियुक्त करेगा और पूरा संचालन उस सक्षम व्यक्ति की निगरानी में होगा ।
8. किसी निरीक्षण अधिकारी को अनुज्ञा प्राप्त परिसर में युक्तियुक्त समय पर बराबर अबाध पहुँच प्रदान की जाएगी और ऐसे अधिकारी को सभी सुविधाएँ उपलब्ध की जाएंगी कि जिससे वह सुनिश्चित कर सके कि अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों एवं सुरक्षा सम्बन्धी शर्तों को सम्यक् रूप से पालन किया जा रहा है ।
9. यदि अनुज्ञप्ति निर्गमन प्राधिकारी या निरीक्षण अधिकारी अनुज्ञप्तिधारी लिखित में अधिकृत परिसर में कोई मरम्मत या कोई परिवर्तन या परिवर्धन या ऐसी सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए, जो ऐसे अधिकारी की राय में अस्वीकार्य जोखिम उत्पन्न कर सकती है और इस प्रकार वह परिसर के बाहर या भीतर या व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, सूचित करता है, तो अनुज्ञप्तिधारी उन सिफारिशों को निष्पादित करेगा और ऐसे प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि में अनुपालन की रिपोर्ट देगा ।

10. अग्नि या विस्फोट के कारण होने वाली दुर्घटनाओं और अमोनियम नाइट्रेट की हानि, उसमें कमी या चोरी की रिपोर्ट निकटतम पुलिस स्टेशन, जिला प्राधिकारी और मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक को तुरन्त दी जाएगी।
11. अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के नियम 8 एवं 9 के अनुसार विधिवत चिह्नांकित करके अमोनियम नाइट्रेट को पेटी में रखकर और चिह्नांकित करके सम्बद्ध भंडार गृहों में रखा जाएगा।
12. विनिर्मित, संपरिवर्तित या कब्जे में रखे अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा अनुज्ञप्ति में निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए।
13. अमोनियम नाइट्रेट के विनिर्माण, संपरिवर्तित, नौभरण, बैगिंग, कब्जा, विक्रय, प्रयोग, परिवहन, आयात एवं निर्यात में लगे अनुज्ञप्तिधारी अनुसूची II भाग 3 में विनिर्दिष्ट प्रारूप में इनका अभिलेख रखेंगे जिससे नियम 49 में विहित प्राधिकारी के मांगे जाने पर ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किए जाएं।
14. विनिर्मित, संपरिवर्तित, अभिप्राप्त, विक्रय हुए या परिवहन या प्रयोग या विनष्ट या आयात या निर्यात किए गए अमोनियम नाइट्रेट के सम्बन्ध में अनुज्ञप्तिधारी मासिक विवरणी अनुसूची II भाग 3 में विनिर्दिष्ट प्रारूप द - 9 में जिला प्राधिकारी को इस प्रकार प्रेषित करेंगे कि वह प्रत्येक आगामी माह की 10 तारीख तक अनुज्ञप्ति निर्गमन प्राधिकारी एवं जिला प्राधिकारी को प्राप्त हो जाए।

दिनांक 20.....

हस्ताक्षर, पदनाम एवं मुहर

(मुख्य नियंत्रक या विस्फोटक नियंत्रक)

अनुज्ञप्ति

प्ररूप त - 2

(अमोनियम नाइट्रेट नियम 2012 की अनुसूची 1 का क्रमांक 2 और नियम 35 देखें)

अमोनियम नाइट्रेट के नौभरण, बैगिंग हेतु अनुज्ञप्ति

अनुज्ञप्ति संख्या

वार्षिक शुल्क रू0

अनुज्ञप्तिधारी	या
अधिभोगी	का
हस्ताक्षर	सहित
फोटोग्राफ	

- अनुज्ञप्ति एतद्वारा जारी की जाती है -
नाम
डाक पता शहर
जिला राज्य पिन कोड
पुलिस स्टेशन रेल्वे स्टेशन या स्टीमर घाट
फोन ईमेल फैक्स
- अनुज्ञप्तिधारी की प्रास्थिति :
- अनुज्ञप्ति निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए वैध है -
नौभरण एवं बैगिंग जिसमें अमोनियम नाइट्रेट को जहाज से उतारना, अपने अनुज्ञा-प्राप्त गोदाम तक ले जाना और बैगिंग शामिल है ।
- अनुज्ञप्ति अमोनियम नाइट्रेट की निम्नलिखित मात्रा के नौभरण एवं बैगिंग के लिए वैध है
(क) किसी एक समय में अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा
(ख) प्रत्येक माह में अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा ।
- अधिकृत परिसर निम्नलिखित आरेखण(णों) के अनुरूप होगा -
आरेखण संख्या दिनांक

6. अधिकृत परिसर निम्नलिखित पते पर अवस्थित है:

शहर..... जिला राज्य पिन कोड.....
 पुलिस स्टेशन रेलवे स्टेशन या स्टीमर घाट
 फोन ईमेल फैक्स

7. अधिकृत परिसर में निम्नलिखित सुविधाएँ हैं –

- (क) बैगिंग सुविधाएँ
- (ख) स्टोरहाउस

8. अनुज्ञप्ति, समय समय पर यथा संशोधित विस्फोटक अधिनियम 1884, और उसके अधीन बनाए गए अमोनियम नाइट्रेट नियम 2012, की शर्तों अतिरिक्त शर्तों तथा निम्नलिखित उपबन्धों के अधीन जारी की जाती है:

(क) उक्त क्रम संख्या 5 में उल्लिखित आरेखण (जिसमें स्थल, निर्माण एवं अन्य विवरण दर्शाए गए हों)

(ख) जिला प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित अनुज्ञप्ति की शर्तें एवं अतिरिक्त शर्तें ।

9 यह अनुज्ञप्ति सन के मार्च माह के 31वें दिन तक वैध रहेगी ।

यह अनुज्ञप्ति विस्फोटक अधिनियम 1884 या उसके अधीन बनाए गए अमोनियम नाइट्रेट नियम 2012 या इस अनुज्ञप्ति की शर्तों का कोई उल्लंघन करने पर या यदि अनुज्ञप्त परिसर आरेखण या उससे संलग्न उपाबद्ध में दर्शित विवरण के अनुरूप नहीं पाए जाने पर निलम्बित या प्रतिसंहत की जा सकती है ।

तारीख 20.....

हस्ताक्षर, पदनाम एवं मुहर

(जिला प्राधिकारी)

नवीनीकरण पृष्ठांकन के लिए स्थान.

सांविधिक चेतावनी: विस्फोटकों का दुरुपयोग कानून के अन्तर्गत गम्भीर दण्डित अपराध है ।

शर्तें

1. अमोनियम नाइट्रेट का भण्डारण एवं बैगिंग अनुज्ञप्ति के साथ संलग्न अनुमोदित आरेखण में दर्शाए गए अनुज्ञप्त परिसर में ही किया जाएगा।
2. अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा परिसर पर या उसके किसी भी भाग में, किसी एक समय में, अनुज्ञप्त मात्रा से अधिक नहीं होनी चाहिए।
3. अमोनियम नाइट्रेट के फैलाव या पोंछने से बचे हुए अपशिष्ट अमोनियम नाइट्रेट को एकत्र कर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विनष्ट कर दिया जाएगा और उसका लेखाजोखा रखा जाएगा जिसमें नष्ट हुए अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा उपदर्शित होगी।
4. अनुज्ञप्तिधारी एवं विनिर्माण तथा संपरिवर्तन के लिए परिसर में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति को विनिर्माण तथा संपरिवर्तन परिसर में अग्नि या विस्फोट से होने वाली दुर्घटना से बचाव तथा विनिर्माण तथा संपरिवर्तन परिसर में अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश से बचाव के लिए पूर्ण सावधानी बरतनी चाहिए एवं ऐसे किसी भी कार्य से विरत करना चाहिए जो अग्नि या विस्फोट का कारण बने एवं जो विनिर्माण तथा संपरिवर्तन परिसर में कार्य के उद्देश्य से आवश्यक न हों।
5. मुख्य विस्फोटक नियंत्रक या अनुज्ञापन प्राधिकारी की पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना अनुज्ञप्त परिसर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एवं परिवर्धन नहीं किया जाएगा। स्वीकृत किए गए इस प्रकार के परिवर्तन एवं परिवर्धन अनुज्ञप्ति के साथ संलग्न संशोधित आरेखण में दर्शाए जाएंगे।
6. अनुज्ञप्तिधारक द्वारा विनिर्माण तथा संपरिवर्तन प्रक्रिया के पर्यवेक्षण एवं कार्यों का संचालन इन नियमों के अनुरूप करने हेतु एक योग्य एवं सक्षम व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा।
7. किसी निरीक्षण अधिकारी या नमूना लेने वाले अधिकारी को अनुज्ञप्त परिसर में युक्तियुक्त समय पर बराबर अबाध पहुँच प्रदान की जाएगी और ऐसे अधिकारी को सभी सुविधाएँ उपलब्ध की जाएंगी कि वह सुनिश्चित कर सके कि अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों एवं सुरक्षा सम्बन्धी शर्तों को सम्यक् रूप से पालन किया जा रहा है।
8. यदि जिला प्राधिकारी या निरीक्षण अधिकारी अनुज्ञप्तिधारी को लिखित में अनुज्ञप्त परिसर में कोई मरम्मत या कोई परिवर्तन या परिवर्धन या ऐसी सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए, जो ऐसे

अधिकारी की राय में अस्वीकार्य जोखिम उत्पन्न कर सकती है और इस प्रकार वह परिसर के बाहर या भीतर या व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, सूचित करता है, तो अनुज्ञप्तिधारी उन सिफारिशों को निष्पादित करेगा और ऐसे प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि में अनुपालन की रिपोर्ट देगा।

9. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आमोनियम नाइट्रेट का विक्रय नहीं किया जाएगा। बैगों में भरे हुए अमोनियम नाइट्रेट को केवल उस आयातकर्ता के अनुज्ञप्त ट्रक में लादा जाएगा जिसकी अनुज्ञप्ति से अमोनियम नाइट्रेट का आयात किया जा रहा है।
10. अग्नि या विस्फोट के कारण होने वाली दुर्घटनाओं और अमोनियम नाइट्रेट की हानि, उसमें कमी या चोरी की सूचना निकटतम पुलिस स्टेशन, जिला प्राधिकारी को तुरन्त दी जाएगी।
11. अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के नियम 8 एवं 9 के अनुसार सम्यक रूप से चिह्नांकित करके अमोनियम नाइट्रेट को यथाशीघ्र उचित बैगों में रख करके संबद्ध भण्डार गृहों में रखा जाएगा।
12. अमोनियम नाइट्रेट के विनिर्माण, संपरिवर्तन, नौभरण, बैगिंग, कब्जा, विक्रय, प्रयोग, परिवहन, आयात एवं निर्यात में लगे अनुज्ञप्तिधारी अनुसूची II भाग 3 में विनिर्दिष्ट प्ररूप में इनका अभिलेख रखेंगे जिससे नियम 49 के अनुसार मांगे जाने पर प्राधिकारी को ऐसे अभिलेख प्रस्तुत करेंगे।
13. विनिर्मित, संपरिवर्तित, नौभारित, बैग्ड, प्राप्त, विक्रय हुए या परिवहन या प्रयोग या विनष्ट या आयात या निर्यात किए गए अमोनियम नाइट्रेट के सम्बन्ध में अनुज्ञप्तिधारी मासिक विवरणी अनुसूची II भाग 3 में विनिर्दिष्ट प्ररूप द-9 में जिला प्राधिकारी को इस प्रकार प्रेषित करेंगे कि वह प्रत्येक अगले महीने की 10 तारीख तक अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं जिला प्राधिकारी को प्राप्त हो जाए।
14. कोई वाहन अमोनियम नाइट्रेट के ढेर पर से नहीं गुजरेगा।
15. नौभरण भण्डार गृह के निकट तुला ब्रिज प्रदान किया जाएगा।
16. अनुज्ञप्तिधारी या उसका प्राधिकृत एजेंट अमोनियम नाइट्रेट के पारेषण के जहाज से लादने के दौरान अभिवहन भण्डार गृह के लिए अभिवहन, बैगिंग और प्रेषण के दौरान, फैलाव, संदूषण और हानि से बचाव के लिए सभी सम्यक सावधानी बरतेगा।

जिला प्राधिकारी के हस्ताक्षर पदनाम एवं मुहर

अनुज्ञप्ति

प्ररूप त - 3

(अमोनियम नाइट्रेट नियम 2012 की अनुसूची 1 का क्रमांक 3 और नियम 35 देखें)

अनुज्ञप्ति संख्या

वार्षिक शुल्क रू0

अनुज्ञप्तिधारी या
अधिभोगी का हस्ताक्षर
सहित फोटोग्राफ

- (क) किसी भण्डार गृह से 30 मैट्रिक टन से अनधिक अमोनियम नाइट्रेट विक्रय या प्रयोग हेतु कब्जे में रखने के लिए अनुज्ञप्ति
- (ख) किसी भण्डार गृह से 30 मैट्रिक टन से अधिक अमोनियम नाइट्रेट विक्रय या प्रयोग हेतु कब्जे में रखने के लिए अनुज्ञप्ति
- (ग) किसी विस्फोटक विनिर्माता/ नाइट्रुअस ऑक्साइड विनिर्माता इकाई से संबद्ध भण्डार गृह अमोनियम नाइट्रेट प्रयोग हेतु कब्जे में रखने के लिए अनुज्ञप्ति
- (घ) किसी भण्डार गृह से कृषिय प्रयोजन के लिए अमोनियम नाइट्रेट प्रयोग हेतु कब्जे में रखने के लिए अनुज्ञप्ति

1. अनुज्ञप्ति एतद्वारा जारी की जाती है -

नाम

डाक पता शहर

जिला राज्य पिन कोड

पुलिस स्टेशन रेल्वे स्टेशन या स्टीमर घाट

फोन ईमेल फैक्स

2. अनुज्ञप्तिधारी का स्तर: व्यक्तिगत या कम्पनी

3. अनुज्ञप्ति निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए वैध है -

4. (क) अनुज्ञप्ति किसी एक समय में मात्रा अमोनियम नाइट्रेट के लिए वैध है ।

(ख) वित्तीय वर्ष में क्रय की जाने वाली अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा

5. अनुज्ञप्त परिसर निम्नलिखित आरेखण (णों) के अनुरूप होगा -

आरेखण संख्या दिनांक

6. अनुज्ञप्त परिसर निम्नलिखित पते पर अवस्थित है:

शहर..... जिला राज्य पिन कोड.....

पुलिस स्टेशन रेल्वे स्टेशन या स्टीमर घाट

फोन ईमेल फैक्स

7. अनुज्ञप्त परिसर में निम्नलिखित सुविधाएँ हैं -

.....
.....
.....

8. अनुज्ञप्ति, समय समय पर यथा संशोधित विस्फोटक अधिनियम 1884, एवं उसके अधीन बनाए गए अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012, शर्तों, अतिरिक्त शर्तों तथा निम्नलिखित उपबन्धों के अधीन जारी की जाती है

(1) उक्त क्रम संख्या 5 में उल्लिखित आरेखण (जिसमें स्थल, निर्माण एवं अन्य विवरण दर्शाए गए हों)

(2) अनुज्ञप्ति जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित अनुज्ञप्ति की शर्तें एवं अतिरिक्त शर्तें ।

9. यह अनुज्ञप्ति सन के मार्च महीने के 31वें दिन तक वैध रहेगी ।

यह अनुज्ञप्ति विस्फोटक अधिनियम, 1884 या उसके अधीन बनाए गए अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 या इस अनुज्ञप्ति की किसी शर्तों का उल्लंघन करने पर या यदि अनुज्ञप्त परिसर आरेखण या उससे संलग्न उपाबद्ध में दर्शित विवरण के अनुरूप नहीं पाए जाने पर निलम्बित या प्रतिसंहत की जा सकती है ।

तारीख 20.....

हस्ताक्षर,

पदनाम एवं मुहर

(अनुज्ञापन प्राधिकारी)

नवीनीकरण पृष्ठांकन के लिए स्थान

सांविधिक चेतावनी: अमोनियम नाइट्रेट का दुरुपयोग कानून के अन्तर्गत गम्भीर दण्डिक अपराध है ।

शर्तें

1. अमोनियम नाइट्रेट का कब्जा या भण्डारण अनुज्ञप्ति के साथ संलग्न अनुमोदित आरेखण में दर्शाए गए अनुज्ञप्त गोदाम या मेल्ट भण्डारण टैंक में ही किया जाएगा ।
2. अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा परिसर पर या उसके किसी भी भाग में, किसी एक समय में, अनुज्ञप्त मात्रा से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
3. फैलाव/पोंछने या फैलाव या पोंछने से बचे अपशिष्ट अमोनियम नाइट्रेट को एकत्र कर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विनष्ट किया जाना चाहिए एवं विनष्ट किए गए अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा का लेखाजोखा रखा जाना चाहिए ।
4. अनुज्ञप्तिधारी और विनिर्माण तथा संपरिवर्तन के लिए परिसर में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति को विनिर्माण तथा संपरिवर्तन के लिए अनुज्ञप्त परिसर में अग्नि या विस्फोट से होने वाली दुर्घटना से बचाव तथा विनिर्माण तथा संपरिवर्तन के लिए अनुज्ञप्त परिसर में अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश से बचाव के लिए पूर्ण सावधानी बरतनी चाहिए एवं ऐसे किसी भी कार्य से विरत करना चाहिए जो अग्नि या विस्फोट का कारण बने एवं जो विनिर्माण तथा संपरिवर्तन परिसर में कार्य के उद्देश्य से आवश्यक न हों ।
5. मुख्य विस्फोटक नियंत्रक या अनुज्ञापन प्राधिकारी की पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना अनुज्ञप्त परिसर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एवं परिवर्धन नहीं किया जाएगा । स्वीकृत किए गए इस प्रकार के परिवर्तन एवं परिवर्धन अनुज्ञप्ति के साथ संलग्न संशोधित आरेखण में दर्शाए जाएंगे ।
6. अनुज्ञप्ति धारक द्वारा विनिर्माण तथा संपरिवर्तन प्रक्रिया के पर्यवेक्षण एवं कार्यों का संचालन इन नियमों के अनुरूप करने हेतु एक योग्य एवं सक्षम व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा ।
7. किसी निरीक्षण अधिकारी या नमूना लेने वाले अधिकारी को अनुज्ञप्त परिसर में युक्तियुक्त समय पर बराबर अबाध पहुँच प्रदान की जाएगी और ऐसे अधिकारी को इस सभी सुविधाएँ उपलब्ध की जाएंगी जिससे कि वह सुनिश्चित कर सके कि अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों एवं सुरक्षा सम्बन्धी शर्तों को सम्यक् रूप से पालन किया जा रहा है ।
8. यदि जिला प्राधिकारी या निरीक्षण अधिकारी अनुज्ञप्तिधारी को लिखित में अधिकृत परिसर में कोई मरम्मत या कोई परिवर्तन या परिवर्धन या ऐसी सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए, जो ऐसे

- अधिकारी की राय में अस्वीकार्य जोखिम उत्पन्न कर सकती है और इस प्रकार वह परिसर के बाहर या भीतर या व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, सूचित करता है, तो अनुज्ञप्तिधारी उन सिफारिशों को निष्पादित करेगा और ऐसे प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि में अनुपालन की रिपोर्ट देगा।
9. अग्नि या विस्फोट के कारण होने वाली दुर्घटनाओं और अमोनियम नाइट्रेट की हानि, उसमें कमी या चोरी की सूचना निकटतम पुलिस स्टेशन और जिला प्राधिकारी के स्थानीय कार्यालय को तुरन्त दी जाएगी।
 10. अमोनियम नाइट्रेट के विनिर्माण, संपरिवर्तन, नौभरण, बैगिंग, कब्जा, विक्रय, प्रयोग, परिवहन, आयात एवं निर्यात का कार्य करने वाले अनुज्ञप्तिधारी अनुसूची II भाग 3 में विनिर्दिष्ट प्रारूप में इनका अभिलेख रखेंगे जिससे कि अमोनियम नाइट्रेट के लिए उत्तरदायित्व सुनिश्चित कर उनकी पहचान कर खोज की जा सके एवं नियम 49 में विहित प्राधिकारी के मांगे जाने पर ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किए जाएं।
 11. विनिर्मित, संपरिवर्तित, नौभारित, बैग्ड, प्राप्त, विक्रय हुए या परिवहन या प्रयोग या विनष्ट या आयात या निर्यात किए गए अमोनियम नाइट्रेट के सम्बन्ध में अनुज्ञप्तिधारी मासिक विवरणी अनुसूची II भाग 3 में विनिर्दिष्ट प्रारूप -द-9 में जिला प्राधिकारी को इस प्रकार प्रेषित करेंगे कि वह प्रत्येक आगामी महीने की 10 तारीख तक अनुज्ञापन प्राधिकारी या जिला प्राधिकारी को प्राप्त हो जाए।

अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर पदनाम एवं मुहर

अनुज्ञप्तिधारी या	
अधिभोगी का	
हस्ताक्षर सहित	
फोटोग्राफ	

अनुज्ञप्ति

प्ररूप त - 4

(अमोनियम नाइट्रेट नियम 2012 की अनुसूची 1 का क्रमांक 4 और नियम 35 देखें)

अमोनियम नाइट्रेट का परिवहन करने के लिए अनुज्ञप्ति

अनुज्ञप्ति संख्या

शुल्क रू० (प्रतिवर्ष)

1. अनुज्ञप्ति एतद्वारा को अमोनियम नाइट्रेट के परिवहन करने के लिए जारी की जाती है ।
2. प्ररूप में अनुज्ञप्ति परिसर से अनुज्ञप्ति सं०..... पर स्थित नीचे विहित स्थान तक ।

क्र० स्थान जिला राज्य

जो कि विस्फोटक अधिनियम, 1884 और उसके अधीन बनाए गए अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 और इस अनुज्ञप्ति की शर्तों के अधीन है।

3. अनुज्ञप्तिधारी का डाक पता
4. यह अनुज्ञप्ति के मार्च माह के 31वें दिन तक वैध रहेगी ।

यह अनुज्ञप्ति विस्फोटक अधिनियम, 1884 या उसके अधीन बनाए गए अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 या इस अनुज्ञप्ति की किसी का उल्लंघन करने पर निलंबित या प्रतिसंहत की जा सकती है।

तारीख 20.....

अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर, पदनाम

एवं मुहर

नवीनीकरण पृष्ठांकन के लिए स्थान.

सांविधिक चेतावनी: विस्फोटकों का दुरुपयोग कानून के अन्तर्गत गम्भीर दण्डिक अपराध है।

शर्तें

1. यह अनुज्ञप्ति कन्साइनमेंट में उल्लिखित शर्तों के समापन पर या यदि कन्साइनमेंट गंतव्य स्थान पर पहुंचने से पहले खंडित होता है या यदि अमोनियम नाइट्रेट अनुज्ञप्ति में उल्लिखित स्थानों के अतिरिक्त स्थान/स्थानों से लिया गया है तो शून्य हो जाएगी।
2. अनुज्ञप्तिधारी केवल अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 द्वारा प्राधिकृत रूप में अमोनियम नाइट्रेट का परिवहन करेगा।
3. किसी कन्साइनी को प्रेषित अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा उस मात्रा से अधिक नहीं होगी जिसका कन्साइनी नियमों के अधीन जारी अनुज्ञप्ति में हकदार है।
4. अमोनियम नाइट्रेट का प्रत्येक पारेषण प्ररूप द-11(ख) द्वारा पास में संपरिवर्तित हागा और वह (जब अमोनियम नाइट्रेट का रेल द्वारा परिवहन हो रहा है) वे-बिल्टी या इनवाइस जैसा कि मामला हो के साथ संलग्न होगा।
5. प्रत्येक पारेषिती को निर्गमित सभी पास की एक प्रति भेजी जाएगी -
 1. अनुज्ञापन प्राधिकारी;
 2. विस्फोटक नियंत्रक जिसके क्षेत्राधिकार में वह परिसर जहां पारेषण भेजना है स्थित है और

3. विस्फोटक नियंत्रक जिसके क्षेत्राधिकार में वह परिसर जहां अमोनियम नाइट्रेट भेजा गया है। स्थित है।
6. अग्नि या विस्फोट के कारण होने वाली दुर्घटनाओं और अमोनियम नाइट्रेट की हानि उसमें कमी या चोरी की सूचना निकटतम पुलिस स्टेशन और विस्फोटक नियंत्रक जिसके क्षेत्राधिकार में हानि, कमी या चोरी अनुज्ञात हुई, को दी जाएगी।
7. अमोनियम नाइट्रेट को अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के नियम 8 और 9 के अनुसार पेटीबंद और चिह्नांकित किया जाएगा।

अतिरिक्त शर्तें

1. यह अनुज्ञप्ति अंतरणीय नहीं है।
2. अनुज्ञप्ति या उसकी प्राधिकृत प्रति सदैव यान में उपलब्ध रखी जाएगी एवं मांगे जाने पर निरीक्षण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।
3. किसी विस्फोटक, ज्वलनशील पदार्थ, तेल, कार्बोनेशियस सामग्री आदि के साथ अमोनियम नाइट्रेट का परिवहन नहीं किया जाएगा।
4. अमोनियम नाइट्रेट का वहन करने वाले ट्रक चालक या वाहन का संचालक यथापेक्षित समय के अतिरिक्त या अनावश्यक रूप से लम्बी अवधि के लिए वाहन को नहीं रोकेगा एवं ऐसे स्थानों पर रुकने से बचेगा जहाँ जनसुरक्षा खतरे में हो

परन्तु जहाँ अमोनियम नाइट्रेट का परिवहन या वहन करने वाला ट्रक या मेल्ट टैंकर उसमें हुए किसी ब्रेकडाउन या चालक के नियंत्रण से बाहर किसी अन्य कारण से रातभर खड़ी रहती है तो जिस परिसर में ट्रक पार्क है, वह

- (क) किसी ऐसे उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा जिसमें खुली आग, माचिस या कोई ऐसी अन्य वस्तु या पदार्थ मौजूद हो जो विस्फोट या आग का कारण बन सकता है।
- (ख) किसी रिहायश या ज्वलनशील प्रकृति की वस्तु या अन्य परिसंकटमय सामग्री युक्त किसी गोदाम से दूर होना चाहिए।

परन्तु अस्थाई वाहन पार्किंग और स्थिति के बारे में निकट के पुलिस स्टेशन को सूचित किया जाएगा।

5. अमोनियम नाइट्रेट का वहन करने वाला वाहन परिवहन के दौरान अनुज्ञप्तिधारी के खर्च पर पर्याप्त सुरक्षित होना चाहिए। यदि अमोनियम नाइट्रेट के पारेषण के किसी ऐसे क्षेत्र से गुजरने की संभावना है जिसे गृह मंत्रालय द्वारा संवेदनशील अधिसूचित किया गया है, उसके साथ जिला प्राधिकारी द्वारा प्रावधान किए गए सशस्त्र पुलिस बल या गार्ड होने चाहिए।
6. अमोनियम नाइट्रेट मेल्ट का परिवहन विशेष रूप से उसके लिए डिजाइन किए गए डिस्चार्ज फॉसेट युक्त टैंकर द्वारा किया जाना चाहिए जिनके डिस्चार्ज फॉसेट मेल्ट आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा सम्यक् रूप से सीलड हों। मेल्ट आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा मेल्ट के सान्द्रता कारक को स्पष्टतः इंगित करते हुए गुणवत्ता नियंत्रण प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। कन्वर्टर यह सत्यापित करेगा कि डिस्चार्ज फॉसेट का सील इन्टेक्ट है एवं अमोनियम नाइट्रेट के सान्द्रता कारक को सत्यापित करेगा।
7. गृह मंत्रालय द्वारा संवेदनशील अधिसूचित किए गए क्षेत्रों से सूर्यास्त से सूर्योदय के मध्य की अवधि में अमोनियम नाइट्रेट के परिवहन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
8. अमोनियम नाइट्रेट या अमोनियम नाइट्रेट मेल्ट का वहन करने वाले ट्रक पर धूम्रपान, अग्नि, कृत्रिम रोशनी या अन्य किसी ऐसी वस्तु की अनुमति नहीं होगी जो आग उत्पन्न करने का कारण बन सकती हो।
9. ट्रक या मेल्ट टैंकर का प्रयोग किसी यात्री को ले जाने के लिए नहीं किया जाएगा।
10. अमोनियम नाइट्रेट के लदान, उतारने या परिवहन के दौरान ट्रक या मेल्ट टैंकर सदैव किसी ऐसे सक्षम व्यक्ति के प्रभार में होना चाहिए जो अमोनियम नाइट्रेट की धराउठाई में अनुभवी हो तथा इसके बारे में पूरा जानकार हो। जहाँ ट्रक अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नहीं चलाया जा रहा है, अनुज्ञप्तिधारक द्वारा हस्ताक्षरित, ट्रक चलाने एवं ट्रक के साथ रहने के लिए प्राधिकृत व्यक्तियों के नाम सम्बन्धी दस्तावेज ट्रक में रखना चाहिए एवं मांगे जाने पर निरीक्षण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
11. ट्रक या मेल्ट ट्रक में अमोनियम नाइट्रेट की लदान केवल पारेषक के अधिकृत परिसर में किया जाना चाहिए एवं कन्साइनी के अनुज्ञप्त परिसर में ही उतारा जाना चाहिए।
12. अनुज्ञप्तिधारक द्वारा प्ररूप द-4 में परिवहन किए गए अमोनियम नाइट्रेट का लेखाजोखा रखा जाना चाहिए एवं मांगे जाने पर निरीक्षण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
13. किसी निरीक्षण अधिकारी या नमूना लेने वाले अधिकारी को अधिकृत परिसर में युक्तियुक्त समय पर बराबर अबाध पहुँच प्रदान की जाएगी और ऐसे अधिकारी को इस सभी सुविधाएँ उपलब्ध की जाएंगी कि वह सुनिश्चित कर सके जिससे कि अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों एवं सुरक्षा सम्बन्धी शर्तों को सम्यक् रूप से पालन किया जा रहा है।
14. अग्नि या विस्फोट के कारण होने वाली दुर्घटनाओं और अमोनियम नाइट्रेट की हानिए उसमें कमी या चोरी की सूचना निकटतम पुलिस स्टेशन/जिला प्राधिकारी तुरन्त दी जाएगी।

अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर पदनाम एवं मुहर

अनुज्ञप्ति

प्ररूप त - 5

अनुज्ञप्तिधारी या
अधिभोगी का हस्ताक्षर
सहित फोटोग्राफ

(अमोनियम नाइट्रेट नियम 2012 की अनुसूची 1 का क्रमांक 5 और नियम 35 देखें)

(क) अमोनियम नाइट्रेट के आयात के लिए अनुज्ञप्ति

या

(ख) अमोनियम नाइट्रेट के निर्यात के लिए अनुज्ञप्ति

अनुज्ञप्ति संख्या

वार्षिक शुल्क रु0

1. अनुज्ञप्ति एतद्वारा जारी की जाती है -

नाम

डाक पता शहर

जिला राज्य पिन कोड

पुलिस स्टेशन रेल्वे स्टेशन या स्टीमर घाट

फोन ईमेल फैक्स

2. अनुज्ञप्तिधारी का स्तर

3. अनुज्ञप्ति निम्न प्रकार के और गुणता के अमोनियम नाइट्रेट के लिए बैध है

(क) अमोनियम नाइट्रेट के आयात हेतु

आयातित अमोनियम नाइट्रेट का भार मी0 टन में	बंडल या बैग्ड रूप में	पारेषक का नाम एवं पता	भंडार गृह या पारेषिती के भंडार गृहों की अनुज्ञप्ति संख्या	आयात का पत्तन	आयात का माध्यम	नौभरण एजेंट का विवरण अमोनियम नाइट्रेट विनियम, 2011 के अधीन अनुज्ञप्ति संख्या

(ख) अमोनियम नाइट्रेट के निर्यात हेतु

निर्यातित अमोनियम नाइट्रेट का भार	बैग की संख्या	पारेषक का नाम और पता या देश का विवरण	पारेषक के भंडार गृह की अनुज्ञप्ति संख्या	निर्यात का पत्तन	निर्यात का माध्यम
मी० टन में					

4. अनुज्ञप्ति, समय समय पर यथा संशोधित विस्फोटक अधिनियम 1884, एवं उसके अधीन बनाए गए अमोनियम नाइट्रेट नियम 2012, शर्तों, अतिरिक्त शर्तों तथा निम्नलिखित उपबन्धों के अधीन जारी की जाती है।

5. यह अनुज्ञप्ति तक वैध रहेगी। (जारी होने की तिथि से अधिकतम एक वर्ष)।

यह अनुज्ञप्ति विस्फोटक अधिनियम 1884 या उसके अधीन बनाए गए अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 या इस अनुज्ञप्ति की शर्तों को कोई उल्लंघन करने पर निलम्बित या प्रतिसंहत की जा सकती है।

तारीख 20.....

मुख्य विस्फोटक नियंत्रक के हस्ताक्षर, पदनाम एवं मुहर

शर्तें

1. आयात किए गए अमोनियम नाइट्रेट को अनुज्ञप्त स्टेवेडोर के भंडार गृह के लिए हटा दिया जाएगा और वाटरप्रूफ बैगों में रखा जाएगा।
2. अमोनियम नाइट्रेट के प्रत्येक बैग चिह्नांकन अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के अनुसरण में किया जाएगा।
3. आयात अनुज्ञप्तिधारी बैग्ड अमोनियम नाइट्रेट की डिलीवरी लेगा एवं विक्रेता या उपयोक्ता के अनुज्ञप्त स्थान में डिलीवर करेगा।
4. केवल इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्त के अतिरिक्त किसी अमोनियम नाइट्रेट का आयात किया जाएगा।
5. आयात/निर्यात किए गए अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा इस अनुज्ञप्ति द्वारा अधिकृत किए गए मात्रा से अधिक नहीं होगा।
6. इस अनुज्ञप्ति द्वारा अधिकृत पत्तन के अतिरिक्त इस अनुज्ञप्ति के आधार पर आयातित अमोनियम नाइट्रेट का वहन करने वाला कोई भी जहाज या नौका एवं किसी भी जहाज या नौका से किसी भी ऐसे अमोनियम नाइट्रेट की अनलोडिंग या ट्रांसशिपमेन्ट नहीं की जाएगी।
7. अनुज्ञप्तिधारी इस अनुज्ञप्ति में उल्लिखित आयात के पत्तन पर लागू सभी नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करेगा।
8. जहाज या नौका का मालिक, जिसमें इस अनुज्ञप्ति के आधार पर अमोनियम नाइट्रेट का आयात किया जा रहा है, जब भी आयात/निर्यात के स्थान पर क्षेत्राधिकार रखने वाले निरीक्षण प्राधिकारी या कस्टम प्राधिकारी द्वारा यदि अपेक्षित हो, को, आयात/निर्यात किए जाने वाले अमोनियम नाइट्रेट की जाँच हेतु नमूने लेने की अनुमति देंगे।
9. किसी निरीक्षण अधिकारी या नमूना लेने वाले अधिकारी को अधिकृत परिसर में सभी युक्तियुक्त समय पर बराबर अबाध पहुँच प्रदान की जाएगी और ऐसे अधिकारी को सभी सुविधाएँ उपलब्ध की जाएंगी जिससे कि वह सुनिश्चित कर सके कि अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों एवं सुरक्षा सम्बन्धी शर्तों को सम्यक् रूप से पालन किया जा रहा है।
10. अग्नि या विस्फोट के कारण होने वाली दुर्घटनाओं और अमोनियम नाइट्रेट की हानि, उसमें कमी या चोरी की सूचना निकटतम पुलिस स्टेशन, जिला प्राधिकारी और मुख्य विस्फोटक नियंत्रक या अनुज्ञापन प्राधिकारी को तुरन्त दी जाएगी।
11. निर्यात या आयात या कब्जे में रखे गए अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए।
12. अनुज्ञप्तिधारक अनुसूची II भाग 3 में विनिर्दिष्ट प्ररूप में इनका अभिलेख रखेंगे एवं नियम 49 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को मांगे जाने पर ऐसे अभिलेख प्रस्तुत करेंगे।

मुख्य विस्फोटक नियंत्रक के हस्ताक्षर पदनाम एवं मुहर

अनुसूची 2

(भाग - 3)

विवरणियाँ

प्ररूप द - 1

(अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 का नियम 36 देखें)

अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए आवेदन

(प्ररूप भरने से पहले नीचे दिए गए टिप्पण को देखें)

प्रेषक

सेवा में

महोदय

1. मैं, की ओर से प्ररूप में जारी अनुज्ञप्ति संख्या के से की अवधि के नवीनीकरण हेतु आवेदन करता हूँ और निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करता हूँ -

पिछले पाँच वर्षों के दौरान -

(i) मैं या हम -

क. निम्नलिखित अपराधों के लिए सिद्धदोष नहीं ठहराया गया हूँ / ठहराए गए हैं/ (जो लागू न होता हो उसे काट दें) सिद्धदोष ठहराया गया हूँ / ठहराए गए हैं और दंडादिष्ट किया गया हूँ / किए गए हैं ।

ख. मुझे/हमें परिशांति कायम करने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय VIII के अधीन बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश नहीं दिया गया है ।

ग. मुझे/हमें न्यायालय द्वारा उपर्युक्त अनुज्ञप्ति या प्रमाणपत्र के सम्बन्ध में कोई निदेश जारी नहीं किए गए हैं। (यदि उत्तर हाँ में हैं तो विवरण दें)

(ii) अनुज्ञापन प्राधिकारी ने मुझे / हमें अधिनियम और इन नियमों के अन्तर्गत प्ररूप में अनुदत्त अनुज्ञप्ति संख्या रद्द कर दी थी / नवीनीकृत नहीं की थी ।

2. मैं / हम निम्नलिखित दस्तावेज भी संलग्न कर रहा हूँ / कर रहे हैं :-
- (i) अनुमोदित आरेखण एवं अनुसूचियों सहित प्ररूप में अनुज्ञप्ति या प्रमाणपत्र संख्या
 - (ii) नवीनीकरण फीस के लिए में आहरित बैंक का रु० का ड्राफ्ट ।
3. मैं / हम यह पुष्टि करते हैं कि उस अनुज्ञप्ति के सम्बन्ध में, जिसके नवीकरण के लिए आवेदन किया है, के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी किए गए आदेश या निदेश, अंतरिम या अन्यथा के विषय में आपको सूचित करेंगे, जिसके न हो सकने पर मैं / हम दण्डनीय अपराध कारित करूँगा / करेंगे ।
4. मैं / हम यह प्रमाणित करते हैं कि
- (i) हमारे द्वारा ऊपर दी गई विशिष्टियाँ सही हैं ।
 - (ii) मुझे / हमें इसका ज्ञान है कि यदि मेरे द्वारा अमोनियम नाइट्रेट अवैध रूप से किसी अप्राधिकृत व्यक्ति को अंतरित किया जाता है तो मैं / हम दण्डनीय अपराध कारित करूँगा / करेंगे ।
 - (iii) मुझे / हमें इसका ज्ञान है कि यदि मैं / हम इस आवेदन से सुसंगत कोई सूचना छिपाता हूँ / छिपाते हैं तो मैं / हम दण्डनीय अपराध कारित करूँगा / करेंगे और इसके अतिरिक्त मेरे / हमारे विरुद्ध कोई भी प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी ।

अनुज्ञप्तिधारी के हस्ताक्षर

(कम्पनी के मामले में प्राधिकृत व्यक्ति)

स्थान

आवेदन की तिथि

टिप्पण

1. पूर्ण नवीनीकरण या पुनर्विधिमान्यकरण आवेदन पत्र नवीनीकरण प्राधिकारी के पास अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तिथि से पूर्व पहुँच जाना चाहिए जिससे विलम्ब शुल्क से बचा जा सके ।
2. जो लागू न हो, उसे काट दें ।

प्ररूप द - 2

(अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 का नियम 14 देखें)

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लेखाजोखा रखे जाने का प्ररूप

विनिर्मित, संपरिवर्तित अमोनियम नाइट्रेट का लेखाजोखा

नोट - यह लेखाजोखा अद्यतन रखा जाए

अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के प्ररूप में अनुज्ञप्ति संख्या

दिनांक	बैच नम्बर्स	बैग की संख्या	विनिर्माण से उत्पन्न मेल्ट, संपरिवर्तन के मामले में प्रयुक्त मेल्ट
01	02	03	04

विनिर्मित, संपरिवर्तित की गई अमोनियम नाइट्रेट की कुल मात्रा	टिप्पणी	प्रभारी व्यक्ति या अनुज्ञप्तिधारी के हस्ताक्षर	मेल्ट आपूर्तिकर्ता का नाम एवं पता	क्या फुल यील्ड प्राप्त हुआ ?
05	06	07	08	09

स्थान

तारीख

अनुज्ञप्तिधारी या प्रभारी व्यक्ति के हस्ताक्षर

प्ररूप द - 3

(अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 का नियम 18 देखें)

आयातकर्ता द्वारा लोडिंग के स्थान या पत्तन से अमोनियम नाइट्रेट का प्रेषण किए जाने पर मुख्य नियंत्रक को प्रेषित किया जाने वाला घोषणा पत्र

आयात अनुज्ञप्ति सं० और तारीख	वैधता	आयात के लिए स्वीकृत मात्र	अमोनियम नाइट्रेट के विनिर्माता का नाम एवं पता

जहाज पर अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा

कन्साइनर का नाम एवं पता	प्रेषण का स्थान या पत्तन	जहाज का नाम एवं चलने की तारीख	आयात का स्थान या पत्तन	आगमन की सम्भावित तारीख

विनिर्माण की तारीख	बैच संख्या	मात्रा	बैग की संख्या

आयातकर्ता के हस्ताक्षर

(कम्पनी के मामले में प्राधिकृत व्यक्ति)

स्थान

तारीख

पूरा नाम

पता

प्ररूप द - 4

(अमोनियम नाइट्रेट नियम 2012 का नियम 18 देखें)

आयातकर्ता का प्रेषण अनुसूची

आयात के स्थान या पत्तन से अमोनियम नाइट्रेट के कन्साइनमेन्ट के क्लीयर होते ही यह घोषणापत्र भरकर तीन प्रतियों में मुख्य विस्फोटक नियंत्रक को प्रेषित किया जाना चाहिए

आयातकर्ता का नाम एवं पता	मुख्य नियंत्रक द्वारा अमोनियम नाइट्रेट नियम के अन्तर्गत जारी आयात अनुज्ञप्ति संख्या और अनुज्ञप्ति समाप्त होने की तिथि	अमोनियम नाइट्रेट के विनिर्माता का नाम और पता

आयात के स्थान या पत्तन से प्रेषण का विवरण

अनुज्ञप्तिधारी का नाम और पता जिसको अमोनियम नाइट्रेट का प्रेषण किया गया था	अनुज्ञप्ति संख्या और प्ररूप	प्रेषित किए गए अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा	
		मात्रा	बैग की संख्या

पारेषक का नाम एवं पता	आयात किए गए अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा	स्थान या पत्तन जहाँ से अमोनियम नाइट्रेट भेजा गया था	जहाज का नाम	आगमन की तारीख एवं आयात का स्थान या पत्तन

बैच संख्या एवं तारीख	प्रेषण की तारीख	प्रेषण का माध्यम

आयातकर्ता के हस्ताक्षर

स्थान

(कम्पनी के मामले में प्राधिकृत व्यक्ति)

आवेदन की तारीख

पूरा नाम

पता

प्ररूप - 5

(अमोनियम नाइट्रेट नियम 2012 का नियम 14 देखें)

नौभरण एजेन्ट द्वारा लेखाजोखा रखे जाने का प्ररूप

अमोनियम नाइट्रेट के नौभरण, बैगिंग, भण्डारण एवं प्रेषण का लेखाजोखा

टिप्पण - यह लेखाजोखा अद्यतन रखा जाए

अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के प्ररूप में अनुज्ञप्ति संख्या

तारीख	जहाज का नाम जहाँ से आयातकर्ता की ओर से प्रपुंज अमोनियम नाइट्रेट उतारा गया	आयातकर्ता का नाम एवं पता सहित आयात अनुज्ञप्ति संख्या
01	02	03

जहाज से उतारे गए अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा चाहे प्रपुंज में हो या बड़े आकार के बैग या पात्रों में हो	बैग की संख्या जिनमें अमोनियम नाइट्रेट को पुनः पैक किया गया है	बैग में पुनः भरे गए अमोनियम नाइट्रेट की कुल मात्रा	बैग की संख्या या अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा जो आयातकर्ता को प्रेषित की गई	पैकड अमोनियम नाइट्रेट आयातकर्ता को प्रेषित करने की तारीख
04	05	06	07	08

ट्रान्सपोर्टर का नाम एवं पता तथा उसकी अनुज्ञप्ति संख्या	ट्रक का रजिस्ट्रेशन संख्या जिसके द्वारा अमोनियम नाइट्रेट प्रेषित किया गया	फैले, संग्रह किए गए गए और पुनः प्रसंस्करण के लिए संपरिवर्तक के पास भेजे गए अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा	पास संख्या	अनुज्ञप्तिधारी या प्रभारी व्यक्ति के हस्ताक्षर
09	10	11	12	13

अनुज्ञप्तिधारी या प्रभारी व्यक्ति के हस्ताक्षर

स्थान

तारीख

प्ररूप द - 6

(अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 का नियम 14 देखें)

परिवहन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अभिलेख रखे जाने का प्ररूप

अमोनियम नाइट्रेट या मेल्ट के वाहन या मेल्ट टैंकर द्वारा परिवहन का अभिलेख

नोट - यह लेखाजोखा अद्यतन रखा जाए

अमोनियम नाइट्रेट नियम 2012 के प्ररूप में अनुज्ञप्ति संख्या तारीख

तारीख	पारेषक का नाम पता एवं अनुज्ञप्ति संख्या	लदाई का स्थान	परिवहन की गई मात्रा		ट्रक या टैंकर रजिस्ट्रेशन संख्या	वाहन चालक का नाम, पता एवं अनुज्ञप्ति संख्या
			बैग में अमोनियम नाइट्रेट	अमोनियम म नाइट्रेट मेल्ट		
01	02	03	04	05	06	07

पास संख्या	पारेषिती का नाम पता एवं अनुज्ञप्ति संख्या	उतारने का स्थान	अमोनियम नाइट्रेट या मेल्ट उतारने की तारीख	टिप्पणी	अनुज्ञप्तिधारी या प्रभारी व्यक्ति के हस्ताक्षर
08	09	10	11	12	13

अनुज्ञप्तिधारी या प्रभारी व्यक्ति के हस्ताक्षर

स्थान

तारीख

प्ररूप द - 7

(अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 का नियम 14 देखें)

परिवहन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लेखाजोखा रखे जाने का प्ररूप

अमोनियम नाइट्रेट के विक्रय का लेखा जोखा

नोट - यह लेखाजोखा अद्यतन रखा जाए। प्रविष्टियाँ प्रतिदिन एवं जब भी अमोनियम नाइट्रेट का विक्रय हो, की जानी चाहिए

अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के प्ररूप में अनुज्ञप्ति संख्या दिनांक

तारीख	आरंभिक अतिशेष (किग्रा में)	प्राप्त हुए अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा (किग्रा में)	बैच संख्या	जिससे अमोनियम नाइट्रेट क्रय किया गया, उसका नाम, पता और अनुज्ञप्ति संख्या	परिवहन का माध्यम, वाहन संख्या एवं ट्रान्सपोर्टर की अनुज्ञप्ति संख्या	पास संख्या
01	02	03	04	05	06	07

विक्रय हुए अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा (किग्रा में)	बैच संख्या	जिसको अमो नियम नाइट्रेट विक्रय किया गया, उसका नाम पता और अनुज्ञप्ति संख्या	परिवहन का माध्यम, वाहन संख्या और ट्रान्सपोर्टर की अनुज्ञप्ति संख्या	पास संख्या	अंत अतिशेष (किग्रा में)	टिप्पणी
08	09	10	11	12	13	14

अनुज्ञप्तिधारी या प्रभारी व्यक्ति के हस्ताक्षर

स्थान

तारीख

प्ररूप द - 8

(अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 का नियम 14 देखें)

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लेखाजोखा रखे जाने का प्ररूप

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अमोनियम नाइट्रेट के प्रयोग का लेखाजोखा

टिप्पण - यह लेखाजोखा अद्यतन रखा जाए। प्रविष्टियाँ प्रतिदिन एवं जैसे ही प्रयोग हेतु अमोनियम नाइट्रेट जारी किया जाता है या अप्रयोज्य अमोनियम नाइट्रेट वापस किया जाता है, की जानी चाहिए।

अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के प्ररूप में अनुज्ञप्ति संख्या तारीख.....

तारीख	आरंभिक अतिशेष (किग्रा में)	क्रय हुए अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा (किग्रा में)	बैच संख्या और तारीख	जिससे अमोनियम नाइट्रेट प्राप्त किया गया, उसका नाम, पता एवं अनुज्ञप्ति संख्या	पास संख्या	प्रयुक्त की गई मात्रा (किग्रा में)	उपयोग का स्थान
1	2	3	4	5	6	7	8

अनुज्ञप्तिधारी या प्रभारी व्यक्ति के हस्ताक्षर

स्थान

तारीख

प्ररूप द - 9

(अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 का नियम 14 देखें)

अमोनियम नाइट्रेट की मासिक विवरणी

स्थान जिला राज्य में स्थित अमोनियम नाइट्रेट भण्डार गृह या
 के भंडार गृह के लिए अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के प्ररूप
 में जारी अनुज्ञप्ति संख्या के सम्बन्ध में माह के दौरान प्राप्त,
 प्रयोग, विक्रय, नष्ट या चोरी हुए

अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के प्ररूप में अनुज्ञप्ति संख्या

1. महीने के प्रथम दिन आरंभिक अतिशेष
2. अमोनियम नाइट्रेट का एकाउण्ट

प्राप्त अमोनियम नाइट्रेट का विवरण

तारीख	मात्रा (किग्रा में)	आपूर्तिकर्ताओं के नाम, पता और अनुज्ञप्ति संख्या जिनसे अधिनियम नाइट्रेट प्राप्त हुआ था	पास नम्बर
01	02	03	04

3. महीने के दौरान प्रयोग या विक्रय किए गए अमोनियम नाइट्रेट की कुल मात्रा

तारीख	विक्रय की मात्रा (किग्रा में)	जिसे अमोनियम नाइट्रेट विक्रय किया गया, उसका नाम, पता एवं अनुज्ञप्ति संख्या	पास नम्बर	उपयोग की मात्रा (किग्रा में)
01	02	03	04	05

4. महीने के दौरान विनष्ट किए गए अमोनियम नाइट्रेट का विवरण

तारीख	मात्रा (किग्रा में)	विनष्टीकरण का कारण
01	02	03

5. चोरी हुए या कम प्राप्त हुए अमोनियम नाइट्रेट का विवरण

तारीख	मात्रा (किग्रा में)	मात्रा (किग्रा में)	क्या चोरी या हानि की रिपोर्ट पुलिस एवं जिला प्राधिकारी को की गई, यदि हाँ तो सन्दर्भ दें	टिप्पणी
01	02	03	04	05

अनुज्ञप्तिधारी या प्रभारी व्यक्ति के हस्ताक्षर

स्थान

तारीख

प्ररूपद - 10

(अमोनियम नाइट्रेट नियम 2012 का नियम 26 (2) (क) देखें)

अमोनियम नाइट्रेट के मांगपत्र का प्ररूप

स्थान

दिनांक

सेवा में

.....

.....

महोदय

कृपया अमोनियम नाइट्रेट की निम्नलिखित मात्रा मुझे या हमें आपूर्ति करने की कृपा करें।

मात्रा (किग्रा में) :

मुझे या हमें विक्रय या प्रयोग हेतु अमोनियम नाइट्रेट की निम्नलिखित प्रकार एवं मात्रा कब्जे में रखने के लिए अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के अन्तर्गत प्ररूप में अनुज्ञप्ति संख्या प्राप्त है

:

मात्रा (किग्रा में) :

उक्त उल्लिखित अनुज्ञप्ति दिनांक तक वैध है।

अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के नियम के अन्तर्गत आवश्यक पृष्ठांकन हेतु अनुज्ञप्ति प्रेषित की जा रही है। कृपया पृष्ठांकन के पश्चात् अनुज्ञप्ति वापस करने की कृपा करें।

मैं या हम सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ / करते हैं कि

(क) माँगा गया अमोनियम नाइट्रेट अनुज्ञप्त मात्रा से अधिक नहीं होगा : और

(ख) कोई भी समरूप माँग पत्र किसी अन्य आपूर्तिकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है।

*अमोनियम नाइट्रेट कृपया मेरे या हमारे अधिकृत प्रतिनिधि जिसके हस्ताक्षर नीचे प्रमाणित किए गए हैं, को हस्तगत करने की कृपा करें -

प्रमाणित

अनुज्ञप्तिधारी के हस्ताक्षर

(पारेषिती)

अनुज्ञप्तिधारी के हस्ताक्षर

स्थान

तारीख

* जो लागू न हो उसे काट दें।

प्ररूप आर - 11 (क)

(अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 का नियम 20 (3) देखें)

अमोनियम नाइट्रेट के पारेषण का परिदान से पहले पारेषक द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक को सूचना दिए जाने

सम्बन्धी प्ररूप

1. प्रेषण की जाने वाली अमोनियम नाइट्रेट की प्रस्तावित मात्रा
2. पैकेजेस या बैग की संख्या
3. जिस वाहन के द्वारा अमोनियम नाइट्रेट का परिवहन प्रस्तावित है, उसका रजिस्ट्रीकरण संख्या
4. पारेषिती का नाम एवं पता
5. अमोनियम नाइट्रेट स्टोर करने हेतु पारेषिती के अनुज्ञप्ति की संख्या एवं वैधता
6. पारेषिती के माँग पत्र की संख्या एवं तारीख
7. पारेषण प्राप्त करने वाले प्राधिकृत व्यक्ति का नाम एवं पता
8. पारेषण के प्रेषण की तारीख

पारेषक के हस्ताक्षर

अनुज्ञप्ति संख्या

अनुज्ञप्ति प्ररूप

स्थान

तारीख

प्ररूप द - 11 (ख)

(अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 का नियम 21 (4) (ख) देखें)

अमोनियम नाइट्रेट के पारेषण के लिए

पारेषक द्वारा निर्गमित पास

1. संख्या
2. यह पास निम्नलिखित मात्रा के अमोनियम नाइट्रेट या अमोनियम नाइट्रेट मेल्ट के बैगों का समावेश करता है :
 - (क) बैगों की संख्या
 - (ख) मात्रा
 - (ग) बैच संख्या एवं तारीख
 - (घ) विनिर्माता, संपरिवर्तक का नाम
 - (ङ) नौभारिक की अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के अधीन जारी अनुज्ञप्ति संख्या.....जब तक ----से ----तक अभिवहन में है।
3. अमोनियम नाइट्रेट का परिवहन वाहन रजिस्ट्रेशन नं० द्वारा हो रहा है।
4. पारेषिती का नाम एवं पता
5. पारेषिती के अनुज्ञप्ति की संख्या एवं प्ररूप
6. पारेषिती के माँग पत्र की संख्या और तारीख और मांग की गई अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा.....
7. पारेषिती के पत्र की संख्या और अमोनियम नाइट्रेट की अभिप्राप्ति करने की इच्छा की सूचना की तारीख
8. पारेषण के प्रेषण की तिथि
9. पारेषण के गन्तव्य तक पहुँचने की संभावित तारीख

पारेषक के हस्ताक्षर

अनुज्ञप्ति संख्या

अनुज्ञप्ति प्ररूप

स्थान

तारीख

प्रमाणपत्र

प्ररूप ग - 1

(अमोनियम नाइट्रेट नियम 2012 का नियम 18 (5) देखें)

पत्तन में प्रवेश करने से पहले अमोनियम नाइट्रेट ले जाने वाले जहाज के मास्टर या जहाज के एजेन्ट

द्वारा की जाने वाली घोषणा

1. जहाज का नाम

2. पत्तन में आगमन की तारीख..... पत्तन.....

अमोनियम नाइट्रेट का विवरण	विनिर्माण की तारीख, बैच संख्या और बैग पर भेदपरक पहचान चिह्न	ले जाने वाली कुल मात्रा किलोग्राम या बैग में	पत्तन पर उतारे जाने वाली कुल मात्रा किलोग्राम या बैग में	टिप्पणी

जहाज के मास्टर या एजेन्ट के हस्ताक्षर

स्थान

तारीख

प्ररूप म - 2

अनापत्ति प्रमाणपत्र का प्रारूप

अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाणपत्र

संख्या

तारीख

आवेदन पत्र संख्या तारीख के सन्दर्भ में और अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के नियम 33 के अनुसरण में सम्यक रूप से पृष्ठांकित और संलग्न स्थल आरेखण में सर्वे नं० या गाटा सं० या खसरा सं० ग्राम तालुक जिला राज्य स्थित परिसर में श्री या मै० पता को निम्नलिखित उद्देश्य, प्रकार एवं मात्रा के अमोनियम नाइट्रेट हेतु अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के नियम के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति जारी किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है ।

1. उद्देश्य
2. अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा :
(क) किसी एक समय में
(ख) एक माह में

अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर और कार्यालय की मुहर

(जिला मजिस्ट्रेट या खान सुरक्षा महानिदेशक)

[फा. सं. 17(12)/2007-विस्फोटक]

डी. वी. प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th July, 2012

G.S.R. 553(E).—Whereas the draft of **Ammonium Nitrate Rules, 2011** was published, as required by sub-section (1) of section 18 of Explosive Act, 1884 (4 of 1884) vide notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department of Industrial Policy and Promotion) number G.S.R. 694(E), dated the 16th day of September, 2011 in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (i) inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of a period of forty five days from the date on which the copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And, whereas, copies of the said Gazette were made available to the public on 16th September, 2011;

And, whereas, objections and suggestions were received from the public on the said draft rules, have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sections 5 and 7 of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884) the Central Government hereby makes following rules, namely:-

1. Short title and commencement—

- (1) These rules may be called the Ammonium Nitrate Rules, 2012.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

CHAPTER I
PRELIMINARY

2. Definitions — In these rules, unless the context otherwise requires;-

- (a) “Act” means the Explosives Act, 1884(4 of 1884);
- (b) “Ammonium Nitrate” means the compound having the chemical formula NH_4NO_3 and includes any mixture or compound having more than 45 percent Ammonium Nitrate by weight including emulsions, suspensions, melts or gels (with or without inorganic nitrates) but excluding emulsion or slurry explosives and non-explosives emulsion matrix and fertilizers from which the Ammonium Nitrate cannot be extracted by any physical or chemical process;

- (c) **“Chief Controller”** means the Chief Controller of Explosives;
- (d) **“Competent person”** means a person who is adequately experienced and well conversant in safe manufacture, conversion, storage, transportation and handling of Ammonium Nitrate, as the case may be;
- (e) **“Controller”** includes the Joint Chief Controller of Explosives, the Deputy Chief Controller of Explosives, the Controller of Explosives and the Deputy Controller of Explosives;
- (f) **“Converter”** means a person or an agency which undertakes conversion of solid form of Ammonium Nitrate into melt form or melt form of Ammonium Nitrate into solid form, for other than own use;
- (g) **“Conservator”** includes any person or agency or firm acting under the authority of the officer or body of persons appointed to be conservator of a port under section 7 of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908);
- (h) **“District Authority” means,-**
 - (i) in towns having a Commissioner of Police, the Commissioner or a Deputy Commissioner of Police;
 - (ii) in any other place, the District Magistrate or Additional District Magistrate;
- (i) **“Departmental Testing Station”** means the testing station of the Petroleum and Explosives Safety Organisation;
- (j) **“explosive”** means the explosives as defined under clause (d) of section 4 of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884);
- (k) **“emulsion explosive”** and **“non-explosive emulsion matrix”** shall have the same meaning as defined under the Explosives Rules, 2008;
- (l) **“form”** means a Form specified in the Schedules annexed to these rules;
- (m) **“licence”** means pre-requisite document to manufacture, convert, import, export, stevedoring and bagging, transport, possess, sale and use of the Ammonium Nitrate;
- (n) **“licensing authority”** means authority empowered to issue the licence specified in Schedule I;
- (o) **“Occupier”**, in relation to premises means a person who has the control and is responsible for managing the affairs of the premises, and includes, in relation to Ammonium Nitrate, the person in possession of the Ammonium Nitrate;

Provided that in relation to a-

- (i) proprietary firm, the proprietor; or
- (ii) partnership firm, the partner nominated in writing by all other partners; or
- (iii) company, the director nominated in writing by the Board of Directors; or
- (iv) Society or association, the office bearer nominated in writing by the governing body,

shall be the occupier;

- (p) **“protected works”** includes buildings or structures in which persons dwell, college, school, hospital, theatre, cinema house, shop, office, market, place of storage of hazardous substances, etc. but does not include agricultural wells and pump sets connected therewith;
- (q) **“slurry explosive”** and **“Site mixed explosive”** shall have the same meaning as defined under Explosives Rules, 2008;
- (r) **“store house”** means independent building meant to possess or store Ammonium Nitrate other than Ammonium Nitrate melt;
- (s) **“stevedore”** includes any person or agency or firm which undertakes loading and unloading of bulk Ammonium Nitrate from the ship, its transport to the transit store for its bagging;
- (t) **“Safety and Security Management Plan”** means the comprehensive plan for ensuring and managing safety and security in Ammonium Nitrate manufacturing factory, stevedoring, transport, storage and usage premises.

3. Scope of applicability of Rules and exemptions.—

- (1) These rules are applicable all over India for regulating the manufacturing, conversion, import, export, stevedoring, bagging, transport, and possession for sale or use of the Ammonium Nitrate.
- (2) Nothing in these rules shall apply to the possession, use, transport or import or export of Ammonium Nitrate by -
 - (a) any of the Armed Forces of the Union and Ordnance Factories or other establishments of such Forces for own use in accordance with the rules or regulations made by the Central Government;
 - (b) the Indian Railways and its authorised carriers while acting as carrier;

- (c) the Port authority;
 - (d) any person employed under the Central Government or State Government in exercise of any power under the Act or these rules.
- (3) Nothing in these rules shall apply to the possession and use of ammonium nitrate of quantity not exceeding five kilograms by the established laboratories, educational institutions, medical institutions, hospitals and health clinics for scientific and educational purpose:
Provided the local police is informed of the quantity under possession for the aforesaid purpose.

CHAPTER II GENERAL PROVISIONS

4. **Control over manufacture, conversion, stevedoring and bagging, import, export, transport, possession for sale or use of Ammonium Nitrate.**— No person shall undertake manufacture, conversion, stevedoring, import, export, transport or possess for sale or use Ammonium Nitrate except as authorised or licensed under these rules.
5. **Pre-requisite for grant of licence.**— No licence shall be granted unless all the relevant provisions laid down under these rules and all conditions contained in the license forms under Part-2 of Schedule II annexed to these rules are complied with:
Provided that all the existing manufacturers, converters, users, transporters, stevedores, sellers, possessors, importers and exporters shall apply for licence within six months and shall comply with the provisions of these rules within a period of one year from the date of publication of these rules.

6. General Restrictions.—**(1) Restriction on manufacture -**

The Ammonium Nitrate shall not be manufactured at any place other than the place indicated in the licence.

(2) Restriction on storage and conversion;—

(a) The Ammonium Nitrate storehouse shall not be located in populated areas.

(b) No Ammonium Nitrate shall be converted at any place except at converter's premises duly licensed.

(c) No person shall extract Ammonium Nitrate from any fertilizer including by any chemical or physical process.

(3) Restriction on stevedoring, bagging and possession for sale or use—

(a) No person shall undertake stevedoring, bagging and possession for sale or use Ammonium Nitrate except under conditions of a licence granted under these rules at a licensed store house as specified therein;

(b) No person shall store, process, deliver, receive, handle or transport any Ammonium Nitrate contaminated fully or partially with any organic material, metal powder or scraps, or sulphur, phosphorous etc.

(4) Restriction on import or export—

(a) No person shall import or export any Ammonium Nitrate except under and in accordance with the conditions of licence granted under these rules;

(b) No Ammonium Nitrate shall be imported or exported except at its ports notified by the Central Government.

(c) The Ammonium Nitrate shall not be imported into India by Sea except through the ports which are duly approved for this purpose by the Ministry of Shipping and Transport, Government of India, in consultation with the Chief Controller and declared as Customs Ports by the Commissioner of Customs.

- (d) The Ammonium Nitrate imported into India by sea shall not be stored in the port.
- (5) **Restriction on transport —**
- (a) The Ammonium Nitrate shall not be transported with any other explosives, inflammable substances, oil, gases, carbonaceous matter, etc.
- (b) No Ammonium Nitrate shall be transported in any carriage vessel plying for or carrying passengers on hire.
- (6) **Restriction on delivery or dispatch—**
- (a) No person shall deliver or despatch any Ammonium Nitrate to anyone other than a person who-
- (i) is the holder of a licence to possess the Ammonium Nitrate or the agent of a holder of such a licence duly authorised by him in writing on his behalf; or
- (ii) is entitled under these rules to possess the Ammonium Nitrate without a licence.
- (b) The Ammonium Nitrate so delivered or despatched shall in no case exceed the quantity at any point of time for which the person is holding a licence under these rules.
- (c) No person shall receive Ammonium Nitrate from any person other than the holder of a licence granted under these rules.
- (7) **Restriction on handling Ammonium Nitrate.—** No person shall handle or cause to be handled any ammonium Nitrate between the hours of sunset and sunrise:
- Provided that nothing in this rule shall apply to handling of Ammonium Nitrate during the dark hours if proper illumination is provided in the area and the place is guarded.
- (8) **Restriction on employment of children, intoxicated persons and certain other persons.—**
- No person shall employ, allow or engage a person
- a) who is below the age of eighteen years; or
- b) who is in a state of intoxication; or
- c) who is mentally or physically challenged,

for manufacture, conversion, bagging, storage, sale, loading, unloading or transport of Ammonium Nitrate or to enter any premises permitted under these rules.

- (9) **Restriction on toxic, corrosive, dangerous or flammable substances.**— No toxic, corrosive or flammable or otherwise dangerous substances such as carbonaceous matter, reducing agents, petroleum, carbide of calcium, compressed gases or any other chemical which may react with Ammonium Nitrate in a manner that may result in an explosion shall be allowed in the premises meant for manufacture, conversion, bagging, storage, import, export, transport or handling of Ammonium Nitrate.
- (10) **Restriction on use.**—Ammonium Nitrate shall not be used for blasting either alone or in combination with other ingredients unless permitted under the Explosives Rules, 2008.

7. Employment of competent person.—

- (1) No Ammonium Nitrate shall be manufactured or converted except under supervision of a competent person.

Explanation. - The competent person referred to in sub-rule (1) shall be a person with degree or diploma in engineering or graduate in science having minimum five years' experience in chemical or explosives industry as an essential qualification and diploma in industrial safety as an optional qualification and shall be employed by the licensee to ensure compliance of safety norms for manufacture and conversion of the Ammonium Nitrate.

- (2) All operations associated with stevedoring, bagging, handling, transport and use of Ammonium Nitrate in any building or part thereof shall be carried out under the supervision of a person employed by the licence holder who is conversant with the process thereof and the hazards connected therewith and the provisions of these rules.

8. Packing of Ammonium Nitrate.—No person shall import, export, transport, possess or sell Ammonium Nitrate unless;

- (a) it is duly packed in a suitable waterproof bag or container or is suitably bagged by stevedore or converter;
- (b) the container or package is marked in accordance with the provisions of rule 8;
- (c) the packages conform to the relevant standard of Bureau of Indian Standards or other standards accepted and approved by the Chief Controller; and
- (d) the packages of Ammonium Nitrate for export or import conform to the requirements of the tests as specified under International Maritime Dangerous Goods Code (hereinafter referred to as the IMDG Code in these rules) or United Nations recommendations on the transport of Dangerous Goods.

9. Marking on Ammonium Nitrate packages.—

(1) Each bag or container containing Ammonium Nitrate shall be marked in conspicuous indelible characters, by means of stamping or painting with –

- (a) the words “AMMONIUM NITRATE”;
- (b) purity in percentage;
- (c) the name, address and licence number of manufacturer or converter or importer;
- (d) identification number of the package or bar coding;
- (e) the net weight of Ammonium Nitrate;
- (f) gross weight of the package;
- (g) date of bagging and batch number;
- (h) name, address, licence number and unique identification number of stevedoring agent, if any.

(2) The bags shall be serially numbered with date of bagging by means of stencilling, bar-coding, by RFID tags or any other means by the manufacturer or importer as directed by the Chief Controller.

10. Recovery of Spillage during handling.— If any spillage occurs during the process of handling of Ammonium Nitrate at any stage,

it should be carefully collected and bagged and accounted for and the spillage, if not contaminated, may be transferred expeditiously only to a licensee after proper accounting.

11. Special precautions against accident.—

- (1) No person shall commit or attempt to commit any act which may tend to cause a fire or explosion in or about any place where the Ammonium Nitrate is manufactured, converted, bagged, stored or transported.
- (2) Every person possessing Ammonium Nitrate and every person in charge of or engaged in the import, export, manufacture, conversion, bagging, sale, transport or handling of the Ammonium Nitrate shall at all times comply with the provisions of these Rules and the conditions of the licence relating thereto and observe all due precautions for the prevention of thefts or accidents by fire or explosion.
- (3) The premises used for storage of the Ammonium Nitrate shall not be used for storage of any other materials including fertilizers.
- (4) Every person shall prevent any other person from committing any such act as is prohibited under sub-rule (1)

12. Restriction on unauthorised persons, provision of guards and safety distance for storehouse.—

- (1) The licence holder shall at his own expense provide security guards for safe custody of Ammonium Nitrate stored in a storehouse.
- (2) For the purposes of sub-rule (1), the security guards shall be of such strength as the District Authority may consider it to be sufficient.
- (3) The premises used for manufacture of the Ammonium Nitrate or conversion of the melt into solid form of Ammonium Nitrate or vice versa and the storehouse shall be surrounded by a wall of at

least two metres height of such strength and construction as to effectively prevent entry of unauthorised persons.

(4) (a) The Ammonium Nitrate storehouse shall maintain;

(i) for storage not exceeding 30 MT, Safety Distance of 4.5 metres from store house to the compound wall and 45 metres from any protected works;

(ii) for storage exceeding 30 MT, Safety Distance of 9 metres from store house to the compound wall and 90 metres from any protected works;

(b) the storehouse may be adjacent to the bagging unit of the manufacturing, conversion or explosives or nitrous oxide manufacturing plants, but shall observe the provisions of clauses (i) and (ii) of sub-rule (a) of rule 4.

Note: The safety distance shall be measured from the edge of the storehouse.

(5) (a) The storehouse shall be;

(i) constructed at ground level without any mezzanine floor, upper floor or any basement;

(ii) with the floor(plinth) level not less than forty five centimetres from the ground level and well ventilated;

(iii) with at least 23 centimetres thick walls built of brick or stone mortar, or concrete and with roof of RCC or Asbestos or Fibre or GI sheet;

(iv) with sufficient numbers of doors made of steel of minimum three millimetres thick and opening outwards;

(b) Notwithstanding anything contained in sub-clause (iii) storehouse of stevedore may be a shed without side walls.

(6) Any storehouse used for possession for sale or possession for use of Ammonium Nitrate shall have a floor area not less than one square metre per Metric Tonne of Ammonium Nitrate and the

storehouse total holding capacity shall not exceed 5000 MT storage:

Provided that one stack of bagged Ammonium Nitrate shall not exceed 200 MT and a minimum clearance of two metres shall be maintained between the adjacent stacks and at least 0.6 metre wide gangway shall be maintained between the stacks and the walls of the storehouse.

Provided further that the maximum stack height shall not exceed 2.5metres from the floor level and the same shall be prominently marked on the walls of the storehouse.

- (7) The storehouse shall be protected against lightning as per IS 2309.
- (8) The storage tank meant for storage of Ammonium Nitrate melt shall be -
 - (i) constructed of stainless steel or any other compatible material according to sound engineering practice conforming to a national or international code accepted by the Chief Controller and adequately insulated and supported so as to ensure safety and stability during loading and unloading of Ammonium Nitrate melt into or from such storage tank;
 - (ii) with a secondary containment in the form of dyke enclosure made of cement concrete and its holding capacity shall not be less than the capacity of the largest tank situated within such enclosure;
 - (iii) observing Safety Distance of 4.5 metres within the compound wall and plant facilities and 45 metres from any protected works;
 - (iv) with single storage tank capacity not exceeding 200MT; and
 - (v) provided with a suitable hard stand adjacent to it for loading and unloading and such a hard stand shall be located so that its centre maintains a minimum safety distance of 4.5metres all around.

13. Prohibition of certain acts — No person shall —

- (i) provide false or misleading information or declaration in any application made or statement submitted under these rules; or
- (ii) falsify, erase or fraudulently alter any entry in any log book, document or other record required to be kept or maintained under these rules; or
- (iii) change or alter any licence, or other documents issued under these rules.

14. Maintenance of records and submission of returns.—

- (1) Every person holding a licence granted under these rules for manufacture, conversion, stevedoring, possession, sale, use, transport, import or export of the Ammonium Nitrate shall maintain records in the forms specified in **Part 3 of Schedule II** to ensure accountability, identification and traceability of Ammonium Nitrate and shall produce such records on demand to an authority specified in rule 50.
- (2) Stock books in the forms specified in Part 3 of schedule II shall be page numbered and certified by any officer authorised under these rules and such records shall be retained for a period of three years, unless otherwise directed by an authority.
- (3) The licence holder shall submit monthly returns of the Ammonium Nitrate manufactured, converted, stevedored, received, sold, transported, used, destroyed or imported or exported to the licence issuing Authority, the District Magistrate and Superintendent of Police in the form specified in **Part 3 of Schedule II** so as to reach the above authority on or before the tenth day of every succeeding month.
- (4) The licence holder shall maintain record and make transaction and file returns by electronic means when directed by the licence issuing authority or the Central Government.

CHAPTER III

PROVISIONS FOR MANUFACTURE, CONVERSION, POSSESSION, SALE AND USE OF AMMONIUM NITRATE

15. Safety and Security Management Plan —

- (1) A person intending to manufacture, convert, stevedore, bag, possess for sale or use, transport, import or export Ammonium Nitrate shall submit Safety and Security Management Plan to the licensing authority and to the District Authority with the security aspect duly vetted by the police authorities for approval.
- (2) The Plan as referred to in sub-rule (1) shall include the following safety and security aspects, namely:-
 - (a) assigned responsibility and organisational structure;
 - (b) hazard identification, risk assessment and control;
 - (c) provision of information, education and training to the work force, contractors and visitors;
 - (d) accident reporting and investigation;.
 - (e) emergency response planning and preparedness such as first aid, testing of emergency plan once in a year;
 - (f) Disaster Management Plan and provision of escape routes, identifying and assessing security risk associated with the activities; evacuation plan, appropriate fire fighting controls;
 - (g) set of process adopted by the holder of the licence to carry out authorized activities and keeping of Ammonium Nitrate secure;
 - (h) maintenance of schedules for plant and equipment;
 - (i) standard operating procedure;
 - (j) competence of personnel for tasks;
 - (k) nature of the surveillance;
 - (l) documentation and record keeping so as to ensure accountability, identification and traceability of Ammonium Nitrate; security arrangement for storehouse, tankers containing Ammonium Nitrate melt, transport of Ammonium Nitrate by vehicles, security during transport of Ammonium

Nitrate including its loading or unloading; mechanism for controlling and restricting access of unauthorized person to Ammonium Nitrate storage; assigning of responsibility for ensuring compliance with plan or task.

- (3) Every person engaged in the manufacturing factory shall be imparted training in safety and security aspects by competent persons periodically during manufacture, handling, transportation and storage of the Ammonium Nitrate and records of such trainings shall be maintained in the factory.

CHAPTER IV

PROVISIONS FOR IMPORT AND EXPORT OF AMMONIUM NITRATE

General

16. Import or export by land —

No licence for import or export of Ammonium Nitrate by land shall be granted without the previous sanction of the Central Government in each case, wherein the Central Government may impose conditions and restrictions in consultation with the Chief Controller

17. Compliance of Port Rules —

The provision of rules regulating handling of Ammonium Nitrate at the notified ports issued under the Act and respective Port rules and byelaws shall be observed.

18. Import of Ammonium Nitrate —

- (1) Ammonium Nitrate shall preferably be imported in the bagged form and whenever Ammonium Nitrate is imported in bulk, it shall be bagged or packed suitably by stevedoring agency duly authorized in writing by importer and having valid licence under these rules.
- (2) The stevedoring agent shall maintain records of Ammonium Nitrate received and dispatched to each importer to ensure accountability, identification and traceability and file returns.
- (3) The imported Ammonium Nitrate shall be immediately removed from the port to the stevedores licensed storehouse. Ammonium Nitrate shall be dispatched from the stevedore's storehouse only in

bagged form and each bag of Ammonium Nitrate shall be marked by stevedoring agent in accordance with rule 9.

(4) Declaration by importer - A person holding an import licence granted under these rules shall furnish a declaration to the Licensing Authority and the Chief Controller;

(a) in Form R-3 under Part 3 of Schedule II as soon as ship carrying Ammonium Nitrate sails from the port of loading;

(b) in Form R-4 under Part 3 of Schedule II as soon as any shipment of Ammonium Nitrate is cleared at the port of import.

(5) Declaration by master of ship or by the ship's agent —

(a) the master of every ship carrying Ammonium Nitrate or the agent for such ship shall give the Conservator of the port not less than forty eight hours' notice of its intended arrival at the port;

(b) the master of every ship carrying Ammonium Nitrate shall deliver to the pilot before entering any port, a written declaration in Form CE-1, under Part 4 of Schedule II, provided that if in anticipation of a ship's arrival, the agent for such ship delivers to the Conservator of the port a written declaration as aforesaid under his signature, no such declaration need to be made by master of the ship;

(c) Every declaration delivered to a pilot under clause (b) of sub-rule (5) shall be made over by him without delay to the Conservator of the port and all declarations received by the Conservator of the port shall be forwarded by him, with all convenient despatch to the Commissioner of Customs.

(6) Restrictions on import by air— The Ammonium Nitrate shall not be imported by air.

19. Export of Ammonium Nitrate—

(1) **Restrictions on export by air** - The Ammonium Nitrate shall not be exported by air.

(2) **Declaration by exporter or his agent** - The exporter or his authorised agent shall give notice to the conservator of the port

before forty eight hours that he intends to bring the Ammonium Nitrate to port for export and shall not bring the Ammonium Nitrate to any part of the port without prior permission in writing from the said officer.

- (3) Export of Ammonium Nitrate shall only be in the bagged form and marked in accordance with the provisions of rule 9.

CHAPTER V PROVISION FOR TRANSPORT OF AMMONIUM NITRATE General

20. Procedure to be followed during transportation.—

- (1) Every consignment of Ammonium Nitrate or Ammonium Nitrate melt transported shall be accompanied by a pass issued by the consignor in **Form R-11(b) of Part-3 of Schedule II**.
- (2) The pass referred in sub-rule (1) shall be attached to the way- bill, invoice or bill of entry or despatch note as the case may be.
- (3) An intimation in **Form R-11(a) of Part-3 of Schedule II** shall be sent by the consignor at least twenty four hours in advance to the District Superintendent of Police of place of dispatch as well as to the District Superintendent of Police of place of receipt.
- (4) A copy of every pass issued under sub-rule (1) shall forthwith be sent by the consignor to—
 - (a) the Licensing Authority who issued the licence of the consignor ;
 - (b) the District Authority having jurisdiction of the place of dispatch ;
 - (c) the District Superintendent of Police in whose jurisdiction the place from which the consignment is sent is situated ; and
 - (d) the District Superintendent of Police in whose jurisdiction the place to which the consignment is sent is situated.

21. General requirements and documents to be available during transport —

- (1) The Ammonium Nitrate or Ammonium Nitrate melt shall be transported only by consignors holding valid licence in Form P-4
- (2) The tanker for transportation of Ammonium Nitrate melt shall be —
 - (i) constructed of stainless steel or any other compatible material, properly and adequately insulated according to sound engineering practice conforming to national or international code accepted by the Chief Controller and secured or mounted over a vehicle chassis ensuring total safety and stability during transportation;
 - (ii) with gross carrying capacity of such Ammonium Nitrate melt tanker not exceeding the maximum load limit prescribed by the Road Transport Authority for such vehicle;
 - (iii) with inlet and outlet valves of such construction and design so as to permit its secured locking and sealing; and
 - (iv) with vent pipe(s) suitably covered to prevent pilferage of the product.
- (3) The Ammonium Nitrate shall not be transported along with any other material including hazardous material.
- (4) The Ammonium Nitrate shall be transported in motor vehicles or animal driven vehicles duly secured and the Ammonium Nitrate shall be properly and securely tied from all sides by providing layers of tarpaulin covering and transported under the seal of the transport licence holder and it shall be ensured that the driver or any attendant thereof has in his possession the following documents during transport, namely:-
 - (a) copy of indent in Form **R-10** under **Part 3 of Schedule II**, issued by the consignee;
 - (b) copy of transport pass in Form **R-11(b)** under **Part 3 of Schedule II** issued by the consignor; and
 - (c) the original copy of bill or bill of entry of Ammonium Nitrate being transported.
- (5) The documents mentioned in sub-rule (4) shall be produced by the transporter on demand by the authority empowered under rule 50.
- (6) The consignor shall ensure delivery of consignment of Ammonium Nitrate to storehouse of the consignee at the declared destination

and the Form R-11(b) duly acknowledged by the Consignee be retained as record by the Consignor.

(7) Despatch of Ammonium Nitrate to carriers for transport.—

- (a) No person shall despatch any Ammonium Nitrate to a carrier other than the Indian Railways or its authorised carriers for the purpose of transport.
- (b) No person shall despatch any Ammonium Nitrate to the Indian Railways or its authorised carriers for the purpose of transport unless he has given the Station Master a notice in writing -
 - (i) of his intention to tender such Ammonium Nitrate;
 - (ii) certifying that the Ammonium Nitrate has been packed and marked in accordance with rules 8 and 9;
 - (iii) stating the quantity of Ammonium Nitrate to be transported;
 - (iv) that he has received a reply and intimation in writing from the Station Master that he is prepared to receive the Ammonium Nitrate for immediate despatch;
 - (v) that he has received a confirmation from the consignee regarding readiness to receive Ammonium Nitrate as authorised under these rules.
- (c) No person shall bring, send or forward to, or upon any railway any Ammonium Nitrate which the Indian Railways have by any notice of regulation for the time being in force notified that it shall not receive.

22. Loading, unloading, maintenance and operation of vehicle engaged in transport of Ammonium Nitrate —

- (1) The vehicles engaged in transport of the Ammonium Nitrate, shall be attended by only such drivers or cleaners, whose antecedents are verified by the local police and a list of such drivers or cleaners along with all personal particulars should be made available to the local police in advance to carry out the verification and the re-verification of such drivers or cleaners should be carried out at regular intervals, once in five years.

- (2) The vehicles carrying Ammonium Nitrate shall be accompanied by at least two able bodied guards.
- (3) The vehicle carrying or containing Ammonium Nitrate shall not stop for a longer period than is reasonably required, and shall avoid stops at places where public safety is likely to be in danger:

Provided that where a vehicle transporting or containing Ammonium Nitrate is parked overnight due to any reasons beyond the control of the driver, the premises in which the vehicle is parked -

 - (a) shall not be used for any purpose that might give rise to the presence therein of an open flame, matches or any substance or article likely to cause explosion or fire;
 - (b) shall be away from any habitation or any godown containing articles of a flammable nature or other hazardous goods and the nearest police station shall be informed about the location of such temporary parking.
- (4) A vehicle while transporting Ammonium Nitrate shall be adequately secured at the expense of the licence holder and if the consignment of Ammonium Nitrate is likely to pass through sensitive areas notified by the Ministry of Home Affairs, it should be escorted by armed police escort or guard, provided by the District Police Administration.
- (5) The Ammonium Nitrate melt shall be transported in the melt tanker with discharge faucets and manhole(s) duly sealed by the melt supplying firm and the melt supplying firm shall issue quality control certificate indicating clearly the concentration factor of the Ammonium Nitrate melt.
- (6) The consignee shall verify that the concentration factor of Ammonium Nitrate is as specified in the invoice and that the seals on melt tank are intact.
- (7) The transport of Ammonium Nitrate in sensitive areas notified by Ministry of Home Affairs shall not be allowed during the period

from sunset to sunrise. The movement of Ammonium Nitrate and the particulars of the origin and destination of the consignment shall be informed to the concerned police authorities in writing.

(8) Fire extinguishers to be provided.—

- (a) Every vehicle transporting Ammonium Nitrate shall be provided with two fire extinguishers of minimum five kilograms capacity and one of the extinguishers shall be capable of dealing with fire involving electric circuits and the other, with other inflammable components.
- (b) The fire extinguishers shall always be kept in good working condition.
- (c) The fire extinguishers shall be located where they shall be convenient and ready for immediate use.
- (d) The fire extinguishers shall be examined and recharged according to the manufacturers' recommendations.

23. Procedure on accidents to vehicles .— (1) Where a vehicle transporting Ammonium Nitrate is involved in an accident, fire or any other occurrence that causes a significant delay in the delivery of Ammonium Nitrate or damage to the vehicle or Ammonium Nitrate, the driver or any other authorised person accompanying the vehicle shall—

- (a) comply with all requirements of law relating to road accidents;
 - (b) inform the nearest police station and
 - (c) inform the licensee holding transport licence who shall-
inform the District Authority in whose jurisdiction the accident has taken place giving the full details of the Ammonium Nitrate carried and the accident;
- (2) In case of breakdown of a vehicle carrying Ammonium Nitrate, the driver or the person in charge of the vehicle shall inform the licensee, who shall in turn inform the District Authority and the nearest police station in whose jurisdiction the vehicle is broken down giving the full details of Ammonium Nitrate and the circumstances leading to the break down;

24. Nothing contained in rules 20, 21, 22 and 23 shall be applicable for transport of solid Ammonium Nitrate, possessed/purchased by persons permitted/holding valid licence under these rules for quantities not exceeding 50 Kilograms.

CHAPTER VI

PROVISION FOR POSSESSION, SALE OR USE OF AMMONIUM NITRATE

25. Possession in licensed premises.—

- (1) A person holding licence for possession of Ammonium Nitrate granted under these rules shall store the Ammonium Nitrate only in the premises specified in the licence.
- (2) The premises in which Ammonium Nitrate is kept shall be used only for possession and sale or use of such Ammonium Nitrate and for no other purposes.
- (3) No person shall sell Ammonium Nitrate from any premises other than those licensed under these rules.
- (4) The Licensed storehouse shall be kept securely closed or locked except when Ammonium Nitrate is taken in or taken out.
- (5) The keys of the Licensed storehouse shall be kept in the licence holder's custody or with his authorised agent and shall be produced for opening the storehouse whenever so required by the inspecting officer.
- (6) The name, address and passport size photograph of the authorized agent with whom the keys will be kept shall be furnished to the licensing authority and the District authority having jurisdiction.

- 26. Quantity of Ammonium Nitrate to be purchased in a given period of time.—**A licence holder for possession, sale or use of Ammonium Nitrate in and from a storehouse shall purchase only such quantity of Ammonium Nitrate in a given period as may be specified in the licence.

27. Accountability and transaction of Ammonium Nitrate.—

- (1) All licences granted under these rules shall bear the photograph of the licence holder or the occupier.
- (2) For purchase and transaction of Ammonium Nitrate, the following procedures shall be observed, namely -
 - (a) the indent for supply of Ammonium Nitrate in Form **R-10** under **Part 3 of Schedule II** signed by the licence holder or his authorised representative shall be made over to the supplier;
 - (b) the photograph and specimen signature of the licence holder or occupier shall be filed with the supplier of Ammonium Nitrate;
 - (c) the photograph, specimen signature and address of the licence holder's authorised representative duly attested by the licence holder or occupier shall be filed with the supplier of Ammonium Nitrate.
- (3) The licensee shall engage only such authorised representatives, whose antecedents have been verified by the local police and a list of such authorised representatives along with all personal particulars shall be made available to the local police in advance to carry out the verification. Re-verification of such representative shall be carried out at regular intervals, once in five years.
- (4) The consignor of Ammonium Nitrate shall verify the photograph and signature of the representative of the consignee before effecting the delivery;
- (5) The authorised representative mentioned in these rules above shall represent one licence holder only.

CHAPTER VII

GRANT OR REFUSAL OF APPROVAL, LICENCE, AMENDMENT, TRANSFER AND RENEWAL

- 28. Authority issuing Licences.**— The licences for specific purposes may be granted by the authorities specified in **Schedule I**.
- 29. Payment of Fees.**— (1) The following fee shall be payable for prior approval, issuance of licences and amendment, namely :-
- (a) Scrutiny fee for prior approval — ₹1000
 - (b) Licence to manufacture and possess for sale Ammonium Nitrate or convert melt to solid and vice versa and possess for sale from a storehouse—
₹ 20,000/year
 - (c) Licence to Possess for sale of Ammonium Nitrate from a store house — ₹ 2000/year
 - (d) Licence to Possess for use of Ammonium Nitrate from a store house — ₹1000/year
 - (e) Licence to Import Ammonium Nitrate — ₹5000
 - (f) Licence to Export Ammonium Nitrate — ₹ 5000
 - (g) Licence to stevedore, bag and store Ammonium Nitrate
₹ 20,000/year
 - (h) Licence to Transport Ammonium Nitrate — ₹ 2000/year
 - (i) Amendment of licence — ₹1000
 - (j) Duplicate copy of any licence — ₹100
- (2) When licence issuing authority is the Chief Controller or Controller, the fees payable shall be paid by a crossed bank draft or electronic means and when issuing authority is District Authority, the fees payable shall be paid in such manner as may be specified by him.
- (3) When licence is sought for more than one financial year ending on the 31st March, fees for the desired number of financial years at the rate specified in sub-rule (1) above shall be payable.

- 30. Prior approval before construction of facilities.** — (1) A person desiring to obtain a licence for manufacture, conversion and storehouse for possession for sale or possession for use, of Ammonium Nitrate, under these rules, shall obtain prior approval from the authority empowered to grant such licence, by submitting documents mentioned in rule 33.
- (2) The District Magistrate while granting prior approval shall return to the applicant one set of plans showing the distances required to be kept clear as specified in rule 12 duly endorsed together with approval.
- (3) The Chief Controller or Controller, while granting prior approval, shall return to the applicant one set of plans showing the distances required to be kept clear within and around as specified in rule 12 duly endorsed and an additional set of the said documents to enable the applicant to submit the same to the authority authorised to issue no objection certificate under rule 33.

Note: The prior approval under sub-rule (1) shall not be necessary for the facilities of Ammonium Nitrate existing as on the date of publication of these Rules, for obtaining license under these rules.

- 31. Application for grant of licence** — After the construction of premises, as per plan approved under rule 30, the applicant shall apply for grant of licence along with documents stated in rule 32 to the authority empowered to grant such licence.
- 32. Period of validity of licence** — The licensing authority may grant a licence for a period not exceeding five financial years or part thereof ending on the 31st March for all purposes, except for licence for import and export, which shall be one year.

33. Documents to be submitted for seeking approval or licence -

- (1) The following documents shall be submitted for approval of premises proposed to be licensed, namely: -
 - (a) Application in appropriate Form as per **Part-1 of Schedule II**.
 - (b) Safety and Security Management Plan prepared as required under rule 15.
 - (c) Three sets of the drawings of the proposed storehouse and attached facilities and the site showing approach road with all protected works in and around.
 - (d) Documentary evidence in respect of company or partnership firm or society including list of directors or partners or office-bearers, as the case may be, including nomination of the authorised signatory with their specimen signatures.
 - (e) Six passport size photographs of the occupier signed by him in the front along with documentary evidence of nomination as occupier.
 - (f) Scrutiny fee as specified in rule 29.
- (2) The following documents shall be submitted for grant of licence, namely:-
 - (a) Application in appropriate Form as per **Part-1 of Schedule II**.
 - (b) Six sets of the drawings approved under sub rule (1) above.
 - (c) The particulars of persons employed for handling of Ammonium Nitrate, their qualification and experience. The applicant shall file an affidavit regarding their character and antecedents.
 - (d) The certificate of completion of the storehouse and attached facilities duly endorsed by Chartered Engineer.
 - (e) No Objection Certificate in original along with drawings duly endorsed from the concerned District Authority, where the District Authority is not the licence issuing authority.
 - (f) Required licence fee as prescribed in rule 29

34. Procedure to be observed for issue of no objection certificate and grant of licence by the District Authority —

- (1) The applicant desiring to obtain a licence from the Chief Controller or Controller shall apply to the District Authority with set of drawings approved under sub-rule (3) of rule 30 for issue of a certificate to the effect that there is no objection to the applicant receiving licence for the site proposed.
- (2) (a) On receipt of the application for issue of no objection certificate or grant of licence, the District Authority shall verify the antecedents of the applicant, lawful possession of the site, genuineness of the purpose, interest of the public any other matter as deemed necessary and carry out any other verifications or enquiries as may be specifically required or deemed necessary by the licence issuing authority.
(b) The Director General of Mines Safety shall be the authority to grant no objection certificate if the area of the proposed site comes under the Indian Mines Act, 1952.
- (3) Fresh No Objection Certificate is not required for manufacture or converters/storehouses, which already existing at the site covered under No Objection Certificate issued for the purpose by the District Authority or Director General of Mines Safety or No Objection Certificate issued under the Explosives Rules, 2008.
- (4) The District Authority shall complete the enquiry within a period of three months or as expeditiously as possible and such authority shall, after being satisfied, grant no objection certificate in Form C-2 of Part-4 of Schedule-II or grant the licence, as the case may be, along with site plan, duly signed and sealed by such authority.
- (5) If the District Authority or the Director General of Mines Safety, as the case may be, refuses to grant the no objection certificate on any of the grounds relating to the purpose of no objection certificate, then no licence shall be granted by the licence issuing authority except with the sanction of the Central Government.
- (6) The District Authority or the Director General of Mines Safety, as the case may be, shall grant no objection certificate or licence or convey his refusal for granting no objection certificate or licence, as the case may be, with reasons thereof in writing to the applicant as

expeditiously as possible but not later than a period of six months from the date of receipt of application from the applicant.

35. Grant of a Licence.—

- (1) The Licence issuing Authority, on being satisfied with the documents received for grant of licence, in the Form specified in Schedule II and after making such inquiry, if any, as it may consider necessary, shall, subject to the other provisions of the Act and these rules, by order in writing either grant the licence or refuse to grant the same.
- (2) Licence for transport of Ammonium Nitrate or Ammonium Nitrate melt in Form P-4 shall be granted only to the valid license holders in Form P1, P-2, P-3 or P-5.
- (3) The licensing authority may verify the facilities of the licensed premises and on satisfaction shall endorse the licence.
- (4) The licensing authority, if necessary, may impose additional conditions to the license.
- (5) The District Authority may refer to the Chief Controller for seeking any expert opinion, if required

36. Renewal of licence.—

- (1) Every licence except the licences granted for import or export of Ammonium Nitrate shall be renewable for a maximum period of five financial years ending on the 31st March.
- (2) Every application under sub-rule (1) for renewal of the licence shall be accompanied by the following documents, namely:-
 - (a) application in Form R-1;
 - (b) original licence;
 - (c) required renewal fee as specified in rule 29.
- (3) A licence may be renewed by the authority empowered to grant such licence :
Provided that a licence which has been granted by the Chief Controller may be renewed without any alteration by a Controller duly authorised by the Chief Controller in this behalf:

Provided further that a licence, which has been granted by the District Magistrate, may be renewed without any alteration by a Sub-Divisional Magistrate or an Executive Magistrate duly authorised by the District Magistrate in this behalf.

- (4) Every application for the renewal of a licence shall be made so as to reach the licensing authority or the authority empowered to renew the licence on or before three months (i.e. 31st December) before the date on which the licence expires together with the licence fees:

Provided that the application received after the 31st December till the date of expiry of the licence shall be treated as late application and the licences shall be renewed with the late fees equivalent to one year's licence fee.

- (5) If the application for renewal reaches the renewing or licensing authority on or before the date of expiry, the licence shall be deemed to be in force until such date as the licensing authority renews the licence or until an intimation that the renewal of the licence is refused has been communicated to the applicant and if no application is received till the date of validity of the licence, the licence shall stand expired.
- (6) The same fee shall be charged for the renewal of a licence for each year as for grant thereof.
- (7) Where a licence renewed for more than one financial year is surrendered before its expiry, the renewal fee paid for the unexpired portion of the licence shall be refunded to the licensee:
Provided that no refund of renewal fee shall be made for the financial year during which the licensing authority received the renewed licence for surrender.
- (8) When a licence is renewed by the Chief Controller or a Controller, intimation to that effect shall be sent to the District Magistrate concerned and when a licence is renewed by the District Magistrate, intimation to that effect shall be sent to the Controller having jurisdiction.

37. Amendment of licence in respect of alteration or change in the premises or licensed capacity, but not involving change of name of licensee or partners or directors or members —

- (1) A licence granted under these rules may be amended by the authority empowered to grant the licence if the amendment is consistent with the provisions of these rules.
- (2) A licensee who desires to have his licence amended shall submit the following particulars to the licensing authority, namely:-
 - (a) Application in appropriate Form as per **Part-1 of Schedule II** stating nature of the amendment and the reasons thereof;
 - (b) the original licence together with enclosures to it;
 - (c) drawings showing the details of the proposed amendment if such drawings are required by the licensing authority for the purpose of amendment;
 - (d) required amendment fee as prescribed in Rule 29
- (3) The licensing authority after scrutiny of the documents submitted under sub-rule (2), and after making such further inquiries and taking such action as deemed necessary, may amend the licence.

38. Procedure for change of partners or directors or members or occupier — Whenever any new partner or member or director is inducted in the partnership firm or society or association or company, as the case may be, without any change in the name of the licence holder firm or society or association or company, the licence holder shall submit application to the licence issuing authority with the following documents for accepting the newly inducted partners or members or directors,-

- (a) application in appropriate Form as per **Part-1 of Schedule II** stating the nature of the amendment and the reasons thereof;
- (b) the names and addresses of newly inducted directors or partners or office-bearers, as the case may be, and in case the occupier is changed, photographs of the new occupier;
- (c) documentary evidence in respect of induction of directors or partners or office-bearers as the case may be, including their specimen signatures;

- (d) six passport size photographs of the new occupier signed by him in front along with documentary evidence of nomination as occupier;
- (e) a certificate of verification of antecedents from the District Authority of the newly inducted directors or partners or office-bearers, as the case may be, where the District Authority is not the licence issuing authority;
- (f) the original licence together with enclosures to it; and
- (g) the required amendment fee as prescribed in rule 29.

39. Refusal for approval, grant or amendment of licence.—

The licensing authority refusing to accord approval or grant licence including amendment shall record in writing the reasons for such refusal and communicate the same to the applicant and before refusal, the applicant shall be given an opportunity of being heard.

40. Refusal to renew a licence.—

- (1) The licensing authority refusing to renew a licence shall record the reasons for such refusal in writing.
- (2) The licensing authority shall refuse to renew a licence if such licence can be revoked in accordance with the Act or these rules.
- (3) A brief statement of reasons for refusal to renew a licence shall be given to the holder of the licence on demand unless in any case the licensing authority is of the opinion that it shall not be in public interest to furnish such statement.
- (4) Where the renewal of the licence is refused, the fee paid for the renewal shall be refunded to the licence holder after deducting the proportionate fee for the period beginning from the date from which the licence was to be renewed up to the date from which renewal thereof is refused.
- (5) Before refusing the renewal of a licence under the rule, the holder of the licence shall be given an opportunity of being heard.

41. Cancellation of No Objection Certificate —

(1) No Objection Certificate granted under rule 34, may be cancelled by the authority issuing the same or authority superior to it, if such authority is satisfied, that-

- (a) the licence holder has ceased to have any right for the lawful possession over the premises;
- (b) the licence holder is convicted and sentenced for any criminal offence or ordered to execute under Chapter VIII of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), a bond for keeping peace for good behaviour;
- (c) the cancellation of no objection certificate is absolutely necessary for public peace and safety:

Provided that before cancellation of the no objection certificate, the licence holder shall be given an opportunity of being heard.

- (2) The authority issuing the no objection certificate or the State Government cancelling no objection certificate shall record, in writing, the reasons for such cancellation and shall immediately furnish to the licence holder and the licensing authority concerned, a copy of the order cancelling the no objection certificate and the reason for such cancellation.
- (3) In case an appeal is made against the cancellation of no objection certificate, such appeal shall be preferred within a period of sixty days, before the authority superior to the District Authority or the Director General of Mines Safety, as the case may be, and the appellate authority may consult the Chief Controller, if so desired.

42. Suspension and revocation or cancellation of licence.—

(1) Every licence granted under these rules shall –

- (a) stand cancelled, if the licence holder is convicted and sentenced under any criminal offences or ordered to execute under Chapter VIII of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), a bond for keeping peace for good behaviour;
- (b) stand cancelled, if the No Objection Certificate is cancelled by the District Authority or the State Government.

(c) be liable to be suspended or cancelled by an order of the licensing authority for any contravention of the Act or these rules or of any condition contained in such licence, or by order of the Central Government, if it is satisfied that there are sufficient grounds for doing so:

Provided that before suspending or cancelling a licence under this rule, the holder of the licence shall be given an opportunity of being heard.

- (2) The suspension or cancellation shall take effect from the date specified therein.
- (3) An order of suspension or revocation of a licence shall be deemed to have been served if sent by post to the address of the licence holder entered in the licence.
- (4) The suspension of a licence shall not debar the holder of the licence from applying for the renewal.
- (5) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), an opportunity of being heard may not be given to the holder of the licence before his licence is suspended or cancelled in cases —
 - (i) where the licence is suspended by a licensing authority as an interim measure for violation of any of the provisions of the Act or these rules or of any conditions contained in such licence and in his opinion such violation is likely to cause imminent danger to the public:

Provided that where a licence is so suspended, the licensing authority shall give the holder of the licence an opportunity of being heard before the order of suspension is confirmed; or
 - (ii) where the licence is suspended or cancelled by the Central Government, in the public interest or in the interest of the security of the State, such opportunity should not be given.
- (6) A licensing authority or the Central Government suspending or cancelling a licence shall record its reason for so doing in writing.

43. Procedure on expiry, suspension or revocation or cancellation of licence.—

- (1) A licence holder on the expiry, suspension or revocation or cancellation of the licence shall forthwith give notice to the licensing authority, of the description and quantity of the Ammonium Nitrate in his possession and shall comply with the directions which the licence issuing authority may give in regard to their disposal.
- (2) In case the licence is revoked or cancelled by the licensing authority, fee for unexpired portion shall be reimbursed to the applicant by the licensing authority.

44. Provision for appeal.—

- (1) An appeal against an order of the licensing authority refusing to grant or renew a licence or suspending or revoking a licence shall lie, if the order is passed by the;
 - (a) Chief Controller, to the Central Government
 - (b) Controller, to the Chief Controller
 - (b) District Authority, to the immediate superior to such Authority.
- (2) Every appeal referred in sub-rule (1) shall be preferred within a period of sixty days of the date of the communication of such order.

45. Procedure to be followed by the appellate authority.—

- (1) On receipt of the appeal and if such appeal can be admitted in accordance with the Act the appellate authority may call for records of the case from the authority who passed the order appealed against and may make such further enquiries as it may deem necessary and after giving the appellant an opportunity of being heard, pass final orders.
- (2) The action taken by the appellate authority shall conform to the provisions of section 6F of the Act.

46. Procedure on death or disability of licence holder.—

- (1) If a licence holder dies or becomes insolvent or becomes mentally incapable or otherwise disabled, the licence granted to him under these rules shall stand cancelled on the date of the licence holder's death or mental incapacity or insolvency or disability, as the case may be.
- (2) The legal heirs or representatives of the licence holder shall as soon as may be, inform the licensing authority;

- (a) about the date of death, insolvency, mental incapacity or other disability as the case may be, of the licence holder; and
- (b) shall await the directions of the licensing authority with regard to the disposal of the Ammonium Nitrate kept at the licensed premises.

47. Loss of licence— Where a licence granted under these rules or an authenticated copy granted thereof, is lost or accidentally destroyed, a duplicate copy may be issued on payment of fees, as given under the provisions of rule 29.

Chapter- VIII **POWERS VESTED WITH AUTHORITIES**

48. Power of officers to demand licence or pass.—Every person holding a licence granted under these rules shall, when called upon to do so by any authority specified in rule 50, produce it, or an authenticated copy of it, at such time and place as may be directed by such officer.

- (1) Every person in charge of a consignment of Ammonium Nitrate or Ammonium Nitrate melt in transit having a valid pass issued under these rules shall produce it when called upon to do so by any authority specified in rule 50.
- (2) Copies of any licence may, for the purposes of these Rules, be authenticated free of charge by the authority, which granted the licence.

49. Executive control over authorities. — Every authority other than the Central Government acting under these rules shall be subject to the directions and control of the Central Government:

Provided that nothing in these rules shall be deemed to affect the powers of executive control of the Chief Controller over the Officers subordinate to him.

50. Powers of search and seizure.—

- (1) Any authority specified in column (1) of the Table below may within the jurisdiction specified in the corresponding entry in column (2) of that Table;

- (a) enter, inspect and examine any place, aircraft, train, carriage, vessel or any mode of transport in which an Ammonium Nitrate is being manufactured, converted, possessed, used, sold, transported, exported or imported under a licence granted under these rules, or in which he has reason to believe that an Ammonium Nitrate has been or is being manufactured, converted, possessed, used, sold, transported, exported or imported in contravention of the Act or these rules;
- (b) search for Ammonium Nitrate;
- (c) take samples of any Ammonium Nitrate, seize, detain and remove any Ammonium Nitrate found therein together with connected documents thereof in respect of which he has reason to believe that any of the provisions of the Act or these rules have been contravened.

Table

Serial Number	Authority	Jurisdiction
1	All District Magistrates.	Their respective jurisdiction
2	All Executive Magistrates subordinate to the District Magistrate.	Their respective jurisdiction
3	All Commissioners of Police or Police Officers of rank not below that of a Sub-Inspector of Police.	Their respective jurisdiction
4	The Director General of Mines Safety or officers subordinate to him.	Their respective jurisdiction
5	The Chief Controller or Controller of Explosives	All parts of India

51. Procedure on reports of infringement.—

- (1) Whenever any report is made to the District Magistrate by the Chief Controller or Controller of an infringement of the Act or of these rules, the District Magistrate shall take immediate action and shall inform the Chief Controller or the Controller, as the case may be, of the action taken by him on such report.
- (2) The Chief Controller or a Controller shall destroy any Ammonium Nitrate whenever found in respect of which the Chief Controller or

Controller, as the case may be, has reasons to believe that any of the provisions of these rules have been contravened or which in his opinion are no longer fit for storage, transport or use and the matter appears to be urgent to such Controller and fraught with serious danger to the public, place or owner of Ammonium nitrate.

- (3) Nothing in this rule shall apply to improvised explosives device containing Ammonium Nitrate or mixture thereof.

CHAPTER- IX ACCIDENTS, INQUIRIES AND REPORTS

52. Notice of any loss or theft.— The licence holder shall give a notice of any loss or theft involving the Ammonium Nitrate or Ammonium Nitrate melt in his possession, where the loss exceeds the permitted limit of loss that typically occurs during routine productions, storage, transportation, or use of Ammonium Nitrate to the licensing authority and concerned District Authority giving details of the circumstances leading to loss or theft and the notice of loss or theft shall also be reported to the nearest local police station.

53. Notice of accident.—

- (1) The notice of an accident required to be given under section 8 of the Act shall be given within a period of twenty four hours of the accident by telephone, telegram, E-mail, fax or in any other electronic mode or by special messenger followed by a written report signed by the occupier or authorized agent giving particulars of the circumstances leading to the accident, loss of human life, injury to persons, damage to property, emergency action taken etc, to the -
- (a) Chief Controller;
 - (b) Controller in whose jurisdiction accident has taken place;
 - (c) District Magistrate; and
 - (d) Officer-in-charge of the nearest police station.
- (2) Pending the visit of the Chief Controller, or his authorized representative or instruction received from the Chief Controller or his representative that he does not wish any further investigation or inquiry to be made, all wreckage and debris shall be left untouched except in so far as its removal may be necessary for the rescue of

persons injured and recovery of the bodies of any persons killed by the accident or in the case of aerodromes, ports or railways, or place of loading/unloading for the restoration of thorough communication.

- (3) The Chief Controller or his authorized representative, if so required by them, shall be provided with all assistance by the officer in charge of the nearest police station.

54. Procedure at courts of inquiry.—

- (1) The Chief Controller shall arrange with the heads of the Armed Forces or Ordnance Factories or other establishments of such forces to be represented at the Courts of Inquiry where he so desires.
- (2) The Chief Controller shall be provided with copies of the proceedings of the Court where he is not represented.
- (3) The heads of Armed Forces or Ordnance Factories or other establishments of such forces, as the case may be, shall co-operate with the Chief Controller by informing him immediately of occurrences, liable to lead to the summoning of Courts of Inquiry on matters of interest to the Chief Controller as indicated by him.
- (4) The Chief Controller may attend in person or send a representative and in either case he shall have power to examine witnesses, where he so desires.

55. Inquiry into accident.—

- (1) Whenever a District Magistrate holds an inquiry under sub-section (1) of section 9 of the Act, that officer shall adjourn such an inquiry unless the Chief Controller or an officer nominated by him is present to watch the proceedings or such Magistrate has received information from the Chief Controller that he does not wish to send a representative.
- (2) The District Magistrate shall, at least twenty one days before holding the adjourned inquiry, send to the Chief Controller a notice in writing of the time and place of holding the adjourned inquiry.
- (3) Where an accident has been attended with loss of human life, the District Magistrate, before the adjournment may take evidence to identify the dead bodies and may order the disposal thereof.

- (4) The Chief Controller or his representative shall be at liberty at any such inquiry to examine any witness subject to the order of the District Magistrate on points of law.
- (5) Where the Chief Controller is not present or represented at any inquiry held by a District Magistrate, a copy of the report of the proceedings thereof shall be sent to him.

56. Inquiry into more serious accidents.—

- (1) Whenever an inquiry is held under section 9A of the Act, the persons holding such inquiry shall hold the same in open court in such manner and under such conditions as they may think most effectual for ascertaining the causes and circumstances of the accidents and enabling them to make the report under this rule;

Provided that where the Central Government so directs the inquiry may be held in-camera.

- (2) Whenever an inquiry under sub-rule (1) is held by a person other than the Chief Controller, such person shall arrange for the Chief Controller to be represented at such inquiry including any adjournment thereof.
- (3) The person holding the inquiry shall, at least twenty one days before holding the inquiry or any adjourned inquiry, send to the Chief Controller a notice in writing of the time and place of holding such inquiry.
- (4) The Chief Controller may attend in person or send a representative and in either case, he shall have power to examine witnesses where he so desires.

CHAPTER- X ADMINISTRATIVE ACTION

- 57. Protection of action taken in good faith.—** No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the Government or any officer or other employee of the Government for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of these rules.

- 58. Administrative action after inspection for violation.—** The inspecting authority on inspection of the premises, shall communicate to the licence holder and licensing authority in

writing, his observations, discrepancies or the violations, if any, of the rules or contravention of conditions of the licence; and a copy of the inspection report shall be endorsed to the licensing authority for taking further necessary action.

SCHEDULE I
LICENCES AND LICENSING AUTHORITY
(See rule 28)

Serial Number	Purpose for which granted	Form of Licence	Licensing Authority
1	Licence to manufacture and possess for sale Ammonium Nitrate or convert melt to solid and vice versa and possess for sale of Ammonium Nitrate	P-1	Chief Controller or Controller authorised by Chief Controller
2	Licence to stevedore, bag and store Ammonium Nitrate	P-2	Chief Controller
3	(a) Licence to Possess for sale or use of Ammonium Nitrate from a store house not exceeding 30MT; or	P-3	District Authority
	(b) Licence to Possess for sale or use of Ammonium Nitrate from a store house exceeding 30MT; or	P-3	Chief Controller or Controller authorised by Chief Controller
	(c) Licence to Possess for use of Ammonium Nitrate from a store house attached to explosives manufacturing/Nitrous Oxide manufacturing unit; or	P-3	Chief Controller or Controller authorised by Chief Controller
	(d) Licence to possess for use Ammonium Nitrate for agricultural purpose from a storehouse.	P-3	District Authority or Officer authorised by District Authority

4	(a) Licence to transport Ammonium Nitrate for licences granted by District Authority for possession for sale or possession for use; or (b) Licence to transport Ammonium Nitrate for Licences granted by the Chief Controller or Controller for possession for sale or possession for use.	P-4	District Authority or Officer authorised by District Authority Chief Controller or Controller
5	(a) Licence to Import Ammonium Nitrate; or (b) Licence to Export Ammonium Nitrate.	P-5	Chief Controller

SCHEDULE II**PART -1****Application Forms**

(See rule 33 of Ammonium Nitrate Rules, 2012)

Form No.	Purpose
A-1	Application for Licence to manufacture and possess for sale Ammonium Nitrate or convert melt to solid and vice versa and possess for sale of Ammonium Nitrate
A-2	Application for Licence to stevedore, bag and store Ammonium Nitrate
A-3	Application for (a) Licence to Possess for sale or use of Ammonium Nitrate from a store house not exceeding 30MT; or (b) Licence to Possess for sale or use of Ammonium Nitrate from a store house exceeding 30MT; or (c) Licence to Possess for use of Ammonium Nitrate from a store house attached to explosives manufacturing/Nitrous Oxide manufacturing unit; or (d) Licence to possess for use Ammonium Nitrate for agricultural purpose from a storehouse.

A-4	Application for licence to transport Ammonium Nitrate
A-5	Application for licence to (a) Import Ammonium Nitrate; or (b) Export Ammonium Nitrate

Part –2

Licence Forms

(See rule 35 of Ammonium Nitrate Rules, 2012)

Form No.	Purpose
P-1	Licence to manufacture and possess for sale Ammonium Nitrate or convert melt to solid and vice versa and possess for sale of Ammonium Nitrate
P-2	Licence to stevedore, bag and store Ammonium Nitrate
P-3	(a) Licence to Possess for sale or use of Ammonium Nitrate from a store house not exceeding 30MT; or (b) Licence to Possess for sale or use of Ammonium Nitrate from a store house exceeding 30MT; or (c) Licence to Possess for use of Ammonium Nitrate from a store house attached to explosives manufacturing/Nitrous Oxide manufacturing unit; or (d) Licence to possess for use Ammonium Nitrate for agricultural purpose from a storehouse.
P-4	Licence to transport Ammonium Nitrate
P-5	(a) Licence to Import Ammonium Nitrate; or (b) Licence to Export Ammonium Nitrate.

Part -3**Return Forms**

(See rules 14, 18, 20, 21, 27 and 36
of Ammonium Nitrate Rules, 2012)

Form No.	Purpose
R-1	Application for renewal of licence
R-2	Form of Account to be maintained by Licence holder – Account of Ammonium Nitrate manufactured, converted.
R-3	Declaration to be submitted to the Chief Controller by an importer on despatch of Ammonium Nitrate from the place or port of loading
R-4	Importers despatch schedule
R-5	Form of Account to be maintained by Stevedore – Account of Ammonium Nitrate stevedored, bagged and dispatched.
R-6	Form of records to be maintained by a Transport Licence Holder Records of Ammonium Nitrate or Melt transported by vehicle.
R-7	Form of Account to be maintained by Licence holder – Account of sale of Ammonium Nitrate
R-8	Form of Account to be maintained by Licence holder – Account of use of Ammonium Nitrate/
R-9	Monthly Returns of Ammonium Nitrate
R-10	Form of Indent for Ammonium Nitrate
R-11(a)	Form of intimation to be given by the Consignor to the District Superintendent of Police before dispatch of consignment.
R-11(b)	Pass issued by the Consignor for transport of Consignment of Ammonium Nitrate

Part - 4**Certificates**

(See rules 18 and 34 of Ammonium Nitrate Rules, 2012)

Form No	Purpose
C-1	Declaration to be made by the master of a ship carrying Ammonium Nitrate before entering a port or by the ship's agent
C-2	Format of No Objection Certificate

Form A-1

(See Part-1 of Schedule II and rules 33, 35 and 37
of Ammonium Nitrate Rules, 2012)

Application for Licence to manufacture and possess for sale Ammonium Nitrate or convert melt to solid and vice versa and possess for sale of Ammonium Nitrate

I, on behalf of
apply for approval or grant or amendment of licence for the following
purpose.

Purpose :

1. I require licence in the following name and postal address:

(a) Name in which licence is required to be granted (see notes
below)

(b) Status

(c) Age

(d) Postal address:

.....
.....

.....City.....District.....

State.....Pin code.....Police

Station.....Railway Station or Steamer

Ghat.....Phone.....

Email.....Fax.....

2. The proposed premises are situated at the following address:

.....
.....

Survey numberCity

District.....State.....Pin

code.....

Police Station.....Railway Station or Steamer

Ghat.....Phone.....Email.....

.....Fax.....

3. Qualifications and experience of applicant and the technical personnel employed by him.
4. Quantity of Ammonium Nitrate proposed to be manufactured, converted per day
 - a) Annual capacity of the manufacturing, conversion plant
 - b) Date of commencement of manufacturing (for existing manufacturers only)
 - c) Quantity of Ammonium Nitrate present at any one time in each storehouse each shed of the conversion plant
 - d) Total Quantity of Ammonium Nitrate proposed to be stored at any one time
 - e) Details of amendment proposed or additional information, if any
5. Has the applicant been convicted under any offence or ordered to execute bond under Chapter VIII of Code of Criminal Procedure, 1973(2 of 1974) during the last 10 years. Yes....No.....
If yes, please give details.
6. (a) particulars of other licences under Ammonium Nitrate Rules, 2012 if any held by the applicant during the last 10 years
- (b) Was any licence cancelled or not renewed?Yes.....No....
- (c) If yes, give details
7. Particulars of amendment proposed/ Additional information if any.....

I hereby certify that the above particulars given by me are correct.

Date.....

Signature of applicant.....

(Authorised person in case of a Company)

Full Name

Address

Notes:

Please see the rule for the purpose and documents to be enclosed.

- (1) In case where application is made by a person other than an individual, the names and addresses of the occupier as per rule 2 and directors or partners or members, as the case may be, and specimen signatures of authorised person to be attached.
- (2) Passport size photographs of the occupier to be attached.
- (3) Any change in the above information should be immediately communicated to the Chief Controller of Explosives, District Authority and authority renewing the licence.
- (4) Age to be given in case the applicant is an individual.
- (5) (a) Ammonium Nitrate storehouse shall maintain;
 - (i) for storage not exceeding 30 MT, Safety Distance of 4.5 metres from store house to the compound wall and 45 metres from any protected works;
 - (ii) for storage exceeding 30 MT, Safety Distance of 9 metres from store house to the compound wall and 90 metres from any protected works;
- (b) the storehouse may be adjacent to the bagging unit of the manufacturing, conversion or explosives/nitrous oxide manufacturing plants, but shall observe the provisions of clause 4(a) (i) and (ii) of Rule 12.

Statutory Warning: Misuse of Ammonium Nitrate shall constitute serious criminal offence under the law.

Form A-2

(See Part-1 of Schedule II and rules 33, 35 and 37
of Ammonium Nitrate Rules, 2012)

Application for licence to stevedore, bag and store Ammonium Nitrate

I,.....on behalf of.....apply for approval or grant or amendment of licence for the following purpose.

Purpose:

1. I require licence in the following name and postal address:

- (a) Name in which licence is required to be granted (see notes below)
(b) Status
(c) Age
(d) Postal address:

.....

.....

.....City.....District.....

State.....Pin code.....Police

Station.....Railway Station or Steamer

Ghat.....Phone.....Email.....Fax...

.....

2. The proposed bagging premises is situated at the following address:

.....

.....

... Survey numberCity

.....District.....Statc.....Pin

code.....Police Station.....Railway

StationPort of import

.....Phone.....Email.....Fax.....

3. Details of the registration of Stevedoring agent by Port Authority

.....

4. Qualifications and experience of applicant and the technical personnel employed by him.
5. Bagging capacity of Ammonium
 - a) Annual bagging capacity
 - b) Quantity of Ammonium Nitrate present
at any one time in each bagging go down
.....
And attached storehouse (if any)
 - c) Total Quantity of Ammonium Nitrate proposed to be stored at
any one time both in bulk and bagged condition
.....
 - d) Details of amendment proposed or additional
information, if any
- 6 Has the applicant been convicted under any offence or ordered to
execute bond under Chapter VIII of Code of Criminal Procedure,
1973(2 of 1974) during the last 10 years. Yes....No.....
If yes, please give details.
- 7 (a) particulars of other licences under Ammonium Nitrate Rules,
2012, if any held by the applicant during the last 10 years
(b) was any licence cancelled or not renewed? Yes.....No.....
(c) If yes, give details
8. Particulars of amendment proposed/ Additional information if
any.....
.....

I hereby certify that the above particulars given by me are correct.

Date..... Signature of applicant.....
(Authorised person in case of a Company)
Full Name
Address

Notes:

Please see the rule for the purpose and documents to be enclosed

- (1) In case where application is made by a person other than an individual, the names and addresses of the occupier as per rule 2 and

- directors or partners or members, as the case may be, and specimen signatures of authorised person to be attached.
- (2) Passport size photographs of the occupier to be attached.
 - (3) Any change in the above information should be immediately communicated to the District Authority and authority renewing the licence.
 - (4) Age to be given in case the applicant is an individual.
 - (5) (a) Ammonium Nitrate storehouse shall maintain;
 - (i) for storage not exceeding 30 MT, Safety Distance of 4.5 metres from store house to the compound wall and 45 metres from any protected works;
 - (ii) for storage exceeding 30 MT, Safety Distance of 9 metres from store house to the compound wall and 90 metres from any protected works;

Statutory Warning: Misuse of Ammonium Nitrate shall constitute serious criminal offence under the law.

Form A-3

(See Part-1 of Schedule II and rules 33, 35 and 37
of Ammonium Nitrate Rules, 2012)

Application for grant/amendment of:

- (a) Licence to Possess for sale or use of Ammonium Nitrate from a store house not exceeding 30MT; or
- (b) Licence to Possess for sale or use of Ammonium Nitrate from a store house exceeding 30MT; or
- (c) Licence to Possess for use of Ammonium Nitrate from a store house attached to explosives manufacturing/Nitrous Oxide manufacturing unit; or
- (d) Licence to possess for use Ammonium Nitrate for agricultural purpose from a storehouse.

I,.....on behalf of..... apply
for approval or grant or amendment of licence for the following purpose.

1. Purpose:

2. I require licence in the following name and postal address:

(a) Name in which licence is required to be granted (see notes below).....

(b) Status.....

(c) Age

(d) Postal address:

.....

City.....District.....State...
Pincode.....Police
 Station.....Railway Station or Steamer
 Ghat.....Phone.....Email.....F
 ax.....

3. The proposed premises are situated at the following address:

.....

 Survey numberCity
 District.....State.....Pin
 code.....
 Police Station.....Railway Station or Steamer
 Ghat.....
 Phone.....E-
 mail.....Fax.....

4. Qualifications and experience of applicant and the technical personnel employed by him.

5. Ammonium Nitrate proposed to be possessed and sold:*

(i) Quantity of Ammonium Nitrate proposed to be possessed at any one time

(ii) Quantity of Ammonium Nitrate proposed to be sold in one month

6. (a) Ammonium Nitrate proposed to be possessed and used* –

(i) State the purpose of Ammonium Nitrate usage

(ii) Quantity of Ammonium Nitrate proposed to be used per day

- (iii) Quantity of Ammonium Nitrate proposed to be used in one month
- (iv) Quantity of Ammonium Nitrate proposed to be possessed for use at any one time
- (b) Details of site and distance of site where the AN will be used from the storage premises mentioned in item 3.....
7. Has the applicant been convicted under any offence or ordered to execute bond under Chapter VIII of Code of Criminal Procedure, 1973(2of 1974) during the last 10 years. Yes....No.....
If yes, please give details.
8. (a) particulars of other licences under Ammonium Nitrate Rules, 2012, if any held by the applicant during the last 10 years.
.....
- (b) particulars of licence/s under Explosives Rules 2008, if any held by the applicant during the last 10 years.
.....
- (c) was any licence cancelled or not renewed?
.....Yes.....No.....
- (d) If yes, give details
9. Particulars of amendment proposed/ Additional information if any.....
.....

I hereby certify that the above particulars given by me are correct.

Date..... Signature of applicant.....
(Authorised person in case of a Company)
Full Name
Address

***strikeout inapplicable portion**

Notes:

Please see the rule for the purpose and documents to be enclosed

- (1) In case where application is made by a person other than an individual, the names and addresses of the occupier as per rule 2 and

directors or partners or members, as the case may be, and specimen signatures of authorised person to be attached.

- (2) Passport size photographs of the occupier to be attached.
- (3) Any change in the above information should be immediately communicated to the Licence Issuing authority and authority renewing the licence.
- (4) Age to be given in case the applicant is an individual.
- (5) (a) Ammonium Nitrate storehouse shall maintain;
 - (i) for storage not exceeding 30 MT, Safety Distance of 4.5 metres from store house to the compound wall and 45 metres from any protected works;
 - (ii) for storage exceeding 30 MT, Safety Distance of 9 metres from store house to the compound wall and 90 metres from any protected works;
- (b) the storehouse may be adjacent to the explosives/nitrous oxide manufacturing plants, but shall observe the provisions of clause 4(a) (i) and (ii) of Rule.12

Statutory Warning: Misuse of Ammonium Nitrate shall constitute serious criminal offence under the law.

FORM A-4

(See Part-1 of Schedule II and rules 33, 35 and 37
of Ammonium Nitrate Rules, 2012)

Application for grant/amendment of licence to transport Ammonium Nitrate

I, on behalf of apply for grant of a licence/amendment of licence No.....to transport Ammonium Nitrate. The particulars are given below and other documents are enclosed as required.

Replies to be given in this column

1. Name of the applicant (see note
below)
2. Applicant's postal address
- Pin Code No.

Telephone No.

Telex

3. Particulars of licence granted under Ammonium Nitrate Rules 2012 held by the applicant from where the Ammonium Nitrate will be transported licence no For possession and sale/use
 Situation of premises

Licensed capacity

Date upto which the licence is valid

- Particulars of place/s to which the
 4. Ammonium Nitrate will be transported

5. Mode of transport:

6. (a) Has the applicant been convicted under any offence or ordered to execute bond under Chapter VIII of Code of Criminal Procedure 1973(2of1974) during last ten years? Yes No

(b) If yes please give details

7. (a) Particulars of other licences under Explosives Act 1884 if any held by the applicant during last ten years

(b) Was any licence cancelled/not renewed?

(c) If yes give details

8. Particulars of amendment proposed/
Additional information if any

I hereby certify that the above particulars given by me are correct.

Date..... Signature of applicant.....
(Authorised person in case of a Company)
Full Name
Address

Notes:

Please see the rule for the purpose and documents to be enclosed

- (1) In case where application is made by a person other than an individual, the names and addresses of the occupier as per rule 2 and directors or partners or members, as the case may be, and specimen signatures of authorised person to be attached.
- (2) Passport size photographs of the occupier to be attached.
- (3) Any change in the above information should be immediately communicated to the licensing authority and authority renewing the licence.
- (4) Age to be given in case the applicant is an individual.
- (5) Copy of license form P1, P2, P3 or P5

Statutory Warning: Misuse of Ammonium Nitrate shall constitute serious criminal offence under the law.

Form A-5

(See Part-1 of Schedule II and rules 33 and 35
of Ammonium Nitrate Rules, 2012)

Application for grant of licence to

- (a) Import Ammonium Nitrate; or**
- (b) Export Ammonium Nitrate**

I,.....on behalf of.....apply for
grant of licence for the following purpose.

1. Purpose : Import or Export

2. Name: I require licence in the following name and postal address:

(a) Name in which licence is required to be granted (see notes below)

(b) Status

(c) Age

(d) Postal address:

.....City.....District.....

State.....Pin code.....Police Station.....

Railway Station or Steamer Ghat..... Phone.....

Email.....Fax.....

3(a).

(i) (for Import) Quantity of Ammonium Nitrate proposed to be imported at a time

(ii) Name and address of the manufacturer and or country of importer of Ammonium Nitrate to be imported

(iii) Particulars of the storehouse where Ammonium Nitrate will be stored after import :

(iv) Port or place of import

(v) Whether import of Ammonium Nitrate is in bulk or bagged form.

(vi) Particulars of Stevedoring agent giving his name addressed and licence No

3(b) (for Export)

(i) Quantity of Ammonium Nitrate to be exported

(ii) Name and address of consignee or country of Export

(iii) Place or port from which Ammonium Nitrate will be exported

4. Has the applicant been convicted under any offence or ordered to execute bond under Chapter VIII of Code of Criminal Procedure, 1973(2of 1974) during the last 10 years. Yes....No.....

If yes. please give details.

5. (a) Particulars of other licenses under Explosives Act, 1884, if any held bythe applicant during the last 10 years.
 (b) was any licence cancelled or not renewed? Yes.....No.....
 (c) If yes, give details
6. a) Has applicant imported or exported Ammonium Nitrate in the past Yes.....No.....
 b) If yes details thereof for last three years.....
7. Particulars of amendment proposed/ Additional information if any.....

I hereby certify that the above particulars given by me are correct.

Date..... Signature of applicant.....
 (Authorised person in case of a Company)
 Full Name
 Address.....

Notes:

Please see the rule for the purpose and documents to be enclosed

- (1) In case where application is made by a person other than an individual, the names and addresses of the occupier as per rule 2 and directors or partners or members, as the case may be, and specimen signatures of authorised person to be attached.
- (2) Passport size photographs of the occupier to be attached.
- (3) Any change in the above information should be immediately communicated to the Licence Issuing authority and authority renewing the licence.
- (4) Age to be given in case the applicant is an individual.

Statutory Warning: Misuse of Ammonium Nitrate shall constitute serious criminal offence under the law.

LICENCE FORM P-1
(See Sr. No. 1 of Schedule I and rule 35
of Ammonium Nitrate Rules, 2012)

Photograph
of the licence
holder or
occupier with
signature

Licence to manufacture and possess for sale Ammonium Nitrate or
convert melt to solid and vice versa and possess for sale of
Ammonium Nitrate

Licence No.....

Annual Fees Rs.....

1. Licence is hereby granted to:

Name:.....

.....

Postal Address:.....

.....City.....District.....

...State.....Pincode.....

Police Station..... Railway Station or Steamer
Ghat.....

Phone.....Email.....Fax.....

.....

2. Status of licence holder:

3. Licence is valid for the following purpose:

4. Licence is valid for the following quantity of Ammonium Nitrate:

(a) Quantity of Ammonium Nitrate at any one time

.....

(b) Quantity of Ammonium Nitrate per year

5. The Licensed premises shall conform to the following drawing(s):

Drawing No.dated.....

6. The Licensed premises are situated at following address:

.....

..... Survey No City..... District
 State..... Pin code..... Police
 Station..... Railway Station or Steamer
 Ghat.....Phone.....Email..... Fax.....

7. The premises consist of following facilities:

(i) Manufacture/ Conversion facilities

(ii) No. of storehouses

(iii) No. of melt storage tanks

*Strike out whichever is not applicable

8. The licence is granted subject to the provision of Explosives Act 1884 as amended from time to time and the Ammonium Nitrate Rules, 2012 framed there under and the conditions, additional conditions and annexure.

(1) Drawings (showing site, constructional and other details) as stated in serial no. 5 above.

(2) Conditions and Additional Conditions of this licence signed by the Chief Controller of Explosives.

9. This licence shall remain valid till 31st day of March.....

This licence is liable to be suspended or revoked for any violation of the Explosives Act 1884 or Ammonium Nitrate Rules, 2012 framed there under or the conditions of this licence, if the authorized premises are not found conforming to the description shown in the plans and annexure attached hereto.

Dated the20.... Signature,

Designation and seal

[**Chief Controller or Controller of
Explosives**]

SPACE FOR ENDORSEMENT OF RENEWALS

Statutory Warning: Misuse of Ammonium Nitrate shall constitute serious criminal offence under the law.

CONDITIONS

1. The manufacture or conversion of Ammonium Nitrate shall be done from the plant shown in approved plan attached with licence.

2. The possession or storage of Ammonium Nitrate shall be done in the licensed storehouse or melt storage tank shown in the approved plan attached with the licence.
3. The quantity of Ammonium Nitrate in the premises or any part thereof shall not exceed at any one time the quantity for which licence has been issued.
4. Spilled or sweepings of Ammonium Nitrate the waste Ammonium Nitrate collected from sweeping or spilled shall be destroyed by the licence holder and account thereof shall be maintained indicating the quantity of the Ammonium Nitrate destroyed.
5. The licence holder and every person employed in or about the manufacture, conversion premises shall take all due precautions for the prevention of accidents by fire or explosion in the manufacture, conversion premises and for preventing unauthorised person from having access to the manufacture, conversion premises or to the Ammonium Nitrate therein and shall abstain from any act whatsoever which tends to cause fire or explosion and is not reasonably necessary for the purposes of work in the manufacturing, conversion premises.
6. No additions and alterations shall be carried out in the licensed premises without a previous sanction in writing of the Licence Issuing authority.
7. The licence holder shall appoint a competent person to supervise the manufacturing, conversion process and the operations shall be conducted under the supervision of the competent person.
8. Free access to the licensed premises shall be given at all reasonable times to any inspecting officer and all facilities shall be offered to the officer for ascertaining that the provisions of the Act and Rules and the safety conditions are duly observed.
9. If the Licence Issuing authority or the inspecting officer informs in writing, the holder of the licence to execute any repairs or to make any additions or alterations to the licensed premises or carry out recommendations, which are in the opinion of such authority may pose unacceptable risk and therefore the same is necessary for the safety or security of the premises or persons, the holder of the licence

shall execute the recommendations and report compliance within the period specified by such authority.

10. Accidents by fire or explosion and losses, shortage or theft of Ammonium Nitrate shall be immediately reported to the nearest police station, the District Authority and Chief Controller or Controller.
11. Ammonium Nitrate shall be stored in attached storehouse(s) duly bagged and marked as per Rule 8 and 9 of Ammonium Nitrate Rules, 2012.
12. The quantity of ammonium Nitrate manufactured or converted or possessed shall not exceed the limit prescribed in the licence.
13. Licence holder engaged in manufacture or conversion and possession for sale of Ammonium Nitrate shall maintain records in the prescribed forms specified in Schedule II Part 3 and shall produce such records on demand to authority specified in Rule 49.
15. The licence holder shall submit monthly returns of Ammonium Nitrate manufactured or converted, received, sold and destroyed in the Form prescribed in Form R-9 of Part 3 of Schedule II so as to reach Licensing Authority and District Authority within 10th day of every succeeding month.

Dated the20.... Signature,

Designation and seal

[Chief Controller or Controller of
Explosives]

LICENCE FORM P-2

(See Sr. No. 2 of Schedule I and rule 35
of Ammonium Nitrate Rules, 2012)

Photograph
of the licence
holder or
occupier with
signature

Licence to stevedore, bag and store Ammonium Nitrate

Licence No.....

Annual Fees Rs.....

1. Licence is hereby granted to:

Name:

.....

Postal Address:.....

.....City.....District.....State.....

.....Pincode.....Police Station..... Railway Station or

Steamer Ghat..... Phone..... E-

mail.....Fax.....

2. Status of licence holder:

3. Licence is valid for the following purpose: Stevedoring, bagging
involving unloading Ammonium Nitrate from ship, transport to his
licensed storehouse for storing and bagging.

4. Licence is valid for the stevedoring, bagging of following quantity
of Ammonium Nitrate:

(a)Quantity of Ammonium Nitrate at any one time

.....

(b)Quantity of Ammonium Nitrate per month

5. The authorised premises shall conform to the following drawing(s):

Drawing No.dated.....

6. The licensed premises are situated at following address:

Survey No..... City District.....
State..... Pin code..... Police
Station..... Railway StationPort of
import.....Phone.....Email..... Fax.....

7. The premises consist of following facilities:

(i) Bagging facilities

(ii) Storehouse

8. The licence is granted subject to the provision of Explosives Act 1884 as amended from time to time and the Ammonium Nitrate Rules, 2012 framed there under and the conditions, additional conditions and annexure.

(a) Drawings (showing site, constructional and other details) as stated in serial no. 5 above.

(b) Conditions and Additional Conditions of this licence signed by the District authority.

9. This licence shall remain valid till 31st day of March.....

This licence is liable to be suspended or revoked for any violation of the Explosives Act 1884 or Ammonium Nitrate Rules, 2012 framed there under or the conditions of this licence, if the authorized premises are not found conforming to the description shown in the plans and annexure attached hereto.

The20 Signature, Designation
and seal [District Authority]

SPACE FOR ENDORSEMENT OF RENEWALS

Statutory Warning: Misuse of Ammonium Nitrate shall constitute serious criminal offence under the law.

.....

CONDITIONS

- (1) The storage and bagging of Ammonium Nitrate shall be done in Licensed premises shown in approved plan attached with the licence.
- (2) The quantity of Ammonium Nitrate in the premises or any part thereof shall not exceed at any one time the quantity for which licence has been issued.
- (3) Spilled or sweepings of Ammonium Nitrate the waste Ammonium Nitrate collected from sweeping or spilled shall be destroyed by the licence holder and account thereof shall be maintained indicating the quantity of the Ammonium Nitrate destroyed.
- (4) The licence holder and every person employed in or about the manufacture, conversion premises shall take all due precautions for the prevention of accidents by fire or explosion in the manufacturing, conversion premises and for preventing unauthorised person from having access to the manufacture, conversion premises or to the Ammonium Nitrate therein and shall abstain from any act whatsoever which tends to cause fire or explosion and is not reasonably necessary for the purposes of work in the manufacturing conversion premises.
- (5) No additions and alterations shall be carried out in the licensed premises without a previous sanction in writing of the Licensing Authority. Such additions and alterations so sanctioned shall be shown in the amended plan attached to the licence.
- (6) The licence holder shall appoint a competent person to supervise the manufacturing, conversion process and the operations shall be conducted under the supervision of the competent person.
- (7) Free access to the licensed premises shall be given at all reasonable times to any inspecting or sampling officer and all facilities shall be offered to the officer for ascertaining that the provisions of the Act and these rules and the safety conditions are duly observed.
- (8) If the Licence Issuing authority or the inspecting officer informs in writing, the holder of the licence to execute any repairs or to make any additions or alterations to the licensed premises or carry out

recommendations, which are in the opinion of such authority may pose unacceptable risk and therefore the same is necessary for the safety or security of the premises or persons, the holder of the licence shall execute the recommendations and report compliance within the period specified by such authority.

- (9) Ammonium Nitrate shall not be sold by the licensee. The bagged Ammonium Nitrate shall be despatched to the importer under whose licence the Ammonium Nitrate is imported.
- (10) Accidents by fire or explosion and losses, shortage or theft of Ammonium Nitrate shall be immediately reported to the nearest police station and the District Authority.
- (11) Ammonium Nitrate brought to the licensed storehouse(s) shall be bagged in suitable bags as expeditiously as possible and stored, duly marked as per rules 8 and 9.
- (12) No vehicle should move over heap of Ammonium Nitrate.
- (13) Weigh bridge shall be provided near stevedore's store house.
- (14) Licence holder shall maintain records in the prescribed forms specified in Schedule I Part 3 and shall produce such records on demand to authority specified in Rule 49.
- (15) The licence holder shall submit monthly returns of Ammonium Nitrate in the Form R-9 of Part 3 of Schedule II so as to reach Licensing Authority and District Authority within 10th day of every succeeding month.
- (16) The licensee or his authorized agent shall take all due precautions to prevent spillage, contamination and loss on transit of Ammonium Nitrate while unloading from the ship, transiting to the licensed storehouse, bagging and dispatching".

Signature, Designation and seal of District Authority

LICENCE FORM P-3

(See Sr. No. 3 of Schedule I and rule 35
of Ammonium Nitrate Rules, 2011)

Photograph
of the licence
holder or
occupier with
signature

Licence No.....

Annual Fees Rs.....

- (a) Licence to Possess for sale or use of Ammonium Nitrate from a store house not exceeding 30MT; or
(b) Licence to Possess for sale or use of Ammonium Nitrate from a store house exceeding 30MT; or
(c) Licence to Possess for use of Ammonium Nitrate from a store house attached to explosives manufacturing/Nitrous Oxide manufacturing unit; or
(d) Licence to possess for use Ammonium Nitrate for agricultural purpose from a storehouse.

1. Licence is hereby granted to:

Name:

PostalAddress:.....

.....City.....District.....State...
.....Pincode.....

Police Station..... Railway Station or Steamer
Ghat.....Phone.....Email.....
.....Fax.....

2. Status of licence holder: Individual or company

3. Licence is valid for the following purpose
.....

4. (a) Licence is valid forquantity of Ammonium Nitrate at any one time

(b) Quantity of Ammonium Nitrate to be purchased in a financial Year

5. The licensed premises shall conform to the following drawing(s):

Drawing No.dated.....

6. The licensed premises are situated at following address:

.....

City.....District.....State.....
Pin code.....Police
 Station.....Railway Station or Steamer
 Ghat.....Phone.....E-
 mail.....Fax.....

7. The licensed premises consist of following facilities:

.....

8. The licence is granted subject to the provision of Explosives Act 1884 as amended from time to time and Ammonium Nitrate Rules, 2012 framed there under and the conditions, additional conditions and the following annexure

- (1) Drawings (showing site, constructional and other details) as stated in serial no. 5 above.
- (2) Conditions and additional conditions of this licence signed by the Licence Issuing authority.

9. This licence shall remain valid tili 31 day of March....

This licence is liable to be suspended or revoked for any violation of the Explosives Act 1884 or Ammonium Nitrate Rules, 2012 framed there under or the conditions of this licence, if the authorized premises are not found conforming to the description shown in the plans and annexure attached hereto

The20.... Signature, Designation and seal
 [Licensing Authority]

SPACE FOR ENDORSEMENT OF RENEWALS

Statutory Warning: Misuse of Ammonium Nitrate shall constitute serious criminal offence under the law.

CONDITIONS

- (1) The Ammonium Nitrate shall be possessed only in the licensed storehouse or melt storage tank shown in the approved plan attached with the licence.
- (2) The quantity of Ammonium Nitrate in the premises or any part thereof shall not exceed at any one time the quantity for which licence has been issued.
- (3) Spilled or sweepings of Ammonium Nitrate the waste Ammonium Nitrate collected from sweeping or spilled shall be destroyed by the licence holder and account thereof shall be maintained indicating the quantity of the Ammonium Nitrate destroyed.
- (4) The licence holder and every person employed shall take all due precautions for prevention of accidents by fire or explosion in the licensed premises and for preventing unauthorized person from having access to licensed premises and shall abstain from any act from whatsoever which tends to cause or explosion and is not reasonably necessary for the purpose of works related thereto.
- (5) No additions and alterations shall be carried out in the licensed premises without a previous sanction in writing of the Licensing Authority. Such additions and alterations so sanctioned shall be shown in the amended plan attached to the licence.
- (6) The licence holder shall appoint a competent person to supervise the manufacturing, conversion process and the operations shall be conducted under the supervision of the competent person.
- (7) Free access to the Licensed premises shall be given at all reasonable times to any inspecting or sampling officer and all facilities shall be offered to the officer for ascertaining that the provisions of the Act and these rules and the safety conditions are duly observed.
- (8) If the Licence Issuing authority or the inspecting officer informs in writing, the holder of the licence to execute any repairs or to make any additions or alterations to the licensed premises or carry out recommendations, which are in the opinion of such authority may pose unacceptable risk and therefore the same is necessary for the safety or security of the premises or persons, the holder of the

licence shall execute the recommendations and report compliance within the period specified by such authority.

- (9) Accidents by fire or explosion and losses, shortage or theft of Ammonium Nitrate shall be immediately reported to the nearest police station and the District Authority.
- (10) Licence holder shall maintain records in the prescribed forms specified in Schedule I Part 3 to ensure accountability, identification and traceability of Ammonium Nitrate and shall produce such records on demand to authority specified in rule 49.
- (11) The licence holder shall submit monthly returns of AN received, sold /used and destroyed in the form prescribed in Form R-9 of Part 3 of Schedule II so as to reach Licensing Authority and District Authority within 10th day of every succeeding month.

**Signature, Designation and seal of
Licensing Authority**

LICENCE FORM P4

(See Sr. No. 4 of Schedule I and rule 35
of Ammonium Nitrate Rules, 2012)

Licence to transport Ammonium Nitrate

Licence No.

Fee Rs..... (Per year)

Photograph
of the licence
holder or
occupier with
signature

1) Licence is hereby granted to.....to
transport Ammonium Nitrate

2) From the premises licensed in form
bearing licence No Situated
at..... to places specified below. Places of
destination-

Sl.No.	Place	District	State
Subject to the provisions of the Explosives Act, 1884 and the Ammonium Nitrate Rules 2012 framed there under and to the conditions of this licence.			

3) Postal address of licensee

4) The licence shall remain in force till 31st day of March, 20.....

This licence is liable to be suspended or revoked for any violation of the Explosives Act 1884 or Ammonium Nitrate Rules, 2012 framed there under or the conditions of this licence.

The20.... Signature, Designation and seal of
Licensing Authority

SPACE FOR ENDORSING RENEWALS

Statutory Warning: Misuse of Ammonium Nitrate shall constitute serious criminal offence under the law.

CONDITONS

- (1) This licence becomes void on the expiration of the terms mentioned therein or if a consignment breaks before reaching the place of destination or if the Ammonium Nitrate is taken from or to any place other than the places mentioned in the licence.
- (2) The licensee shall transport only Ammonium Nitrate as he is authorised to possess under the Act and the Ammonium Nitrate Rules 2012 framed there under.
- (3) The quantity of Ammonium Nitrate despatched to any consignee shall not exceed the quantity which such consignee is entitled to possess under a licence granted under these rules.
- (4) Each consignment of Ammonium Nitrate shall be covered by a pass in Form R-11(B) and that (when the Ammonium Nitrate is transported by rail) such pass shall be attached to the way bill or the invoices as the case may be.
- (5) A copy of each pass issued for each consignment shall be sent to—
 - (i) Licensing authority;
 - (ii) Controller of Explosives in whose jurisdiction the premises from which the consignment is sent, is situated; and

- (iii) The Controller of Explosives in whose jurisdiction the premises to which the Ammonium Nitrate are sent is situated.
- (6) Any loss, shortage or theft of Ammonium Nitrate in transit shall be reported without delay to the licensing authority and to the police station and to the Controller of Explosives in whose jurisdiction the loss, shortage or theft is discovered.
- (7) The Ammonium Nitrate shall be packed and marked in accordance with rules 8 and 9 of the Ammonium Nitrate Rules 2012.

Additional Conditions.

- (1) This licence is not transferable.
- (2) This licence or its authenticated copy shall at all times be kept in the transporting vehicle and produced on demand by an inspecting officer.
- (3) Ammonium Nitrate shall not be transported with any other explosives, inflammable substances, oil, carbonaceous matter etc.
- (4) The driver or operator of vehicle carrying or containing an Ammonium Nitrate shall not stop unnecessarily or for a longer period than is reasonably required, and shall avoid stops or places where public safety is in danger:

Provided that where vehicle transporting or containing Ammonium Nitrate is parked over night due to breakdown of vehicle or melt tanker or any reasons beyond the control of the driver, the premises in which the vehicle is parked-

- (a) shall not be used for any purpose that might give rise to the presence therein of an open flame, matches or any substance or article likely to cause explosion or fire;
- (b) shall be away from any habitation of any go down containing articles of a flammable nature or other hazardous goods:

Provided further that the nearest police station shall be informed about the location and temporary parking of the vehicle

- (5) Vehicle while transporting Ammonium Nitrate shall be adequately secured at the expense of the licence holder. If the consignment of Ammonium Nitrate is likely to pass through sensitive areas notified by the Ministry of Home Affairs, it should be escorted by armed police escort or guard, provided by the District Police Administration.
- (6) Ammonium Nitrate melt shall be transported in specially designed tankers with manhole and discharge faucets duly sealed by the melt supplying firm. The melt tanker shall carry a quality control certificate issued by the AN melt supplying company. The receiver shall verify that the seal on manhole and discharge faucet is intact and verify concentration factor of Ammonium Nitrate.
- (7) Transport of Ammonium Nitrate in sensitive area notified by Ministry of Home Affairs shall not be allowed during the period of Sunset to Sunrise.
- (8) No smoking and no fire or artificial light or any article capable of causing fire shall be allowed on the vehicle carrying Ammonium Nitrate or Ammonium Nitrate melt.
- (9) The vehicle shall not be used for carrying passenger.
- (10) The vehicle, while Ammonium Nitrate are being loaded or unloaded or transported shall always be under the charge of competent person who shall be experienced in handling of Ammonium Nitrate and fully conversant there under. Where the vehicle not driven by the licence holder, a document signed by the licence holder naming persons authorised to drive and accompany the vehicle shall be carried in the vehicle and produced on demand to an inspecting officer.
- (11) The Ammonium Nitrate shall be loaded into the vehicle only at the licensed premises of consignor and unloaded from vehicle at the licensed premises of the consignee.
- (12) The licence holder shall maintain account of Ammonium Nitrate transported in Form R-6 and present the same on demand by an inspecting officer.
- (13) Free access shall be given at all reasonable times to any inspecting or sampling officer and every facility shall be afforded to the

officer for ascertaining that the provisions of the Act or these rules and these conditions are duly observed.

- (14) Accidents by fire or explosion and losses, shortage or theft of Ammonium Nitrate shall be immediately reported to the nearest police station and the District authority.

**Signature, Designation and
seal of Licensing Authority**

LICENCE FORM P-5

(See Sr. No.5 of Schedule I and rule 35
of Ammonium Nitrate Rules, 2012)

- (a) Licence to Import Ammonium Nitrate; or
(b) Licence to Export Ammonium Nitrate

Licence No.....

Fees Rs.....

Photograph
of the licence
holder or
occupier with
signature

1. Licence is hereby granted to:

Name:

.....
.....

Postal Address:.....

.....City.....District.....State.....

.....Pin code.....Police Station Railway Station

or Steamer Ghat.....Phone

.....Email.....Fax.....

2. Status of Licence Holder :

3. Licence is valid for the following kinds and quantity of Ammonium Nitrate:

(a) Ammonium Nitrate to be Imported

Weight in Metric Tonnes of Ammonium Nitrate imported	Whether in bulk or in bagged form	Consignor's name and address	Licence number of the store house or houses of the consignee	Port of import	Mode of import	Particulars of Stevedoring Agent licence No. under Ammonium Nitrate Regulation 2011

(b) Ammonium Nitrate to be Exported

Weight in Metric Tonnes of Ammonium Nitrate to be exported	No. of the bags	Consignee's name and address or Country's details	Licence number of the store house of the consignor	Port of export	Mode of export

4. The licence is granted subject to the provision of Explosives Act 1884 as amended from time to time and the Ammonium Nitrate Rules, 2012 framed there under and the conditions annexed.

5. This licence shall remain valid till (maximum one year from the date of issue).

This licence is liable to be suspended or revoked for any violation of the Explosives Act 1884 or Ammonium Nitrate Rules, 2012 framed there under or the conditions of this licence.

The20....

Signature,
Designation
and seal of Chief Controller of Explosives

CONDITIONS

- 1) The Ammonium Nitrate imported shall be removed to the licensed stevedore's storehouse and bagged in water proof bags.
- 2) The marking on each Ammonium Nitrate bag shall be in accordance with rule 8 and 9 of Ammonium Nitrate Rules 2012.

- 3) The import licence holder shall take delivery of the bagged AN from the stevedore's licensed storehouse and shall deliver at the licensed storehouse of the seller or user
- 4) Only Ammonium Nitrate licenced under this licence shall be imported.
- 5) The quantity of Ammonium Nitrate imported or exported shall not exceed that authorised by this licence.
- 6) No ship or boat containing Ammonium Nitrate imported or exported on the strength of this licence shall bring to and no such Ammonium Nitrate shall be unloaded or trans-shipped from any ship or boat except at the port authorised by this licence.
- 7) The licence holder shall comply with all the rules and regulations in force at the port of import mentioned in this licence.
- 8) The owner and master of the ship or boat in which Ammonium Nitrate are imported/exported on the strength of this licence, shall, if and when required by an inspecting authority or the custom's authority having jurisdiction over the place of importation, allow such inspector or officer to take for examination samples of any Ammonium Nitrate so imported.
- 9) Free access shall be given at all reasonable times to any inspecting or sampling officer and every facility shall be afforded to the officer for ascertaining that the provisions of the Act or these rules and these conditions are duly observed.
- 10) Accidents by fire or explosion and losses, shortage or theft of Ammonium Nitrate shall be immediately reported to the nearest police station and the District Authority and Chief Controller of Explosives or Licence Issuing Authority.
- 11) The quantity of ammonium Nitrate exported or imported or possessed shall not exceed the limit specified in the licence.
- 12) License holder shall maintain records and submit returns in the prescribed forms specified in Part 3 of Schedule II and shall produce such records demand to authority specified in rule 49

Signature, Designation and seal of
Chief Controller of Explosives

SCHEDULE II
(PART -3)
RETURNS

FORM R-1

(See rule 36 of Ammonium Nitrate Rules, 2012)

Application for Renewal of licence

(See note below before filling up the form)

From : -----

To

Dear Sir,

1. I,..... on behalf of apply for renewal of licence number.....in form.....for the period from.....to... ..and furnish the following information :

During the last five years—

(i) I was or we were—

- (a) not convicted or convicted (Strike off which ever not applicable) and sentenced for.....for following offences.....
- (b) not ordered or ordered to execute under Chapter VIII of Code of Criminal Procedure, 1973(2 of 1974) a bond for keeping peace or for good behaviour.
- (c) Not issued any direction from the Court in connection with the above said licence or certificate. (Give details if answer in affirmative)

(ii) Licence or certificate No.....in Form.....granted under the Act and these rules to me or us were cancelled or not renewed by the Licence Issuing authority.

2. I or We also enclose the following documents:

(i) Licence or certificate No.....in Form.....together with approved plans and schedules.

(ii) Renewal fee of Rs.....by bank draft of.....(name of issuing bank) bearing numberdatepayable in favour of.....

3. I or We confirm that I or we shall inform you about the court's order or direction, interim or otherwise, if any issued in connection to the licence for which renewal is being applied, failing which I or we shall commit a punishable offence.

4. I or We hereby certify that

(i) the above particulars given by me or us are correct.

(ii) I am or we are aware that if Ammonium Nitrate is illegally transferred by me or us to any unauthorised person(s), I or we shall commit a punishable offence.

(iii) I am or we are aware that if I or we conceal any material information relevant to this application, I or we shall commit a punishable offence and in addition, any administrative action can be taken against me or us.

Signature of Licence holder
(Authorised person in case of company)

Place.....

Date of application

Notes.—

(1) The complete renewal or revalidation application should reach the renewal authority before the expiry date of licence or certificate, to avoid payment of late fees.

(2) Strike out the inapplicable portion.

FORM R-2

(See rule 14 of Ammonium Nitrate Rules, 2012)

**Form of account to be maintained by a licence holder
Accounts of Ammonium Nitrate manufactured or converted**

Note. — This record should be kept up to-date.

Licence number..... In Form of
Ammonium Nitrate Rules, 2012

Date	Batch numbers	No. of bags.	Melt produced in case of manufacturer, Melt used in case of converter
1	2	3	4

Total quantity of Ammonium Nitrate manufactured, converted	Remarks	Signature of person in-charge or licence holder	Name and address of melt supplier	Whether full yield achieved
5	6	7	8	9

**Signature of Licence
Holder or person In-charge**

Place.....

Date

FORM R-3

(See rule 18 of the Ammonium Nitrate Rules, 2012)

**Declaration to be submitted to the Chief Controller by an importer
on despatch of Ammonium Nitrate from the place or port of
loading.**

Import licence No. and Date	Validity	Quantity permitted for import	Name and address of the manufacturer of Ammonium Nitrate

Quantities of Ammonium Nitrate on the ship.

Name and address of consignor	Place or port of despatch	Name of ship and date of sailing.	Place or port of import	Likely date of arrival

Date of manufacture	Batch number	Quantity	Number of Bags

Date :

Place:

Signature of Importer

(Authorised person in case of a Company)

.....
Name in full.....

Address.....

FORM R-4

(See rule 18 of the Ammonium Nitrate Rules, 2012)

Importer's despatch Schedule

Declaration to be forwarded in triplicate to the Chief Controller as soon as any consignment of Ammonium Nitrate is cleared from the place of or port of import

Name and address of importer	Import licence number granted by Chief Controller under Ammonium Nitrate Rules and date of expiry of licence	Name and address of the manufacturer of Ammonium Nitrate

Particulars of despatch from place or port of import.

Name and address of licensee to whom Ammonium Nitrate were despatched	Licence number and Form	Quantity of Ammonium Nitrate despatched		
		Quantity	Number of bags	
Name and address of consignor	Quantity of Ammonium Nitrate	Place or port from which	Name of ship	Date of arrival and place

	imported	Ammonium Nitrate were forwarded		or port of import

Batch number and date	Date of despatch	Mode of despatch
-----------------------	------------------	------------------

place.....

Date:.....

Signature of importer.....

(Authorised agent in case of company)

Name in full

Address

FORM R-5

(See rule 14 of Ammonium Nitrate Rules, 2012)

Form of account to be maintained by a Stevedore Account of Ammonium Nitrate stevedored, bagged, stored and dispatched

Note. – This record should be kept up to-date.

Licence number..... in Form of Ammonium Nitrate Rules, 2012

Date	Name of the Ship from where bulk Ammonium Nitrate unloaded on behalf of importer	Name and address of the importer giving his import licence No.
1	2	3

Quantity of Ammonium Nitrate unloaded from the ship either in bulk or large size bags or container	No. of the bags in which Ammonium Nitrate has been repacked	Total quantity of Ammonium Nitrate repacked in bags	No. of bags or quantity of Ammonium Nitrate dispatched to the importer	Date of dispatch of packed Ammonium Nitrate to importer
4	5	6	7	8

Name and address of the Transporter and his Licence No.	Registration No. of the vehicle through which Ammonium Nitrate dispatched	Quantity of Ammonium Nitrate Spilled, collected and sent for reprocessing to converter	Pass No.	Signature of License holder/ person incharge
9	10	11	12	13

Signature of Licence Holder or person Incharge

Place.....

Date

FORM R-6

(See rule 14 of Ammonium Nitrate Rules, 2012)

**Form of records to be maintained by a Transport Licence Holder
Records of Ammonium Nitrate or Melt
transported by vehicle**

Note - This record should be kept up to date.

Licence number..... in Form of
Ammonium Nitrate Rules, 2012

Date	Name, address and Licence number of the consignor	Place of loading	Quantity transported		vehicle Registration No.	Name Address and Licence No. of the Driver
			Ammonium Nitrate in bags	Ammonium Nitrate Melt		
1	2	3	4		5	6

Pass No.	Name, address and licence number of the consignee	Place of unloading	Date of unloading of Ammonium Nitrate or Melt	Remarks	Signature of License holder/ person incharge
7	8	9	10	11	12

Signature of Licence Holder or person Incharge

Place.....

Date

FORM R-7

(See rule 14 of Ammonium Nitrate Rules, 2012)

**Form of account to be maintained by a licence holder
Accounts of sale of Ammonium Nitrate**

Note - This record should be kept up to date. Entries should be made daily and as and when Ammonium Nitrate is sold.

Licence number..... in Form of
Ammonium Nitrate Rules, 2012

Date	Opening Balance (in kgs)	Quantity of Ammonium Nitrate received (in kgs)	Batch Number	Name, address and Licence Number from whom Ammonium Nitrate is received	Mode of Transport, vehicle No. and Transporter's Licence No.	Pass number
1	2	3	4	5	6	7

Quantity of Ammonium Nitrate Sold (in kgs)	Batch Number	Name, address and Licence Number to whom Ammonium Nitrate is sold	Mode of Transport, vehicle No. and Transporters Licence No.	Pass number
8	9	10	11	12

Closing balance (in kgs)	Remarks
-----------------------------	---------

13	14

Signature of Licence Holder or person Incharge

Place.....

Date

FORM R-8

(See rule 14 of Ammonium Nitrate Rules, 2012)

Form of account to be maintained by a licence holder

Accounts of use of Ammonium Nitrate

Note - This record should be kept up to date. The entries should be made daily and as soon as Ammonium-Nitrate are issued for use or unused Ammonium Nitrate are returned.

Licence number..... in Form of Ammonium Nitrate Rules, 2012

Date	Opening Balance (in Kgs)	Quantity of Ammonium Nitrate received (in Kgs)	Batch No. and Date	Name, Address and Licence No. from whom, Ammonium Nitrate is received
1	2	3	4	5

Pass No.	Quantity used (in kgs)	Place of use
6	7	8

Signature of Licence Holder or person Incharge

Place.....

Date

FORM R-9

(See rule 14 of Ammonium Nitrate Rules, 2012)

Monthly Returns of Ammonium Nitrate

Statement of Ammonium Nitrate Received, used, sold, destroyed and stolen during the month of..... in respect of store house ofsituated

at..... District
State.....

Licence number in Form of Ammonium Nitrate Rules, 2012

1. Opening balance on the 1st day of the month:
2. Account of Ammonium Nitrate:

Particulars of Ammonium Nitrate received

Date	Quantity (in kgs)	Name, address and licence number of suppliers from whom Ammonium Nitrate was received	Pass No.
1	2	3	4
1.			
2.			

3. Total quantity of Ammonium Nitrate used or sold during the month

Date	Quantity Sold (in kgs)	Name, address and license number to whom	Pass No.	Quantity used (in Kgs)
------	------------------------------	--	----------	--------------------------------

		Ammonium Nitrate was sold		
1	2	3	4	5
1.				
2.				

4. Particulars of Ammonium Nitrate destroyed during the month

Date	Quantity (in kgs)	Reasons for destruction
1	2	4
1.		
2.		

5. Particulars of Ammonium Nitrate stolen or short received.

Date	Quantity (in kgs)
1	2
1.	
2.	
3.	
4	

Quantity (in kgs)	Whether theft or loss reported to police and District Authority if so, give reference	Remarks
3	4	5
1.		
2.		
3.		
4		

Signature of Licence Holder or Person in Charge

Place.....

Date.....

FORM R-10

(See rule 26(2) (a) of Ammonium Nitrate Rules, 2012)

Form of indent for Ammonium Nitrate

To

.....

.....

.....

Dear Sir,

Kindly supply the following quantities of Ammonium Nitrate to me or us:-

Quantity (in kgs) :

I or We hold a licence number.in
Form.....of Ammonium Nitrate Rules, 2012 for possession
for sale or use of following quantities of Ammonium Nitrate

Quantity (in kgs) :

The above mentioned licence is valid
till.....

I or We solemnly declare that

(a) the receipt of Ammonium Nitrate indented will not result in the
licensed quantity being exceeded; and

(b) no identical indent has been placed with any other supplier

*The Ammonium Nitrate may please be handed over to my or our-
authorized representative whose signatures are attested below:

Attested

Signature of Licence holder.

Signature of Licence holder
(Consignee)

Place :

Date :

(*Strike out whichever is not applicable.)

FORM R-11(a)

(See rule 20(3) of Ammonium Nitrate Rules, 2012)

Form of intimation to be given by the consignor to the District Superintendent of Police before dispatch of consignment of Ammonium Nitrate.

1. Quantity of Ammonium Nitrate proposed to be despatched
.....
2. Number of packages or bags
3. The Ammonium Nitrate proposed to be transported by vehicle
Registration No.
4. Name and address of consignee
.....
5. Number and validity of Consignee's licence to store
Ammonium Nitrate
6. Consignee's indent number and date
.....
7. Name and address of the authorised person who will receive the
consignment
8. Date of despatch of consignment.....

Signature of the consignor
Licence number
Licence Form ...

Place :

Date :

FORM R-11(b)

(See rule 21(4) of Ammonium Nitrate Rules, 2012)

**Pass issued by the consignor for transport of consignment of
Ammonium Nitrate**

1. No.....
2. This pass covers.bags containing
following quantity of Ammonium Nitrate,
or Ammonium Nitrate Melt
 - (a) No. of bags
 - (b) Quantity
 - (c) Batch No. and date
 - (d) Name of manufacturer, converter
 - (e) Stevedore's license No. under Ammonium Nitrate rules 2012
 While in transit from
.....to.....
3. The Ammonium Nitrate
is being transported by vehicle bearing Registration No.....
4. Name and address of consignee
5. Number and Form of Consignee's licence
6. Consignee's order number and date and quantity of Ammonium
Nitrate ordered
7. Consignee's letter number and date intimating
readiness to receive Ammonium Nitrate
8. Date of despatch of consignment
9. Approximate date on which consignment
should reach the destination.

Place :

Date :

Name and Signature of the consignor

Licence Number

Licence Form ...

CERTIFICATES**Form C - 1****(See rule 18(5) of the Ammonium Nitrate Rules, 2012)**

Declaration to be made by the master of a ship carrying Ammonium Nitrate before entering a port or by the ship's agent.

1. Name of ship.....

2. Date of Arrival at.....Port.....

Description of Ammonium Nitrate	Date of manufacture, batch number and other distinguishing marks on Bags	Total quantity carried Kilogramme or Bags	Quantity to be landed at port Kilogramme or Bags	Remarks

Place :.....

Date :

Signature of Master or Agent of Ship

C-2

Format of No Objection Certificate
(See rule 33 of the Ammonium Nitrate Rules, 2012)

No Objection Certificate under the
Ammonium Nitrate Rules, 2012

No.....

Date.....

With reference to the application No. Dated
submitted by.....and in pursuance of rule 33 of the
 Ammonium Nitrate Rules 2012 there is no objection for
 granting licence under the Ammonium Nitrate Rulesto Shri or
 Mrs. of address..... for the
 following purpose, kinds and quantities of Ammonium Nitrate in the
 premises at Survey No. or Gat No. or Khasra No.....,
 Village Taluka..... District
 State.....as shown in the site
 plan duly endorsed and enclosed herewith.

1. Purpose :
2. Quantities of Ammonium Nitrate :
 - (a) at any one time :
 - (b) in one month :

Signature of the
 No Objection certificate issuing
 authority with his office seal
 (District Magistrate or Director
 General of Mines)

[F. No. 17(12)2007-Expl.]

D. V. PRASAD, Jt. Secy.